खण्ड-120, अंक-4
सोमवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(9 मार्च, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 120 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ९ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयबर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण, वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अलीखां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमालअहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चन्द्र पाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभान शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत , श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम , श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री

दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्द कुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद, सिंह श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल बंद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल , श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे, मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद श्री
रामप्रसाद बेशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन , श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री

रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मीदेवी , श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
विरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल , श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववृक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत , श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

*१—श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि राज्य के किन किन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन एक मास से अधिक का चुकता होने को शेष है?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीता राम)—

(१) आगरा, (२) प्रतापगढ़,
(३) रायबरेली, (४) मिर्जापुर
(५) कानपुर और (६) इलाहाबाद।

*२—श्रीराम सहाय शर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का नया वेतन तथा महंगाई क्या है और क्या वह उनके वेतन और महंगाई के भत्ते को बढ़ाने का इरादा रखती है?

डाक्टर सीताराम—

नवीन वेतन-क्रम

प्रधानाध्यापक	४५-१-५०-प्र० अ०- १-५५-प्र० अ०-१-६०
सहायक अध्यापक	३५-१—४०—प्र० अ०- १-४५-प्र० अ०-१—५०
अन्ट्रेंड अध्यापक	३०

महंगाई:

१२ रुपये प्रतिमास ४० रुपये वेतन तक और १३ रुपये प्रतिमास ४० रुपये से अधिक वेतन पर।

वर्तमान आर्थिक स्थिति में वेतन और महंगाई में और वृद्धि देना संभव नहीं है।

श्री रामसहाय शर्मा—क्या सरकार उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के नाम बतलाने की कृपा करेगी जिन्होंने अभी तक अपने जिले में उक्त नवीन वेतन क्रम लागू नहीं किया है?

डाक्टर सीताराम—यू० पी० में सिर्फ गढ़वाल ही एक ऐसा जिला है जहां पर कि नवीन वेतनक्रम लागू नहीं है।

श्री रामसहाय शर्मा—उक्त जिला बोर्ड के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

डाक्टर सीताराम—अभी कोई खास कार्यवाही की तो बात नहीं है।

श्री रामसहाय शर्मा—यदि सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्त्तव्य पालन न करने पर भी उनको सुपरसीड करना नहीं चाहती है तो फिर उनके प्रति क्या कार्यवाही करना उचित समझती है?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—सरकार ने यह हिदायत दी थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह अधिकार है कि वे पे कमेटी की रिपोर्ट को जिस तरह चाहें लागू करें या न करें जितना चाहें करें या न करें। चूंकि वे संस्थायें स्वतंत्र हैं इसलिये इस बात को नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई हमारे नियम के विरुद्ध कार्य किया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में महंगाई भत्ता केवल ८ रु० दिया जाता है?

डाक्टर सीताराम—जी हां, यह बात सही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी जानते हैं कि आजमगढ़, जौनपुर व देवरिया में केवल ८ रु० महंगाई भत्ता दिया जाता है, उसे पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—यह इस बात पर मुनहसर करता है कि उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत कैसी है। जबतक यह न मालूम हो तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि उसमें क्या कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाने के संबंध में श्री शिक्षा संचालक ने यू० पी० अध्यापक मंडल के पास कोई पत्र भेजा है?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, लिखा है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सर्कुलर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिये भेजा गया है वह सरकारी नीति का प्रतीक नहीं है?

श्री मोहनलाल गौतम—जो सरक्यूलर भेजा गया है वह यह है कि जितना चाहें, जिस समय से चाहें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स तनख्वाह दे सकती हैं। इसलिये वह प्रतीक है और उसी के मुताबिक अमल हो रहा है। चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को इजाजत मिली हुई है इसलिये उसमें सरक्यूलर के विरुद्ध कुछ बात नहीं है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—इन जिलों में कितना रुपया वेतन का शेष है?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय पूरे आंकड़े मौजूद नहीं हैं।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पे कमेटी ने जो २०, २५ रुपया महंगाई भत्ता समान रूप से सब डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड के मुलाजिमों के लिये रिकमेंड किया था वह इन टीचरों को किस आधार पर नहीं दिया गया।

श्री मोहनलाल गौतम—जैसाकि बयान किया गया है इन लोगों के लिये कम से कम महंगाई भत्ता १२ रुपया रखा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्र शिक्षा संचालक महोदय ने लिखा उसका आशय क्या था?

श्री मोहनलाल गौतम—उसका आशय यह था कि उन लोगों ने जो गलत रास्ता अख्तियार किया है सत्याग्रह करने का वह उस रास्ते को छोड़ दें और जितना शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि जितना एरियर बाकी है वह और रेग्यूलर पे कर दी जायगी। इन दोनों बातों पर वह विचार करें और इस सत्याग्रह की बात को वह छोड़ दें। यही उसका आशय था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यूनियन को इस बात पर राजी किया जायगा कि महंगाई भत्ता और वेतन में वह वृद्धि करने के लिये तैयार हो जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह उस लेटर में नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यूनियन को इस बात के लिये तैयार किया जायगा । उस पत्र में केवल इतना है कि यह मसला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट की मीटिंग जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यूनियन ने बुलायी थी उसके सामने विचारार्थ रख दिया जायगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जिस सरकुलर का शिक्षा सेक्रेटरी के जरिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास भेजे जाने का जिक्र किया गया है कि उसके मुताबिक वह इतना मंहगाई भत्ता दे सकते हैं क्या उसके पहले भी कोई सरकूलर सरकार ने भेजा था ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकूलर रोज़ जाते रहते हैं ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पे कमेटी किसकी ओर से मुकर्रर हुई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—उसके पढ़ने से मालूम हो जायगा कि किसकी ओर से मुकर्रर की गई थी ।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बतलायेगी कि उसने पे कमेटी की रिपोर्ट को कहां माना है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार ने पे कमेटी को पूरा माना है और इस बात को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर छोड़ दिया है जितनी उनकी औकात है, हैसियत है, और फायनेंस इजाजत दे और उतना वह उस पर अमल करे ।

श्री रामदास रविदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अभी तक एक महीने से अधिक तनख्वाह नहीं दे सके हैं धन की कमी के कारण क्या सरकार उनको कुछ लोन देने का विचार करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—अगर जरूरत पड़ेगी तो दे सकते हैं ।

*३—श्री रामसहाय शर्मा—क्या सरकार उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों को अविलम्ब सुपरसीड करने को तैयार है जो गत कई मार्च से प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन चुकाने में असफल रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

तारांकित प्रश्न

अल्मोड़ा जिले की पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में और मवेशी अस्पतालों की आवश्यकता

*१—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को विदित है कि अल्मोड़ा जिले की पिठौरागढ़ व चम्पावत तहसीलों में जिसका कि क्षेत्रफल १५०० वर्ग मील है सिर्फ एक मवेशी अस्पताल है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—जी हां ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार यह आवश्यकीय नहीं समझती कि चम्पावत तहसील में स्थायी रूप से एक अस्पताल खोला जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सरकार तो यह आवश्यक समझती है कि सूबे में ज्यादा से ज्यादा अस्पताल खोले जायं और जहां तक संभव होगा वहां भी खोलने की कोशिश की जायगी।

*२—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार निकट भविष्य में कोई और अस्पताल उक्त इलाक़े में स्थापित करने का विचार रखती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी ऐसा प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहाड़ में पशुपालन विशेषतः भेड़ पालन की उन्नति के लिये उक्त तहसीलों में केन्द्र स्थापित होंगे, उनमें नियुक्त कर्मचारी पशुओं के रोगों के रोकथाम का भी कार्य करेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार बतलायेगी कि भेड़ पालन केन्द्र कब और कहां खोला जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—केन्द्र जल्दी ही खुलेगा और इसके लिये जांच हो रही है कि कहां खोला जायगा। जहां उपयुक्त समझा जायगा वहां खोला जायगा। माननीय सदस्य अगर मुझे सुझाव देंगे तो मैं उसका आदर करूंगा।

टनकपुर-पिठौरागढ़ रोड पर बस सर्विस

*३—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा में टनकपुर से पिठौरागढ़ तक मोटर बसें के. एम. यू. कम्पनी द्वारा ही चलायी जा रही हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार कोआपरेटिव सोसाईटीज़ को ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाने की इजाजत देगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यदि उनकी तरफ से इस संबंध में कोई सुझाव आयेगा तो उस पर विचार हो सकता है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार के० एम० यू० को मानोपली देने का कारण बतलायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—के० एम० यू० को मानोपली देने का कारण यह है कि जो अलग अलग मोटर आपरेटर्स होते हैं उनके मुकाबले में एक संगठित संस्था से काम चलाने में सुविधा होती है और यात्रियों को आसानी होती है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार के पास के० एम० यू० की बदइंतज़ामी के बारे में जनता का कोई रिप्रिजेन्टेशन आया है और इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कोई सूचना नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)—क्या यह बात सही है कि के० एम० यू० का काम कुमायूं एरिया में सब से अच्छा चला हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—के० एम० यू० का काम अच्छा है तभी उसको काम दिया गया है।

प्रदेश की परती जमीन को खेतिहर मजदूरों को देने की योजना

*४—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—प्रदेश की २६ लाख एकड़ जमीन को, जो परती है, क्या सरकार खेतिहर मजदूरों को देने की योजना पर विचार कर रही है ?

मालमंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—सरकार इस विषय पर विचार कर चुकी है और यह समझती है कि प्रदेश की भूमि के सदुपयोग के दृष्टिकोण से कुल बंजर भूमि को काश्त के लिये देना उचित न होगा। बंजर भूमि के नियत भाग पर पेड़ लगाने, चरागाह रखने, बाग लगाने आदि के लिये आदेश जारी हो चुके हैं। शेष जमीन जो भी दी जायेगी वह भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ के पारित हो जाने के बाद प्रथमतः भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को ही दी जायेगी।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पेड़ लगाने और चरागाह के लिये कितनी जमीन नियत करके आदेश दिये गये हैं और कितनी जमीन बची हुई है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो कुल जमीन के २० फीसदी से अधिक बंजर है वहां उस की आधी पेड़ लगाने के लिये रखी जाय और जहां ५ फीसदी से २० फीसदी तक बंजर है वहां ५ फीसदी तक पेड़ लगाने के लिये रखी जाय और अगर ५ फीसदी से कम है तो सब की सब ऐसे ही पेड़ों के लिये छोड़ दी जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बाग लगाने की व्यवस्था किसके द्वारा की जायगी?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह तो इस वक्त गांव सभाओं के द्वारा ही सम्भव होगा और अगर वह नहीं कर सकेंगी तो जिलाधीश वगैरा के द्वारा किया जायगा।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न में जो २६ लाख एकड़ जमीन परती लिखी गई है, क्या परती इतनी ही है या इस से कम अधिक है?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—२६ लाख एकड़ जमीन की फीगर गलत है, परती जमीन इससे ज्यादा है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि जो जमीन इस वक्त परती बताई जाती है वह कागजात में सीरदार या भूमिधर लोगों ने लिखा ली है?

श्री चरणसिंह—कागजात में जो जमीन परती दिखलाई गई है वह ८० लाख एकड़ के करीब है लेकिन इसमें से कितनी वाकई काबिल काश्त है और कितनी नाकाबिल काश्त है यह सही तौर पर नहीं बतलाया जा सकता और यह बात सही है कि कुछ जमीन जो परती है वह सीरदार और भूमिधर लोगों की होल्डिंग में शामिल है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो परती जमीन पड़ी हुई है, इसमें बड़े बड़े फार्म्स बनाने के लिये जमीन दी गयी है?

श्री चरणसिंह—जमींदारों ने दी हो तो दी हो, जब उनको अधिकार था, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी जमीन फार्म्स बनाने के लिये नहीं दी है।

श्री रामदास रविदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यकुम जुलाई के बाद किसानों और भूमिधरों ने परती भूमि में से कुछ भूमि तोड़ी हैं?

श्री चरणसिंह—अगर कोई इस तरह की जमीन तोड़ी होगी तो गासिबाना कब्जे के तौर पर तोड़ी होगी। गांव समाज को अधिकार है कि उस जमीन को वापस ले ले।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस जमीन में राजनीतिक पीड़ितों को भी कुछ हिस्सा दिया जायगा? यदि हां, तो किन-किन जिलों में?

श्री चरणसिंह—दफा १९८ में जिन लोगों को दिये जाने की जिम्मेवारी है राजनीतिक पीड़ितों के लिये तो उसमें है नहीं।

*५-७—श्री श्रीचन्द—[६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*८-९—श्री झारखंडे राय— [३० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

नैनीताल जिले के विभिन्न बीजगोदामों में आलू के बीज के वितरण के सिलसिले में ग़बन व गड़वड़ी

*१०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि नैनीताल जिले के विभिन्न बीज गोदामों में आलू के बीज के वितरण के सिलसिले में ग़बन व गड़बड़ी पायी गयी है? अगर हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुछ शिकायतें आई हैं और उनमें जांच की जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, इससे पहले कि मैं कोई पूरक प्रश्न पूछूं, मैं यह जानना चाहता था कि जो उत्तर मुझे मिला है उसमें श्री जगनप्रसाद रावत उपमंत्री के हस्ताक्षर हैं। तो क्या कोई उपमंत्री भी लिखित उत्तर दे सकते हैं। मैंने जो आज तक परिपाटी देखी है वह यह है कि हमेशा मंत्री ही के हस्ताक्षर से उत्तर दिये जाते हैं और मेरे ख़याल से माननीय चरण सिंह के नाम से उत्तर आने चाहिये थे। लेकिन यह माननीय जगनप्रसाद रावत, उपमंत्री के नाम से आये।

श्री अध्यक्ष—यह वैसे मंत्री जी के नाम से आने चाहिये। कोई भी उत्तर हो वह मंत्री जी के नाम से होना चाहिये। लेकिन यह ऐसी आपत्ति नहीं है कि जिसके लिये कोई कार्यवाही हो, बल्कि आइन्दा के लिये जरूर इस बात का विचार रखा जाय कि यहां की परिपाटी यह है कि उपमंत्री यहां भले ही उत्तर दें लेकिन वह मंत्री की तरफ से उत्तर है, यह समझा जाना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि कौन कौन बीज गोदामों में किस प्रकार के गबन और गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी इसकी जांच जारी है और जांच होने के बाद मैं आपको बता सकूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने पूछा था कि किन किन बीज गोदामों के बारे में शिकायतें आई हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—मैंने आप से कहा कि जांच होने के बाद ही नाम बताये जा सकेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस जांच के दरमियान में ही कुछ बीज गोदामों के अधिकारियों पर कोई अनुशासन की कार्रवाई की गयी है?

श्री जगनप्रसाद रावत—जांच के दौरान में भी अगर कोई गबन है और कोई बात न भी पाई जाय लेकिन अगर यह आवश्यक महसूस होता है कि जांच को मुनासिब तरीके से करने के लिये किसी का तबादला कर दिया जाय तो वह कर दिया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि भुवाली के आलू के बीज के गोदाम में पौने दो लाख रुपये के गबन के सिलसिले में जो वहां के इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनके नाम वारण्ट जारी है?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनको किसी गबन की वजह से सस्पेंड किया गया। मैंने आप से कहा कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक किसी के ऊपर दोष मढ़ना मुनासिब नहीं होता।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किसके द्वारा कराई जा रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत—मुहकमे के अधिकारियों द्वारा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि भुवाली के उक्त अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है?

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि नैनीताल जिले में अनेकों काश्तकारों की ऐसी शिकायतें आयी हैं, जिनमें कहा गया है कि उनके सरकारी आलू के बीज न लेने या लौटा देने पर भी उनके नाम बीज की कुरकी जारी की गयी? अगर ऐसी शिकायतें आयी हैं, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है इसलिये दूसरा प्रश्न नहीं उठता है।

*१२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कुमायूं के सरकारी आलू के बीज गोदामों के नियमित करने, अच्छे आलू के बीज उपलब्ध कराने व बदइन्तजामी दूर करने के हेतु कोई योजना बना रही है? अगर हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुमायूं के सरकारी बीज गोदामों का संचालन नियमित रूप से होता है, अच्छे ही आलू बीज के लिये बांटे जाते हैं। यदि किसी बदइन्तजामी की शिकायत कभी आती है तो फौरन जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाती है। ऐसी अवस्था में किसी विशेष योजना के बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

*१३-१५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[३० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—[३० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ २४२ पर]

जिला गोरखपुर में रोहिन व राप्ती नदी की बाढ़ से बचने के उपाय

*१८—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार बता सकती है कि गोरखपुर जिले में सन् १९५२ में राप्ती व रोहिन नदी के बाढ़ से कितनी और किस किस्म की सम्पत्ति नष्ट हुई है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जिला गोरखपुर में सन् १९५२ ई० में राप्ती और रोहिन नदी के बाढ़ से ७२१ गांवों में पानी आया था और ७२ मकान गिरे थे। ९३,८२५ एकड़ फसल खरीफ की क्षति हुई पर किसी मनुष्य या पशु की मृत्यु नहीं हुई।

*१९—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गोरखपुर में रोहिन व राप्ती नदी के बाढ़ से बचने के लिये इस वर्ष क्या उपाय किये जा चुके हैं और क्या क्या शेष हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—गोरखपुर तथा अन्य बाढ़ग्रस्त जिलों में बाढ़ से बचाव के उपायों का प्रश्न बाढ़ कमेटी की टेकनिकल सब कमेटी के विचाराधीन है जिसकी रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। उस उपसमिति की रिपोर्ट आने पर ही इस विषय में कोई निश्चय किया जा सकेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट कब तक पहुंचने की आशा है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—बाढ़ कमेटी ने विचार तो कर लिया है, लेकिन चीफ इंजीनियर ने अभी रिपोर्ट तैयार नहीं की है। उनको इस संबंध में लिखा गया है कि जल्द रिपोर्ट दे दें।

श्री केशव पांडेय—जिन ७२१ मकानों में पानी आया था और ७२ मकान गिरे थे सरकार ने उनकी सहायता के निमित्त क्या किया है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सरकार ने उन्हें रबी के बीज के लिये २,७८,९६० रु० तकावी के लिये दिया था और दूसरी रिलीफ के लिये ५०,१३४ रु० दिया था। इसके अलावा ए० पी० स्कीम के जरिये से गल्ले का वितरण किया और लगान में छूट भी दी।

श्री केशव पांडेय—९,३८० एकड़ खरीफ की जो क्षति हुई थी, वहां जो लोग पड़े हैं क्या उनके लिये भी सरकार ने मालगुजारी की छूट दी है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—उसकी रिपोर्ट आ जाने पर उस संबंध में भी विचार किया जायगा।

श्री केशव पाण्डेय—बाढ़ कमेटी की जो रिपोर्ट अभी आने वाली है उससे पहले बाढ़ से बचने के लिये टेम्पोरेरी तरीके से बांध वगैरह बांधकर क्या कोई उपाय सरकार करेगी?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जो कुछ होगा बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट आने पर मुश्तकिल तरीके पर किया जा सकेगा। बीच में कोई कार्यवाही करना मुनासिब नहीं मालूम पड़ता।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि अगले बरसात में बाढ़ आने से पहले बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट उनके पास आ जाय?

श्री चरण सिंह—पहली बात तो यह है कि यह जरूरी नहीं है कि अगले बरसात में बाढ़ आये ही और दूसरी बात यह है कि बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट आ जाने पर जो उसकी सिफारिशात हों उसके अनुसार ही जो कुछ हो सकेगा किया जायगा।

श्री रामसहाय शर्मा—सूखा के अवसर पर माननीय बनारसीदास जी ने राप्ती नदी पर बांध बांधने का आश्वासन दिया था, वह अब तक कार्यान्वित हुआ या नहीं?

श्री चरण सिंह—यह कैसा आश्वासन दिया था मैं समझ नहीं पाया हूं। बाढ़ के सिलसिले में मोटी सी बात यह है कि जो लोगों का यह ख्याल है कि बांध बाँधने से

बाढ़ रुक जाती है यह ख्याल इंजीनियर्स की राय में अब ग़लत साबित हो चुका है बल्कि यह है कि बांध बांधने से अगर एक जगह बाढ़ रुक जाती है तो दूसरे नीचे के गांवों में नुक़सान पहुंच जाता है। इसलिये माननीय बनारसीदास जी ने आश्वासन तो नहीं यह कहा होगा कि उस पर विचार किया जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि मकानात गिर गये थे उनमें से कितने मकान अब तक तामीर हो चुके ह?

श्री चरण सिंह—ऐसी कोई इत्तिला तो हमारे पास नहीं है और न मंगाई गई।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नदियों में प्रति वर्ष बाढ़ आती है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, प्रति वर्ष नहीं आती।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—जिस टेकनिकल सब कमेटी का सरकार ने इशारा किया है, उसमें क्या वहां के स्थानीय लोग भी रखे गये हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—पूरी लिस्ट उस कमेटी के मेम्बरान की जो पूरी कमेटी इस सम्बन्ध में है, १५ आदमियों की है। उसी १५ आदमियों में से इस टेकनिकल सब कमेटी के सदस्य रखे गये हैं। अगर माननीय सदस्य चाहते हों कि इन पन्द्रहों आदमियों का नाम मैं पढ़ दूं तो मैं पढ़ देता हूं।

१—ठा० हुकुम सिंह विश्वेन, मिनिस्टर आफ रेवेन्यू (चेयरमैन),
२—चीफ इंजीनियर वेस्टर्न कैनाल,
३—चीफ इंजीनियर ईस्टर्न कैनाल,
४—चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट,
५—डाइरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर,
६—चीफ कंजर्वेटर आफ फारेस्ट्स,
७—श्री डी० एल० शाह कंजर्वेटर आफ फारेस्ट्स वेस्टर्न सर्किल,
८—श्री भगवान सहाय, आई० सी० एस०, फूड कमिश्नर,
९—श्री अलबर्ट मेयर, प्लानिंग आफिसर,
१०—श्री आर० डी० ट्रवेट, टाउन ऐंड विलेज प्लानर,
११—श्री के० एन० कौल, प्रोफेसर आफ बोटनी, ऐग्रीकल्चर कालेज, कानपुर,
१२—श्री कमलापति त्रिपाठी,
१३—श्री राधामोहन सिंह,
१४—श्री गंगा सहाय चौबे,
१५—श्री जे० निगम, आई० सी० एस०, रेवेन्यू सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस कमेटी का निर्माण आज से मुद्दत पहले हुआ और जिसके मेम्बर भी अब सदस्य नहीं रहे उस कमेटी की रिपोर्ट के आने की आशा है या नहीं?

श्री चरण सिंह—इस फ्लड रिलीफ कमेटी के बारे में जो यह खयाल है कि बहुत अरसा हो गया है, उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि टेकनिकल सब कमेटी का टेकनिकल काम है, उसकी रिपोर्ट महीने, दो महीने छः महीने या साल भर में नहीं आ सकती है, लेकिन यह आशा करना कि उसकी रिपोर्ट आयेगी नहीं, बिलकुल निराधार है।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में कसारा नाला से फस्लों को हानि

*२०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में कसारा ग्राम के नाम पर कसारा नाला खोल कर वहां के जमे हुए पानी को बाहर निकालने की कोई योजना बनायी गयी थी?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। एक ऐसी योजना बनाई गई है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस नाले की योजना किस सन् में बनाई गयी?

श्री जगनप्रसाद रावत—उस नाले की योजना सन् १९५१ में बनायी गयी थी, लेकिन एक कठिनाई यह हुई कि उस नाले में जहां पानी जमा होता है, उसको एक दूसरे नाले के जरिये नदी में डालने की योजना थी लेकिन जिन लोगों की जमीन से होकर वह नाला जाता था उन्होंने उस पर आपत्ति की। अब जो सुपिरटेंडिंग इंजीनियर हैं उन्होंने उस योजना के लिये जो जमीन की जरूरत है उसके काग़ज़ात लैंड एक्वीजीशन आफिसर के पास भेज दिये हैं। जब वह जमीन एक्वायर हो जायगी, तब वह नाला बन कर तैयार हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय माल मंत्री जी बता सकते हैं कि यह नाले की योजना कब तक चालू हो जायगी?

श्री जगन प्रसाद रावत—मैंने कहा कि जब जमीन एक्वायर हो जायगी, तब उसके बाद नाला जल्दी ही तैयार हो जायगा।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि वह नाला एक पुरवा से होकर गुजरता है जिसमें बहुत से किसानों के मकानात बरबाद हो जायेंगे?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसकी कोई सूचना इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन जब लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही होगी, तब अगर इस तरह की शिकायत होगी, तो एतराजात सुनने के बाद ही जमींन एक्वायर की जायगी।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि कसारा ग्राम से उत्तर तरफ पूरब रुख को होता हुआ एक बहा, बहुत दिनों से कायम है, जिससे होकर पानी बहता रहता है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं। इतनी बारीक बात तो आप स्वयं जानते होंगे, कोई मंत्री इस तरह की बात का जवाब नहीं दे सकता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि नाले की खुदाई तो प्रारम्भ की जा चुकी है?

श्री जगन प्रसाद रावत—मुझ से ज्यादा माननीय सदस्य को मालूम है। मैं इसका क्या जवाब दूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माल मंत्री जी को पता है कि कई हजार एकड़ का नुकसान प्रति वर्ष इस नाले के न बनने के कारण हुआ करता है?

श्री चरण सिंह—गवर्नमेंट के किसी मेम्बर ने पटवारी का काम तो किया नहीं है कि कितना रकबा है, किधर नाला जाता है, और क्या होता है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि श्री रामसुन्दर पाण्डेय और श्री मिश्र जी दोनों मिल कर जिधर इस नाले के निकलवाने की बात कहेंगे, उधर अगर निकल सका तो निकाल दिया जायगा।

*२१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र में पानी का जमाव होने के कारण खरीफ़ और रबी के फ़सल पर नुक़सान पहुंचता है।

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

*२२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या कृषि मंत्री यह भी बता सकते हैं कि उस पानी के जमाव के कारण पशुओं की बीमारी इस क्षेत्र में फैला करती है?

श्री जगनप्रसाद रावत— जी हां। इस क्षेत्र के निचले भाग में मक्खियां पैदा होती ह। जिनके कारण पशु बीमार पड़ते हैं।

*२३—श्री नेकराम शर्मा—[६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*२४—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ट २४२ पर]

*२५—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ २४३ पर]

*२६—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—[३० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*२७—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)—[६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

टनकपुर को जिला अल्मोड़ा में मिलाने का सुझाव

*२८—श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा के चम्पावत तहसील के अधिकांश लोग जाड़ों में टनकपुर चले जाते हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जाड़ों में अल्मोड़ा जिले के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ लोग टनकपुर चले जाते हैं।

*२९—श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट— क्या सरकार के पास यह निवेदन-पत्र आये हैं कि टनकपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह केवल जिला अल्मोड़ा से ही पूर्णतया सम्बन्धित है, अतएव उसे जिला अल्मोड़ा में सम्मिलित कर दिया जाय?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ऐसे निवेदन पत्र पहले आये थे हाल में नहीं।

*३०—श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या| सरकार बतलायेगी कि टनकपुर को नैनीताल जिले के साथ सब बातों में व पुलिस विभाग के लिये पीलीभीत जिले में क्यों मिलाया गया है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—पुलिस कार्य के सम्बन्ध में यह इलाका पीलीभीत जिले से मिलाया गया था और इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस बात का निर्णय कब तक होगा?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जब विचार समाप्त हो जायगा।

श्री नरेन्द सिंह बिष्ट—क्या सरकार बतलायेगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने दौरे में यह आश्वासन दिया था कि बहुत ही जल्दी यह इलाका नैनीताल में फिर से मिला दिया जायगा?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह इलाका नैनीताल में सिवाय पुलिस के बाकी कामों के लिए है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—मेरा मतलब पुलिस से ही है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह टनकपुर इलाका इस समय पुलिस के कार्य के लिए तो जिला पीलीभीत के अन्तर्गत है बाकी और कामों के लिये जिला नैनीताल में है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं कहा था कि यह इलाका बहुत जल्द पुलिस के कार्य के लिए नैनीताल में मिला दिया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार टनकपुर को जिला अल्मोड़ा के चम्पावत और पिथौरागढ़ तहसील में मिलाने की बात सोच रही है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—टनकपुर की बात में यह रिप्रेजेंटेशन जरूर आया है कि यह अल्मोड़ा में मिला दिया जाय लेकिन यह बताया गया कि यह अभी विचाराधीन है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—टनकपुर सीमावर्ती इलाके में होने की वजह से क्या यह ठीक नहीं होगा कि नैपाल से मिला दिया जाय?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब नैनीताल जिला बना था तब से ही टनकपुर उसमें मिलाया गया है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—पहले तो यह टनकपुर जिला नैनीताल में था। लेकिन १५ नवम्बर, १८९५ को यह अल्मोड़े में मिलाया गया और फिर १ सितम्बर, १९१० को नैनीताल में मिलाया गया। उसके बाद फिर अल्मोड़े वाले इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि नैनीताल से अल्मोड़े में मिला दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १ सितम्बर, १९१० को यह दोबारा नैनीताल जिले में क्यों मिलाया गया?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह शासन की सुविधा के अनुसार नैनीताल में इसलिये मिला दिया गया कि वह तराई खाम के सुपरिंटेंडेंट के मातहत, उसके कायदे कानून और भूमि व्यवस्था के लिये ज्यादा ठीक बैठ सकता था। नैनीताल में सुपरिंटेंडेंट, तराई और भावर का हेडक्वार्टर था इसलिये वहां की व्यवस्था के अनुसार मुनासिब समझा गया और नैनीताल में मिला दिया गया।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या सरकार का विचार है कि टकनपुर फिर लत जिले में मिला दिया जाय?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—पुलिस व्यवस्था के लिए निकाल लिया गया है और नैनीताल में फिर मिलाने का विचार नहीं है।

जिला मिर्जापुर में चपरासियों, अमीनों तथा नायब तहसीलदारों की अस्थायी नियुक्तियों में हरिजनों के स्थान

*३१–श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को मालूम है कि हाल ही में जिला मिर्जापुर में जो चपरासियों, अमीनों तथा नायब तहसीलदारों की अस्थायी नियुक्तियां हुई हैं, उनमें हरिजनों के सुरक्षित स्थानों का ध्यान दिया गया है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, मिर्जापुर जिले में मालगुजारी वसूली की योजना के सम्बन्ध में चपरासियों, अमीनों और नायब तहसीलदारों के अस्थायी पदों पर नियुक्तियां करने में हरिजनों के सुरक्षित स्थानों का पूरा ध्यान रखा गया था परन्तु इन पदों के लिये केवल कुछ ही हरिजन उम्मीदवार अपेक्षित योग्यता रखते थे। अतः हरिजनों के कुल निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर उनकी नियुक्तियां न की जा सकीं।

*३२—श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस संबंध में कुछ हरिजन उम्मीदवारों की ओर से कोई प्रार्थना पत्र जिले के एम० एल० एज० के नोट के सहित सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां, दो हरिजनों का एक प्रार्थना पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था। इसको जिलाधीश के पास रिपोर्ट के लिये भेज दिया गया था जिलाधीश ने इन प्रार्थियों को दो बार अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर दिया परन्तु दोनों चुनावों में ये नायब तहसीलदारी के अस्थायी पद के लिये अयोग्य सिद्ध हुये।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या यह सच है कि अमीनों के पद पर हरिजन उम्मीदवार हाई स्कूल और इन्टर पास होने पर भी नहीं रखे गये जबकि उच्चजाति के मिडिल पास ही लोग काम करने के लिये रखे गये हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अगर बतलाया जाय तो सरकार इसकी छानबीन कर सकती है, वैसे इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के सुरक्षित स्थानों के लिये चपरासी भी योग्य नहीं मिल सकते हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—चपरासी रखे गये हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)———क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वे कौन कौनसी अयोग्यतायें हैं जिनसे उन हरिजनों को नहीं लिया गया?

श्री चरण सिंह—अगर इंटरव्यू में यह सवाल पूछा जाय कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है और उत्तर मिले कि पंडित रवीशंकर शुक्ल, तो यह अयोग्यता साबित हुई।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जी० ओ०, डेटेड लखनऊ, अक्टूबर २६, सन् १९४६, में यह दिया गया है कि अगर हरिजनों को अगर उनमें न्यूनतम योग्यता भी है तो रख लिया जायगा और क्या इसका पालन किया है?

श्री चरण सिंह—संभवतः यह जो मेरे माननीय मित्र ने सरक्युलर पढ़ा है वह इन नियुक्तियों से संबंध रखता है जो पब्लिक सरविस कमीशन के जरिये होती हैं। मैं आपकी इजाजत से सदन को बताना चाहता हूं कि १२ महीने के नायब तहसीलदारों में जितना यानी

१० प्रतिशत हरिजन भाइयों का परसेंटेज है उतने लिये भी गये हैं। लेकिन जिलाधीशों ने जो नियुक्तियां की हैं उनके लिये भी अगरचे जरूरत नहीं थी, फिर भी खासतौर से उनसे कह दिया गया था कि पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के संबंध में गवर्नमेंट की नीति का जरूर पालन किया जाय। इसके बावजूद बाद में जो शिकायतें मेरे पास आयीं उनपर मैंने तहकीकात की और एकाध में नतीजा यह हुआ कि वह नौजवान रख लिये गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में कितने चपरासी और अमीन रखे गये हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---अमीनों की कुल तादाद ७६ और चपरासी वगैरा १६७।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री बता सकते है कि उनमें कितने हरिजन हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---अमीन की संख्या कोई नहीं है और चपरासी ४ हैं।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---चपरासियों की क्यों नहीं १८ प्रतिशत सरकार के हिसाब से सीटें दी गयीं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---बहुत संभव है कि उतनी तादाद में हरिजन चपरासी न मिले हों।

* * * * *

बनारस जिले के कुछ भाग को जिला गाजीपुर में मिलाने पर विचार

*१७---श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि बनारस जिले के कुछ परगने या हिस्से जिला गाजीपुर में मिलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो वे कौन कौन से हिस्से हैं, और क्यों मिलाये जा रहे हैं?

श्री चरण सिंह---गाजीपुर जिले में जमनिया को फिर से तहसील बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस संबन्ध में एक सुझाव यह भी है कि परगना मांहेच जो इस समय बनारस में है और जो १९२५ से पहिले जमनिया का एक भाग था फिर से इस तहसील में मिला दिया जाये। रियासत बनारस के विलीन होने के बाद बनारस जिला बहुत बड़ा हो गया है और यह भी सही है कि तहसील गाजीपुर और तहसील चंदौली भी बहुत बड़ी है। इसलिये इस सुझाव पर गौर किया जा रहा है कि परगना माहेच फिर से जिला गाजीपुर में शामिल कर दिया जाय, ताकि एक तरफ तो नई जमनिया तहसील छोटी न हो जाय और दूसरी तरफ गाजीपुर और चंदौली तहसीलें इतनी बड़ी न रहें जितनी अब हैं।

* * * * *

गोवंश संरक्षण विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति

*२४---श्री रणंजय सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गोवंश संरक्षण विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने पर १२ दिसम्बर, १९५२ को मुख्य मंत्री महोदय ने जो शीघ्र एक समिति बना देने का आश्वासन दिया था वह कब तक बन जायगी?

श्री चरण सिंह---मुख्य मंत्री जी ने जिस समिति विशेष के बताने का आश्वासन दिया था वह सरकार के विचाराधीन है। उसके अध्यक्ष का नाम घोषित किया जा चुका है। शेष सदस्यों की स्वीकृति के लिये उनको पत्र लिखे गये हैं।

कट्टीखानों की गन्दगी दूर करने के विषय में सुझाव

*२५—श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एफ० ए० ओ० के श्री एफ० एच० हुक ने प्रदेश के कट्टीखानों (Slaughter Houses) के संबंध में कोई रिपोर्ट सरकार को दी है और क्या उसमें कट्टीखानों (Slaughter Houses) की गंदगी और अस्वस्थकर स्थिति के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या किया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। श्री हुक के सुझाव प्रदेश के कुछ मुख्य-मुख्य म्यूनिसिपल बोर्डों को बता दिये गये।

लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड को श्री हुक के प्रस्तावित सुधारों को कार्यान्वित करने के लिये, वित्तय वर्ष १९५३–५४ में ५० प्रतिशत अनावर्त्तक अनुदान २३,५०० देने का निश्चय सरकार ने किया है।

अतारांकित प्रश्न

कृषि विभाग में हाई स्कूल व इण्टरमीडियेट पास थर्ड ग्रुप के कर्मचारियों की संख्या

१—श्री गेंदा सिंह—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि कृषि विभाग में केवल हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट परीक्षोत्तीर्ण थर्ड ग्रूप में कितने कर्मचारी हैं?

श्री चरणसिंह — थर्ड ग्रूप में केवल हाई स्कूल पास कर्मचारी २१९ तथा इंटरमीजियेट पास १८ हैं।

२—श्री गेंदा सिंह—क्या उपर्युक्त थर्ड ग्रूप की कोई क्रमानुसार सूची (ग्रेडेशन लिस्ट) भी बनी है?

श्री चरण सिंह—थर्ड ग्रूप की ग्रेडेशन लिस्ट बनी हुई है किन्तु वह फिर से संशोधित (rveise) की जा रही है।

मैनपुरी जिले की उपजाऊ तथा बंजर भूमि

३—श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले की प्रत्येक तहसील में कितने एकड़ जमीन पर खेती की जाती है और कितने एकड़ जमीन ऊसर, बंजर और परती के रूप में खाली पड़ी है?

श्री चरण सिंह—मांगी गई सूचना माननीय सदस्य को दी हुई सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी क आगे पृष्ठ २९२ पर)

सरकारी रोडवेज विभाग के कर्मचारी

४—श्री गेंदा सिंह—क्या परिवहन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सरकारी रोडवेज विभाग में कितने कर्मचारी स्थायी हैं तथा कितने अस्थायी?

परिवहन मन्त्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—रोडवेज विभाग में सभी कर्मचारी अस्थाई हैं, रोडवेज ही अभी अस्थायी है।

५—श्री गेंदा सिंह—क्या यह सच है कर्मचारियों के कन्फ़र्म्ड न होने के कारण विभाग के कार्य में कमी होती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

६—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार निकट भविष्य में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

राज्य में मत्स्य प्रसार कार्य

७—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में किन किन स्थानों पर किन किन किस्मों की नई नई मछलियां फैलाई गयी हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित प्रकार की नई नई मछलियां फैलाई गई हैं—

(१) मिररकार्प—भुवाली (नैनीताल) और हवलगाग व बैजनाथ अलमोड़ा में।
(२) दार्जिलिंग महाशेर—भुवाली (नैनीताल) में।
(३) गोरामी—बाराबंकी व लखनऊ जिलों में।

दो कार्य—स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं और मैंने उनकी अनुमति नहीं दी है। इतनी ही मैं सदन को सूचना दे देना चाहता हूं और जो उनको अनुमति नहीं मिली है उसके लिये उनके कारण बता दिये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष १९५३—५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५३—५४ के लिये आय व्ययक में अनुदानों के के लिये प्रस्ताव लिये जावेंगे। अगर कोई प्रस्ताव समय तय करने के लिये हो तो रखें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं चाहता हूं कि आज ऊपर के २ अनुदान गाव-सभायें और पंचायतें और नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान, ले लिये जावें। इन दोनों पर आधा आधा समय रख दिया जाय। बाकी कल लिये जावें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—मैं सुझाव करता हूं कि अनुदान संख्या १४ पर ढाई घंटा रख दिया जाय यानी ३ बजकर २० मिनट तक और अनुदान संख्या ३५ के लिये एक घंटा २५ मिनट रख दिया जाय और अनुदान संख्या ४ स्टाम्प के लिये बाकी १५ मिनट रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—अनुदान संख्या ३ क्या कल के लिये रखना चाहते हैं और उसको छोड़कर ४ को आज लेना चाहते हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां।

श्री जगन्नाथ मल्ल—स्टाम्प कल ले लिया जाय इसलिये कि अनुदान संख्या १४ पर समय की अधिक जरूरत है। बल्कि नागरिक निर्माण कार्य पर समय कम कर दिया जाय और बाकी सब समय अनुदान संख्या १४ पर ही दे दिया है। स्टाम्प के लिये कल भी समय दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—यह ज्यादा उचित होगा कि स्टाम्प कल लिया जाय। दो अनुदान आज ले लिये जायं अनुदान संख्या १४ और ३५। चूंकि अनुदान संख्या १४ के लिये अधिक समय आप लेना चाहते हैं इसलिये साढ़े तीन बजे तक अनुदान संख्या १४ और साढ़े तीन बजे से पांच बजे तक अनुदान संख्या ३५ ले लिया जायगा। जो अनुदान संख्या १४ पर कटौती का प्रस्ताव लायेंगे वे २० मिनट बोलेंगे और अन्य सदस्य इस अनुदान पर १० मिनट बोलेंगे। अनुदान संख्या ३५ पर जो कटौती का प्रस्ताव लायेंगे उनके लिये १० मिनट का अन्य सदस्य केवल ७ मिनट बोलेंगे।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १४—लेखा शीर्षक २५—गांव सभायें और पंचायतें

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से, यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४ (लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन)—गांव सभायें और पंचायतें के अन्तर्गत ९२,५०,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन के सामने यह मांग पेश करने का सौभाग्य प्राप्त है और मुझे यह गर्व है कि इतने बड़े महत्व के कार्य के लिये यह मांग रख रहा हूं। गांव पंचायतों का तजुर्बा सबसे पहले इस मौजूदा रूप में हमारे प्रदेश में किया गया और इस बात की हमें खुशी है। हमारे इस तजुर्बे को इतनी अधिक सफलता की दृष्टि से देखा गया और अब लगभग सभी प्रदेश और सभी स्टेट्स इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कोई स्टेट शायद ऐसी होगी जिसमें या तो पंचायतों का काम शुरू नहीं हुआ या जो पंचायतों का कार्य शुरू नहीं करना चाहती। इस सब का श्रेय मैं इसके जनक मेरे भूतपूर्व मंत्री श्री आत्माराम गोविन्द खेर को देने के लिये अपनी खुशी का इजहार करता हूं। आज जैसा कि बारबार कहा जा चुका है हमारा देश मुख्यतया गांवों में बसा हुआ है। आज स्वराज्य मिलने के बाद गांवों में एक नई जागृति पैदा हो रही है और मैं उन सब लोगों से जिन्होंने गांवों में जा कर और वहां कुछ दिनों रहकर अगर अब तक गांवों की जागृति का अनुभव न किया हो तो गांवों में जरूर जायं और इस जागृति का अनुभव करें। उसका एक छोटा सा नमूना पिछली बार २६ जनवरी से जो सप्ताह मनाया गया था उसके देखने से मालूम होता है। गांव सभायें हर [illegible] अपनी उन्नति की कोशिश कर रही हैं। मैं अगर वह आंकडे दूं तो उनके साथ न्याय नहीं कर सकूंगा कि उन्होंने क्या क्या काम किये। जहां तक आंकड़े थोड़े बहुत जो प्राप्त हो सके हैं वह हमारी रिपोर्ट में दिये गये हैं। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि आपको रिपोर्ट देना आम तौर से हमारा स्वभाव नहीं है। गांव सभायें जो खुदमुख्तार यूनिट्स हैं वह सब आंकड़े इतनी जल्दी नहीं भेज पाते। इसलिये जो रिपोर्ट में आंकड़े दिये गये हैं वह असली हालत जाहिर नहीं करते हैं।

आज किसी तरफ भी देखिये, कोई काम भी लीजिये जो गांव में हुये हैं उनका प्रायः श्रेय ९९ प्रतिशत कम से कम गांव सभाओं को है। यह एक ऐसी जमाअत है, एक ऐसा संगठन है गांवों में जो कुछ होता है उसको वही करता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट को लीजिये, अगर कोई अहकाम निकलते हैं उनकी कोई पूर्ति कर सकता है तो वह गांव सभा ही है और उनका संगठन है।

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यह चाहे कि सीड सेंचूरेशन का काम लिया जाय तो उसके लिये एक ही साधन है और वह गांव सभा है। इससे ज्यादा और कोई दूसरा अफेक्टिव साधन नहीं है। इसलिये जितने भी काम गांवों में हो रहे हैं और जो काम गांवों में करने का

[श्री मोहनलाल गौतम]

इराबा सरकार का कोई महकमा करता है वह सब इसी के बूते पर और इसी के आधार पर करता है। गांव सभायें एक ऐसा संगठन है कि अगर वह सहायता देगा तो मामला हल हो जायगा। गांव सभा के अलग कार्यों को गिनाकर गवर्नमेंट के सारे महकमे में कार्यों को अलग करने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि गांव गांव में जो काम गवर्नमेंट के महकमों ने किया है वह सब गांव सभाओं ने ही किया है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव सभाओं के सभी कार्यों को हम अच्छी तरह से देखें और उन्हीं को सारे कामों का श्रेय देना चाहिये और उनको मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिये।

इतने बड़े कामों के लिये ९२ लाख रुपया कोई बात नहीं है। अगर इस चीज को देखा जाय, इस काम को देखा जाय तो उन्होंने अपने श्रम से गांव-गांव में किया है तब वह कई गुना इससे ज्यादा है जितनी की रकम मैं मांगने के लिये आज सदन के सामने पेश हुआ हूं। अगर आप उन सड़कों का अंदाजा करें जो सड़कें कच्ची और कहीं-कहीं पक्की भी बनवाई गई हैं और जितनी मिट्टी डाली गई है उसके कार्य का आप अंदाजा करें तो मैं यकीनन कह सकता हूं, दावों के साथ कह सकता हूं कि करोड़ों में उसकी कीमत जायगी। इससे कम नहीं रहेगी। गांव गांव में खरंजे बनाये गये। गांवों के अन्दर जो कीचड़ जमा हो जाती थी, गंदी नालियां होती थीं, उनको साफ करके पुख्ता अपने धन और मेहनत से खरंजे बनाये हैं। मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में २६ जनवरी को जब मैं वहां गया तो मुझे बतलाया गया कि खरंजे की कीमत ३४ हजार रुपये हैं। अगर वह सरकार की ओर से कराया जाता तो ३४ हजार रुपया खर्च होता। अकेले मुजफ्फरनगर जिले में मुझ से कहा गया और यह बतलाया गया कि २५० गांव के करीब हैं जिनमें खरंजे लगवाये जा चुके हैं। यह एक जिले की बात है ३४ हजार रुपये के लगभग एक गांव में खरंजे की कीमत लगती है। अगर मैं गलती नहीं करता तो मुझ से कहा गया कि २५० गांवों में खरंजे लग चुके हैं। जिन जिन गांवों में मैं गया, मुझे दिखाया गया कि किस तरह से नालियां साफ करके नालियां बनवाई जा रही हैं और खरंजे लगवाये जा रहे हैं।

एक मुजफ्फरनगर जिले की बात मैंने कही। उसी का अन्दाज लगाइयेगा तो वह भी मिलियन्स में रकम पहुंचेगी। फिर एक मुजफ्फरनगर जिला ही नहीं है बल्कि और जिले भी हैं जहां इस तरह का काम होता है। मैं मुजफ्फरनगर जिले का मुकाबला नहीं कर रहा हूं कि यही जिला सबसे अव्वल है या दोयम है बल्कि मेरे कहने का मकसद यही है कि अच्छा काम करने वालों में एक जिला यह भी है। एक आइटम की बात मैंने बताई तो वह मिलियन्स में पहुंची। ५०, ५१ जिले इस सूबे में हैं। सिर्फ अपनी गलियां पक्की बनाने और नालियां साफ रखने के लिये ताकि पानी ठीक तरह से निकल सके कितना रुपया उन्होंने खर्च किया!

जहां तक पंचायतों का ताल्लुक है वह एक केन्द्र होती हैं जहां लोग इकट्ठा होते हैं। वहां लोग मिलते जुलते हैं। ऐसे हजारों पंचायत घर पक्के और कच्चे बन चुके हैं और हजारों घर लोगों ने दान भी दिये हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसको देखकर लोग समझते हैं ५ साल पहले वाले जो गांव थे उनकी जिन्दगी में आज कितना परिवर्तन आ गया है। गांधी चबूतरे बन रहे हैं। पब्लिक वर्क्स और अन्य काम भी वहां पर करने की कोशिश हो रही है। कुएं बनवाये जा रहे हैं, सफाई का काम हो रहा है। डी० डी० टी० छिड़की जाती है ताकि इंफेक्शश डिजीजेज न फैल सकें। तरह तरह के काम गांव सभायें कर रही हैं। शिक्षा का काम भी वे करती हैं। उनके यहां प्राइमरी और एडल्ट शिक्षा का भी इंतजाम है। उनके यहां रेडियो सेट्स हैं और इस तरह से वे जो कुछ भी हो सकता है करने की कोशिश कर रही हैं। जिन लोगों ने गांवों में जाकर यह सब चीजें नहीं देखी हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कुछ दिनों गांवों में जा कर रहें और देखें कि वे गांव जो पहले बिल्कुल सुस्त थे, बिल्कुल अपनी फेट पर मुनहसर करते थे आज उनमें एक नई जागृति आ गई है। २६ जनवरी से वहां सप्ताह मनाया गया था। उसने यही नहीं कि गांव वालों के अन्दर एक जिन्दगी पैदा कर दी

बल्कि उस चीज का एक असर दूर हुआ है । इसके संबंध में मेरी बातें यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स से हुई, वकीलों से हुई और पढ़े लिखे लोगों से हुई । जर्नलिस्ट्स से हुई सब लोग यह कहते हैं कि यह एक नया रास्ता है जिससे हमारी बहुत सी आशायें पूरी होंगी । उसका आधार क्या है ? इसके करने में जिले के अधिकारी भी लगे, नेता और दूसरी पोलिटिकल पार्टीज के लोग भी लगे, यूनिवर्सिटीज ने भी हिस्सा लिया । लेकिन यह सब मिलकर दो फीसदी ही होगा । बाकी जो ९८ फीसदी काम हुआ वह सारी गांव सभाओं ने किया । एक आदमी जाकर अगर मेन मोबिलाइजेशन करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है ? वह गांव सभाओं के पदाधिकारियों की सहायता से ही कर सकता है । वगैर गांव सभाओं के पदाधिकारियों की सहायता के एक आदमी के लिये मेन मोबिलाइजेशन करना असंभव सा है । यह ठीक है कि रास्ता दिखलाने के लिये हमारे समाज के बहुत से वर्गों ने हिस्सा लिया और उस सब के लिये उन्हें बधाई दी जानी चाहिये लेकिन इस बात में भी शुबहा नहीं है कि ९८ फीसदी काम गांव सभाओं ने ही किया है । जो काम हुआ है उसमें मुख्य हाथ उनका ही है और वे ही मुख्य आधार हैं । केवल सप्ताह मनाने से काम नहीं चलेगा । हमें तभी सफलता प्राप्त होगी जब हम उस काम को जारी रक्खेंगे और जो सड़कें बनी हैं उनको मेनटेन कर सकें और उसकी जिम्मेदारी भी बहुत कुछ गांव सभाओं को ही लेनी होगी । जो लोग कभी कभी जाते हैं वे लगातार उसके तमाम काम की देखभाल कर सकें यह नहीं हो सकता । इसलिये जो उस काम को एक स्थायी रूप देंगी वे गांव सभायें हैं और उनका संगठन है । इस संगठन के लिये सरकार की जो सहायता है वह बहुत थोड़ी है और मैं समझता हूं कि ९२ लाख रुपये का जितना अच्छा उपयोग इस महकमे के द्वारा हो रहा है वह किसी से कम नहीं बल्कि सबसे अधिक ही कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

इसके ऊपर मैं और ज्यादा न कहकर मैं इसके दूसरे हिस्से की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, और वह है पंचायती अदालतें । पंचायती अदालतों के बारे में बहुत सा वादविवाद हो रहा है । हमारे ऊंचे से ऊंचे न्यायालयों के उच्च से उच्च न्यायाधीश भी इसकी आलोचना कर चुके हैं और कई ओर से यह हमला है कि पंचायती अदालतें तोड़ दी जायं । मैं इस समय इस बहस में पड़ने की जुर्रत नहीं करूंगा कि दूसरे न्यायालयों से कितना न्याय होता है, उस न्याय की क्या कीमत जनता को देनी पड़ती है । अगर यह कहा जाय कि कुछ केसेज ऐसे हैं जिनको उठा कर तमाम जनरलाइजेशन कर दिया जाय तो कोई दूसरे साहब अगर यह कहें कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट से भी इतने मर्डरर्स छूट गये इसलिये न्याय नहीं होता, इस तरह से जनरलाइज करना तो मुनासिब नहीं होगा । आज की अदालतों में कितना रुपया खर्च होता है और उससे न्याय का अंतिम रूप जो है वह क्या हो जाता है यह भी देखने की बात है । लेकिन मैं बहस में इस समय नहीं पड़ना चाहता । मैं तो, अध्यक्ष महोदय, आपकी सेवा में कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जिससे मालूम होगा कि इन पंचायती अदालतों ने अब तक क्या किया है और क्या यह काफी है कि वे जिन्दा रहें या यह काफी नहीं है और उनको तोड़ देना चाहिये । मैं निवेदन करूंगा कि इस वर्ष के आरम्भ में १–४–५२ को ९१,८७२ केसेज पेंडिंग थे । उसके बाद १०,७९४ केसेज रेस्टोर हुये, २२,०७० केसेज दूसरे कोर्ट्स से यहां ट्रांसफर हुये और १,९५,९३१ केसेज नये इंस्टीट्यूट हुये । ये फ़ीगर्स में आपको १–४–५२ से लेकर ३१–१२–५२ तक की यानी ९ महीने की दे रहा हूं । कुल मिला कर ३,२०,६५७ केसेज इन पंचायती अदालतों के सामने इन ९ महीनों में पेश हुये । अब इनमें से सिर्फ ९ महीने में इन्होंने २,१५,८६४ केसेज फैसल किये जिसका ब्योरा इस तरह से है । २३,२३९ तो रेवेन्यू केसेज थे, ७४,३६० सिविल केसेज थे और १,१८,२६५ क्रिमिनल केसेज थे । यानी कुल मिलाकर २,१५,८६४ केसेज इन्होंने ९ महीनों में फैसल किये । अगर तीन महीनों की संख्या और जोड़ दी जाय तो करीब तीन लाख केसेज के होते हैं जो इन्होंने किये । इस सदन में, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से वकील मौजूद हैं जो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह इस बात को जानते होंगे कि एक केस में औसतन गांव के रहने वालों का जिले में आना, दो चार पेशी होना,

[श्री मोहनलाल गौतम]

वकीलों को करना, गवाहों को लाना, उनको खिलाना पिलाना और ले जाना इस सब में क्या १०० रुपये से कम भी किसी केस में खर्च हो सकता है। तो अगर एक साल में ३ लाख केसेज ये अदालतें फैसल करती हैं और कम से कम हर केस में १०० रुपया ही खर्च होता है, यद्यपि इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ३ करोड़ रुपये का फायदा उन्होंने इस जनता का किया है जिसका श्रेय इन पंचायती अदालतों को ही है। क्या यह एक छोटी रकम है। (तालियां) और इससे साथ ही साथ शहरों में जाकर जो मुकदमेबाजी होती थी उससे आपस में दुश्मनी पैदा होती थी और गांवों में लाइफ (जीवन) खराब होती जा रही थी, उसको भी खराब होने से रोका है। इसके सिलसिले में ही मैं एक बात और अर्ज करूं कि इन ९ महीनों में ३२६४ केसेज ऐसे फैसल हुये जिनमें म्युचुअल कोम्प्रोमाइज हुआ। अगर साल भर का लगाया जाय तो १८ हजार कुछ सौ केसेज में आपस में फैसला हुआ। अध्यक्ष महोदय, तो क्या इस नतीजे से यह कहने की जुरअत नहीं कर सकता कि इन अदालतों ने बहुत बड़ा काम किया और इसके लिये वे बधाई की पात्र हैं? गवर्नमेंट इनको रोककर उस बुरे नक्शे को पेश करना नहीं चाहती जो उनके तोड़ने से हो जायगा।

इसके अलावा २,८२३ केसेज ९ महीने के अन्दर यानी ३,६३७ केसेज एक साल में यानी ३०० केसेज हर महीने ऐसे हुये जो उनके अपने ज्युरिसडिक्शन के नहीं थे। इन केसेज को पार्टीज ने अपनी रजामन्दी से उनके पास भेजा और उन्होंने उनका फैसला किया। क्या जब तक किसी को यह विश्वास न हो कि वे ठीक काम कर रही हैं, अच्छी हैं तब तक क्या कोई यह कह सकता है कि हमारा मुकदमा उनको सुपुर्द कर दिया जाय? इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि इन अदालतों ने जो कुछ काम किया है वह काबिले तारीफ है।

मेरे मित्र ने एक सवाल कर दिया कि इनमें से कितने रिवीजन हुये। २ लाख १५ हजार केसेज में से ९,८४९ केसेज में रिवीजन के लिये अप्लाई किया गया जिनमें से ४,१२० केसेज में रिवीजन अलाऊ हुआ और बाकी में रिजेक्ट हो गया यानी आधे से ज्यादा केसेज खारिज हो गये, पंचायत अदालतों के फैसले उनमें बरकरार रखे गये। अब ४,१२० केसेज जो रिवाइज हुये उसके ये मानी हैं कि २ फीसदी से कम केसेज में रिवीजन हुआ। और ९८ प्रतिशत केसेज में वही फैसला बरकरार रहा जो कि पंचायत अदालतों ने किया था (तालियां)। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत उन नुक्ताचीनों से पूछना चाहता हूं जो कि वक्तनफवक्तन नुक्ताचीनी किया करते हैं क्या किसी भी अदालत का इतना अच्छा रिकार्ड होता है जो कि अदालत पंचायतों का रहा है। इसके साथ ही साथ सब से बड़ी बात यह है कि अगर यह मान भी लें कि उन अदालतों में ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जिनका संबंध सीधा नहीं है, तब क्या इन निर्धनों के पास इतने रुपये हैं कि ये छोटे छोटे मामले वहां जायं? अगर नहीं हैं तो कोई रास्ता निकालना होगा। अब बहस इस बात पर की जाती है कि ये पंचायती अदालतें चुनी हुई है इसलिये गड़बड़ी होती है। ठीक है, इसमें कुछ जान है। लेकिन दूसरा रास्ता क्या है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है और अगर कोई रास्ता दिखलाई दे तो उसे सुधारा जा सकता है या उनमें खराबी है तो उन खराबियों की तरफ से नजर नहीं मोड़नी चाहिये। अगर खराबी हमारे सामने नजर आये तो इस सदन के सभी सदस्यों को और मैं तो कहूंगा कि इस प्रदेश की सारी जनता को उन खराबियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। अगर उन खराबियों को दूर करने का कोई सुझाव होगा तो मैं सहर्ष उस पर विचार करने के लिये और सही होगा तो मानने के लिये तैयार हूं। कई तजवीजें इस वक्त पेश हैं। कोई कहता है कि ये चुनी हुई न हों, और ये नामजद हों, नामजदगी हुई तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? नामजद कौन करेगा? नामजद करने में अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लेते हैं तो क्या किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इतनी जानकारी है कि वह एक जिले के हर गांव के इतने आदमियों को, जब कि यहां २५० पंचायती अदालतें हैं, इलाकेवार जाने और उनको वह नामजद कर सके?

मेरी समझ से कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इतने आदमियों को इलाकेवार नहीं जान सकता है कि पंचायती अदालतों में वही आदमी होना चाहिये। इसलिये अगर नामजद करने की बात आयेगी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर यह चीज होगी तो फिर वह वहां से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से तहसीलदार और अन्त में पटवारियों तक पहुंचेगा। अगर आप पटवारियों को इतनी ताकत और भी दे देते हैं कि वे पंचायती अदालतों को बनाने में भी मददगार हों तो जो शिकायत अब तक है वह उससे और ज्यादा बढ़ जायगी। चाहे उनका नाम पटवारी हो या लेखपाल हो या कुछ भी हो इससे कोई बहस नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग या लेजिस्लेचर के ही लोग जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं फिर भी मैं बहुत अदब के साथ यह कहूंगा कि मुझे तो अन्दाजा नहीं है, हम में से शायद ही कोई ऐसा मेम्बर हो जो अपने जिले के पंचायती अदालतों के वास्ते इतने ज्यादा ईमानदार जजों की नामजदगी करने की जानकारी रखता हो जो न्याय कर सकें। इसलिये अगर यह होगा तो उसमें भी हमें दूसरों के ऊपर मुनहसर होना पड़ेगा। तो अगर आप नामजदगी की तरफ जाते हैं तो उसमें भी खतरा है, उसमें भी कोई आसान बात नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि चुनाव का ही बिलकुल एक रास्ता है, दूसरा नहीं है जिस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरे रास्ते हैं उन पर उससे भी ज्यादा खतरा नजर आता है। इसलिये मैं नहीं कह सकता कि जो लोग नुक्ताचीनी करते हैं उन्होंने अब तक कोई रास्ता नहीं सुझाया, न कहा, फिर भी वे पंचायती अदालतों को तोड़ देने की बात कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं वे एकेडेमिक हैसियत से ही ऐसा कहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इनको तोड़ देना बड़ा मुश्किल काम है, इनको तोड़ देने से नुक्सान है। जो खराबियां हैं, जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने पर विचार किया जाय और उसमें हम सदन की पूरी सहायता चाहते हैं। इन शब्दों के साथ एक बार मैं फिर जोर के साथ कहता हूं कि इन पंचायती अदालतों ने जो काम किया है उसकी हमको सराहना करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं बहुत खुशी के साथ यह ९२,५०,२०० रु० की मांग पेश करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इससे ज्यादा उपयोग आपके रुपये का दूसरा नहीं हो सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जो ग्रांट मांगी है उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई बहस की बात नहीं है जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि यह रकम गांव पंचायतों के लिये बहुत कम है और इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना कुछ नामुनासिब सा मालूम होता है लेकिन सुझाव देने के लिये यह आवश्यक सा हुआ कि यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, हमारे दल ने और प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों ने गांव सभाओं की प्रशंसा की थी। जिस समय हमारे प्रदेश में पंचायती अदालतों का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय सारे प्रदेश में एक नये जोश की लहर दौड़ गयी थी। पंचायती अदालतों की संख्या की शकल में और ग्राम पंचायतों की संख्या की शकल में लगभग साढ़े बस लाख की फौज हमारे सामने सेवकों की खड़ी हो गयी थी। लेकिन जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है, वह घोषणा तो विकेन्द्रीकरण की करती है, डिसेन्ट्रालाइजेशन आफ पावर की करती रहती है लेकिन जब सही मायनों में डिसेन्ट्रलाइजेशन होने लगता है तब वह भयभीत हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की निश्चित राय है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और इस सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिये ४ खंभों का राज्य होना चाहिये पहला खम्भा है पंचायत राज, दूसरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तीसरा यह हमारी विधान सभा, लखनऊ, में और चौथी दिल्ली में हमारी लोक सभा। हमने सदा इस बात की जोरदार अपील की है कि जितना लैण्ड रेवेन्यू सरकार को देहात के लोगों से मिलता है बिना किसी बहस मुबाहसे के २५ फीसदी उसमें से ग्राम पंचायतों के जरिये खर्च

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

होना चाहिये। लेकिन जहां तक पंचायती अदालत और ग्राम सभाओं का सम्बन्ध है उस पर सरकार कितना व्यय करती है यह मैं आपकी आज्ञा से बतलाना चाहता हूं। पिछले सालों में पूरे रेवेन्यू से कितना कितना अंश दिया गया है यह मैं आंकड़ों से बतलाना चाहता हूं :—

वित्तीय वर्ष		कुल बजट
सन् १९५०–५१ में बजट	..	५१ करोड़ ८४ लाख
ग्राम सभाओं के लिये दिया गया	..	४० लाख ३४ हजार
१९५१–५२ में बजट	..	५५ करोड़ ४९ लाख
ग्राम सभाओं के लिये दिया गया	..	४९ लाख २० हजार
१९५२–५३ में बजट	..	६६ करोड़ ४० लाख
ग्राम सभाओं के लिये दिया गया	..	८७ लाख २ हजार
सन १९५३–५४ में बजट	..	७८ करोड़ ८० लाख
ग्राम सभाओं के लिये दिया गया धन	..	९२ लाख ५० हजार

यानी इसका औसत इस तरह से पड़ता है कि सन् १९५२–५३ में १.३१ प्रतिशत व्यय हुआ और सन् १९५३–५४ में १.१७५ प्रतिशत हुआ।

अब आप देखिये कि मालगुजारी से क्या व्यय और आमदनी हुई और उसका कितना हिस्सा इस पर खर्च किया गया :—

सन् १९५१–५२ ई० में मालगुजारी से आमदनी हुई		७ करोड़ ५८ लाख ।
,,	ग्राम सभाओं पर व्यय किया गया	४९ लाख २० हजार।
सन् १९५२–५३ ई० में मालगुजारी से आमदनी हुई		१३ करोड़ ७३ लाख।
,,	ग्राम सभाओं पर व्यय किया गया	८७ लाख २ हजार।
सन् १९५३–५४ ई० में मालगुजारी से आमदनी		१८ करोड़ ५२ लाख।
,,	ग्राम सभाओं पर व्यय	९२ लाख ५० हजार।

अब इस मालगुजारी पर आप व्यय का अनुपात देखिये कि वह कितना प्रतिशत पड़ता है।

सन् १९५२–५३ ई० में जो इस अनुदान पर व्यय किया वह ६ प्रतिशत।

सन् १९५३–५४ में जो इस अनुदान पर व्यय होगा ५ प्रतिशत।

केन्द्रीय सरकार ने एक लोकल फाइनेंस इन्क्वायरी कमेटी सन् १९४९ ई० में बिठाई थी जिसकी रिपोर्ट १६ अप्रैल सन् १९५१ ई० को प्रस्तुत हुई थी। उसमें लोगों ने साफ साफ कहा था कि १५ फीसदी मालगुजारी का हिस्सा मिलना चाहिये और उस कमेटी के श्री चुन्नी लाल ने यह कहा था कि यह १५ फीसदी मेरी राय में नाकाफी है। और वह कम से कम २५ फीसदी होना चाहिये और इस रकम को बढ़ाना चाहिये। यों तो जहां तक जबानी खर्च का सवाल है, ग्राम पंचायत के लोगों से श्रमदान और कुछ दूसरा काम लेने के लिये झूठा विश्वास सरकार उनमें पैदा करना चाहती है लेकिन सही मायनों में सत्ता के विकेन्द्रीकरण करने में हमारी सरकार डरती है। जब सरकार को मालूम हुआ कि यह तो साढ़े दस लाख फौज इकट्ठा हो गयी तो उसने ५०० इन्सपेक्टर और साढ़े आठ सौ पंच नियुक्त कर दिये और इस प्रकार से इस ताकत को नौकरशाही के नियंत्रण में कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरी राय निश्चित है कि कहीं कहीं पर भी जो

पंचायतें बना कर पंच बनाये गये हैं वहां पर जनता को गुमराह करने के लिये सरकारी प्रचार करते हैं। वहां पर जनता की दशा इतनी दयनीय बनी हुई है कि जो हम सब जानते हैं। पंचायती अदालतों के जहां पर चन्दे वसूल हो रहे हैं वहां जनता पर वह लोग हमेशा जुल्म करते हैं। इस प्रकार की घटना हमारे सामने बहुत दफे दिखाई पड़ती है कि इंसपेक्टरों ने और सेक्रेटरियों ने गांव के पंचों के थप्पड़ मार दिया है और एस० डी० एम० और डिप्टी कमिश्नरों से झगड़ा होते होते बचा है जब कि उनको महत्ता देना चाहिये था लेकिन नौकरशाही के जाल से उनकी प्रतिभा को कुंठित कर दिया गया है और रेवेन्यू की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारी सरकार पंचायतों का एक स्वांग दिखलाना चाहती है, जहां पिछले साल दस-दस और ग्यारह-ग्यारह महीने तक सेक्रेटरियों को उनका वेतन नहीं दिया गया है और कहा गया उनसे कि वह टैक्स लगा कर वसूल करके अपना काम चलावें। मैं झूठी वाह वाही लेने वाले स्वशासन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका यह कौन सा न्याय है कि वह अपने सेक्रेटरियों को साल-साल भर तक वेतन से वंचित रखते थे और इस तरह से सरकार द्वारा उनको बेईमानी सिखलाई जाती थी। सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी और उनके द्वारा टैक्स लगाने के नियमों का उल्लंघन किया जाता था और तरह-तरह की बेईमानी करने पर उनको विवश किया जाता था। होता यह है कि बैठक तक नहीं बुलाई गई और रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया और फर्जी दस्तखत करा लिये गये, इस तरह से टैक्स लगाये जाते हैं। वह पंच जो जनता द्वारा चुने हुये हैं उनके ऊपर नौकरशाही का जाल बिछा हुआ है, अनियमित वसूली की जाती है। यह साढ़े ८ हजार सेक्रेटरी रखे गये लेकिन उनके वेतन का कोई इन्तजाम नहीं किया गया। अगर बजट में देखा जाय तो कुल रकम वेतन ही वेतन की है निर्माण के काम के लिये उसमें कुछ नहीं है, स्कूल खोलने के लिये, सड़कें बनाने के लिये, रास्ते साफ करने के लिये, नये मकान बनाने के लिये और जो निर्माण के कार्य हैं उनके लिये कुछ भी नहीं रखा गया है। चुनाव तक में कांग्रेस पार्टी को एजेंट बना कर पंचायतों से काम लिया गया और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिले, कांग्रेस पार्टी के संगठन छिन्न-भिन्न हो गये तो तमाम लिस्टें भिजवा दी गईं और कहा गया कि तुम सरकारी आदमी हो कांग्रेस को वोट दो। वह लोग गांव सभाओं के प्रधान हैं और उनकी महत्ता का सरकार को ज्ञान होना चाहिये। ऐसी बात सुनकर आपको चोट जरूर लगती है और इसलिये आप, अध्यक्ष महोदय, देख रहे हैं कि हल्ला मचाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव जो रोके जा रहे हैं उनके बारे में भी हमने सुना है कि हमारी सरकार के दिमाग में यह भी बात है कि पहले गांव पंचायतों का चुनाव हो जाय और वही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये वोटर बनाये जायं। पहले तो यह कहा जाता था कि यह ऐसी संस्थायें हैं कि इन में पोलिटिकल बाडीज को न आना चाहिये बल्कि जो लोग सेवा का कार्य करना चाहते हैं उन्हीं को इसमें आना चाहिये। तो हमने ऐसा सुना है इस तरह की अफवाह है। मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि क्या गांव पंचायतों के चुनाव होने के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिये वही वोटर होंगे। और अगर ऐसा होने वाला है तो मैं समझता हूं कि विकेन्द्रीकरण की प्रणाली का सर्वनाश हो जायगा। मैं चेतावनी दूंगा सरकार को कि अगर वह सही और आसान रास्ता निकालना चाहती हो तो कम से कम प्रजातन्त्र और सत्ता के विकेन्द्रीकण के नाम पर उस रास्ते पर न चले बल्कि जहां तक गांव पंचायत का सवाल है उसमें राजनीतिक दल हिस्सा न लें और जो लोग गांव का निर्माण करना चाहते हों उनको आने दिया जाय। यह तो रही बात जहां तक सिद्धान्तों का सवाल है। तो यह मैंने कहा कि इस तरह से उन्होंने जो एक नौकरशाही का जाल बिछा दिया उसने उनके अधिकारों को समाप्त प्राय कर दिया। अब केवल एक सेना बच गयी है सरकारी कार्यों को करने के लिये।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

जहां तक मुकदमों का सवाल है, मैं इस निश्चित राय का हूं और हमारी पार्टी की भी करीब करीब यही राय है कि हम चाहते हैं कि किसानों को न्याय सस्ता मिले। सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रणाली बहुत पेचीदा और मंहगी है। चुनी हुई गांव पंचायतें जो हैं यह कोई पहली बात नहीं है; और देशों में भी एलेक्टोरेल ट्रिब्युनल्स हुई हैं। और यह सही है कि उनसे कम से कम खर्चे में न्याय सुलभ हो सकता है। लेकिन चूंकि सरकारी कर्मचारियों ने उनको बेईमानी सिखायी, इसलिये उसका असर उन पर भी पड़ा। पहले साल आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि १९५१-५२ में जहां ६ महीने के अन्दर ३ हजार ७४ मुकदमे म्युचुअल कंसेंट से डिसपोज आफ़ हो गये वही १९५२-५३ में उसी छः महीने के अन्दर १ हजार २ सौ ९३ रह गये। लगभग दो हजार मुकदमों का फर्क पड़ गया। यानी पंचायती अदालतों का वह प्रभाव नहीं रहा।

श्री मोहनलाल गौतम—यह फीगर्स कौन सी दे रहे हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—१९५१-५२ में ३ हजार ७४ और १९५२-५३ में १०२९३ मुकदमे जिनमें सुलह कर ली गयी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ जहां तक मुकदमों की फीस और जुर्मानों से आमदनी का सवाल है १९५०-५१ में ७ लाख ९० हजार ९ सौ रुपया है, १९५१-५२ में ६ लाख ७४ हजार ५ सौ २८ रु० है और १९५२-५३ में ४ लाख रुपया है। इसी स्मृति-पत्र के पृष्ठ ३४ पर दिया हुआ है, "पंचायत राज ऐक्ट के अधीन पंचायत राज पत्रिका, शीरे की बिक्री और न्यायालय शुल्क जुर्मानों से कोई प्राप्तियां नहीं हुईं जिसके कारण क्रमशः ४,१२, १,००० और ५०० की कमियां हुईं।"

यह तो सही ही है, अध्यक्ष महोदय, कि जो मैं जिक्र कर रहा हूं, सही मानों में हमारे देश में प्रजातन्त्रवाद नहीं है। इस सिलसिले में मुझे बहराइच के चुनाव की एक घटना याद आ जाती है और उसी को उद्धरित कर देना चाहता हूं। अभी हमारे स्वशासन मंत्री बहराइच के चुनाव के सिलसिले में कई राज्य की गाड़ियां लेकर गये। उन पर राज्य का झंडा लगाया उस पर जब हमारे साथी...

श्री मोहन लाल गौतम—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। जो एलेक्शन हो रहा है उसमें किसने क्या किया वह आगे चल कर एलेक्शन पेटीशन का इशू हो सकता है। ऐसी सूरत में गांव सभाओं के बजट की बहस में उसका जिक्र करना बिल्कुल इर्रेलिवेंट है।

श्री अध्यक्ष—यह बात बिल्कुल सही है। आप उसका जिक्र न करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अगर मुझे सुन लिया जाता, क्योंकि सिद्धान्त का सवाल है...

श्री अध्यक्ष—आप किसी दूसरे मौके पर, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में आप ला सकते हैं। पंचायत के सिलसिले में नहीं ला सकते।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—चूंकि पंचों पर असर डाला जा रहा है इसलिये मैं समझता हूं कि अनुकूल ही है। वैसे आप की आज्ञा। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस तरह से ढिंढोरा न पीटे और इस बात का ऐलान न करे कि वह सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रही है और इसी के लिये पंचायत राज को चलाना चाहती है। इस नौकरशाही का जो जाल बिछा है उसका कंट्रोल कम होना चाहिये। पंचायतों की महत्ता बढ़नी चाहिये। और जब बड़े से बड़ा अफसर भी गांव में जाय तो वह उनको विश करे, उनकी प्रतिष्ठा करे ताकि गांव वालों को यह मालूम हो सके कि यह हमारे नौकर हैं। और उन पर गलत तरीके से रोब न डाला जाय।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि पंचायत राज को सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सही नमूना बनाया जाय।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान हमारे सामने उपस्थित हैं उसकी महत्ता के विषय में और जिस विभाग से वह सम्बन्धित है उसकी सम्भावनाओं के सम्बन्ध में तो कोई दो रायें हो ही नहीं सकतीं, किन्तु रिपोर्ट पढ़ते समय जहां हमें यह मालूम होता है कि कुछ प्रगति हो रही है, जिस प्रकार हमें बढ़ना चाहिये हम बढ़ रहे हैं, वहां जब हम यह सोचते हैं कि यह काम जो हुआ वह कितनी पंचायतों द्वारा हुआ तब हमको स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं दिखाई देती।

मैं आपके सामने दो एक उदाहरण उपस्थित करता हूं। जैसा लिखा है कि ७,९५३ लालटेनें लगाई गयीं। अगर हिसाब लगाइये तो साढ़े चार पंचायतों में एक लालटेन लगी। जिसके मानी यह हुए कि करीब-करीब १२ या १३ गांव के बीच में एक लालटेन लगी। इसी तरह से अगर १,२८,००० कम्पोस्ट पिट्स बनाये गये तो करीब-करीब साढ़े तीन कम्पोस्ट पिट हर पंचायत में पड़े जिसके मानी यह हैं कि एक कम्पोस्ट पिट प्रति गांव, क्योंकि करीब-करीब एक पंचायत में तीन गांव आते हैं मैं समझता हूं कि इतना जागृत तो हमारा किसान है कि अगर पंचायतें न भी होतीं तो एक कम्पोस्ट पिट की गांव तो वह अपने लिये खोद ही लेता।

इस तरह से अगर देखा जाय तो जो कुछ इस ओर प्रगति हुई उससे हमें बहुत संतोष नहीं मानना चाहिये। मैं बजट के जो आंकड़े देखता हूं तो उसमें हम करीब-करीब ३ लाख यहां पर हेडक्वार्टर के एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च करते हैंये ३० लाख डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का खर्च है। ६० लाख पंचायत के सेक्रेटरीज के लिको तनख्वाह चली जाती है और शायद इतना ही ६० लाख का बजट पंचायत का जनकल्याण कार्यों के लिये मिलता है। समझ लीजिये साढ़े बानवे लाख तो एस्टेबिलशमेंट चार्जेज हैं और ६० लाख या उससे भी कम जनकल्याण कारी कार्यों के लिये उपलब्ध होता है। वह डिस्ट्रिब्यूट होता है ३६,००० पंचायतों और एक लाख से मैं अधिक गांवों में। उसका क्या अनुपात पड़ता है? मेरा जो गांव का अनुभव है उससे ई कह सकता हूं कि बहुत सी पंचायतें बिल्कुल सुप्त अवस्था में आज भी पड़ी हुरा हैं। उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं उनको कोई जाकर देखे तो उनमें कभी कोरम पूब नहीं हुआ। ज्यादातर ऐडजर्न मीटिंग्स होती है और उनमें जो सेक्रेटरी साहा को तबियत आई उन्होंने लिख दिया। सेक्रेटरियों ने भी, मैं समझता हूं, अपन फर्ज किसी तरह से भी पूरा नहीं किया। उनका केवल यही काम नहीं था कि वह जायं और उसकी कार्यवाही लिख लें। उनका काम यह भी था कि वह पंचायत को अधिक से अधिक जनप्रिय बनाते, लोगों को प्रोत्साहित करते कि वह आवें, किस तरह से कार्य करें जिससे कि वह अपना और गांव का कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार की उनसे जो आशा की गयी थी वह पूरी नहीं हुई। तो इस वक्त बहुत सी पंचायतों का एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जिसमें न फल लगे न फूल निकले। न उससे कोई साया मिलता है, न आश्रय मिलता है। वह आज इस प्रकार हैं जैसे बांसों का ढांचा बना हुआ खड़ा हो। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जो कुछ कार्य हुआ है वह थोड़ी सी अच्छी पंचायतें हैं उन्होंने किया है उनकी सम्भावनाएं बहुत हैं। बहुत करने की गुंजायश है। जहां पर कोई दो चार भले आदमी आगे बढ़े और काम किया वहां तरक्की हुई। लेकिन जिस पैमाने पर जिस अनुपात में हमको आशा थी कि पंचायतें सफलतापूर्वक काम करेंगी और जितनी जागृति वह फैलावेंगी वह मुझे तो नहीं दिखलाई देती। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, गांव से सम्पर्क रखता हूं और यह आंकड़े जो मैंने देखे तो मुझे उन्हीं बातों

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

का समर्थन करते हुये दिखाई पड़े। हालत तो यह है कि बहुत सी गांव सभाओं के सामने बजट कभी आया ही नहीं। मुझे तो इनके बारे में खुद मालूम है कि या तो मीटिंग का नोटिस दिया ही नहीं गया और अगर किसी ने नोटिस दिया तो उसका कोई असर नहीं हुआ। सेक्रेटरी और कुछ आदमियों ने मिल कर यह समझ लिया कि बेहतर यह है कि क्यों यह डुग्गी वग़ैरह की जहमत उठाई जाय, कुछ अपने लोगों की एक जगह मीटिंग करदी और लिख दिया कि मीटिंग हुई थी और मीटिंग में बजट पास हो गया। पंचायतों की मीटिंग तो यदा-कदा हो जाती है पर मैं समझता हूं कि ग्रामसभाओं की मीटिंग कितनी ऐसी होती हैं कि लोगों ने वहां पर आकर काफी संख्या में भाग लिया हो, ऐसा कम ही होगा। इस वजह से मैं कहता हूं कि वह उत्कट अभिलाषा जो कि अपने गांव के सुख और समृद्धि के लिए जनता में जागृति होनी चाहिए थी, नहीं हो पायी है। पंचायतों के अब आयन्दा एलेक्शन आने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के भी आने वाले हैं इसलिये मैं समझता हूं कि यह ऐसा समय है जब कि हम बैठ कर शान्तिपूर्वक यह सोचें कि कहां तक जो हमने एक्सपैरिमेंट किया सफल हुआ अथवा उसमें क्या त्रुटियां रह गईं, क्या न्यूनतायें रह गईं, और किस तरह से हम उनको पूरा कर सकते हैं, किस तरह से हम उनमें नया जीवन दे सकते हैं जिससे कि वह अधिक उपयोगी साबित हों। मैं समझता हूं कि एक चीज जिसका अभाव रहा वह थी शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के ही आधार पर यह पंचायत राज का वृक्ष फल और फूल सकता था और शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि सोशल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन और प्रचार जो कि ऐसा होना चाहिये था कि वह लोगों को पहले से सचेत करता कि यह पंचायतें जो आ रही हैं, वह क्या कर सकती हैं, इनके जरिये से किस तरह से न केवल गांव का बल्कि एक देश का निर्माण होने वाला है, पर यह बात वहां पर नहीं पहुंची। जो सुपरवाईजिंग आफिसर्स हैं वे महज जाते हैं एक चक्कर कर आते हैं और फार्मेल्टी पूरी करते हैं। एक दो नहीं, मैं जानता हूं कि दर्जनों ऐसे केसेज पड़े हुये हैं कि जिनके बारे में दस-दस दफा रेफरेंसेज हुए लेकिन कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं आया। कुछ पंचायतों को यह भी शिकायत है कि जब वह चाहते हैं कि किसी काम के लिए रुपया निकालें तो उस रुपये के निकालने में भी उतनी ही कठिनाई पड़ती है जितनी ट्रेजरी से रुपया निकालने में किसी अनभिज्ञ आदमी को पड़ती है कि घंटों इन में खड़े रहो और फिर भी काम न हो। वह कहते हैं कि हम प्रस्ताव पास कर देते हैं सब कुछ कर देते हैं फिर भी रुपया नहीं निकलता है। मैं नहीं समझता कि क्या दिक्कत है। अगर हमको उनको अधिकार देना है तो किसी स्टेज पर यह लाजिमी हो जायगा कि पंचायतों का रुपया पंचायतों के डिस्पोजल पर रहे, वह सेविंग्स बैंक एकाउंट में रहे और पंचायतें उसको ड्राकर सकें। उसके लिये आपका आडिट इतना कड़ा होना चाहिये कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी मालूम हो तो उस पर ऐक्शन ले। लेकिन अगर यह रुपया इस तरह रहा कि तहसीलदार के दस्तखत हों या पंचायत राज आफिसर के दस्तखत हों और फिर रुपया निकले तो यह चीज कभी काम नहीं करेगी। समय अब समाप्त हो गया है। हमारे भाई माननीय रामनारायण जी ने कहा कि बहुत सी जगह 'एलेक्टोरल रोल्स, पंचायतों द्वारा नकल कराये गये। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि बहुत से पंच तो बिल्कुल निरक्षर हैं।

अन्त में मैं यह फिर कहूंगा कि अब जब पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन आ रहे हैं, हमें यह देखना चाहिये उनके क्या कर्तव्य हों किस तरह से उनका कार्य विभाजन हो और उनमें जो चीजें सुपरफुलुअस हैं उसको किस तरह से निकाला जाय। यदि इस समय इन सब बातों पर हम निर्णय करें तो मैं समझता हूं कि यह संस्थायें बहुत आगे बढ़ सकती हैं।

श्री रमेशचन्द शर्मा (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने बड़े महत्वपूर्ण बजट पर मुझे भी बोलने की इजाजत दी। अभी सदन के

सामने कुछ माननीय सदस्यों ने पंचायत के बारे में अपनी भावना प्रकट की। गांधी जी ने अपने जीवन में जब कभी सन् १९२१ से लेकर सन् १९३०, १९३२ और १९४२ में गांवों के संबंध में अपने विचार प्रकट किये तो उनका कहना यह था कि गांव कई हजार सौ साल से उठ नहीं रहे हैं। आज बहुत से गांवों और मुल्कों की बातें अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन चाहे अमरीका को लीजिये, चाहे रूस को ले लीजिये या किसी मुल्क को लीजिये, कहीं भी गांवों की तरफ किसी का इशारा नहीं हुआ। हमारे ही देश में एक ऐसे योगी एक ऐसे क्रांतिकारी फकीर पैदा हुये, जिन्होंने गांवों की तरफ सरकार को इशारा दिया। ब्रिटिश सरकार के समय में भी उन्होंने ग्राम सुधार इसी लिये शुरू करना चाहा ताकि वे गांवों को आगे ले कर चलें, लेकिन अंग्रेजी सरकार अपने ही तरीके से आगे बढ़ना चाहती थी और उसने गांधी जी की विचार-धारा को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हम अपने प्रदेश की सरकार को इसलिये धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने गांव पंचायतों का निर्माण किया। इतना ही नहीं मैंने एक सालत क पंचायत के इंस्पेक्टरों के साथ रहकर बहुत से गांवों में देखा कि कितनी महान क्रांति गांवों में हुई है। गांवों के लोग जो पिछड़े हुये थे और जो यह जानते ही नहीं थे कि हम भी किसी मुल्क के आदमी हैं और हमें भी और मनुष्यों की तरह सुविधायें मिलनी चाहिये, उन लोगों में इस पंचायत ने महान क्रांति पैदा करदी है। किन्तु यह ९२ लाख का धन इतने बड़े प्रदेश में गांवों की तरक्की के लिये रखा गया है। जहां भी आप देखिये शहरों के लिये बजट में काफी धन दिया गया है। गांवों की माली हालत ठीक करने के लिये और उनमें महान जागृति लाने के लिये क्या यह ९२ लाख कुछ हजार का बजट काफी है? पंचायत के बहुत से कामों को देखने के बाद मैंने यह निश्चय किया है और मैं समझता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य का मत होगा कि अगर किसी मुल्क की तरक्की हो सकती है तो गांवों की जागृति से ही हो सकती है, और गांवों पर काफी रुपया व्यय करने से ही गांव उठ सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस साल का बजट तो पेश हो ही हो चुका है लेकिन आगे से माननीय मंत्री महोदय को गांवों की तरक्की के लिये, पंचायतों की तरक्की के लिये काफी रुपया रखना चाहिये।

दूसरी तरफ मैंने देखा कि बहुत सी शिकायतें चल रही हैं कि पंचायतों का काम ढीला है। बहुत से सर्क्यूलर पंचायत के संचालक की तरफ से जाया करते हैं। उनको यदि आप ठीक से पढ़ें तो मालूम होगा कि उनमें हमेशा यह लिखा रहता है कि गांवों के निर्माण कार्य के लिये यह यह काम किया जाय। लेकिन कुछ बुराई तो होती है, मनुष्य क्या देवताओं में भी बुराई आजाती है। कितने लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे मंत्री भी हैं, ऐसे पंचायत इंस्पेक्टर भी होते हैं जो अपने केन्द्रों में नहीं रहना चाहते हैं। मंत्री भी बहुत से ऐसे हैं जो घरों में रहना चाहते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष—कृपा करके पंचायत मंत्री कहियेगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—मंत्रियों से मतलब पंचायत सेक्रेटरियों से है, हमारे प्रदेश के मंत्रियों से नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने उन मंत्रियों के काम को भी २६ तारीख को देखा जहां जिलाधीश पहुंचे थे, तहसीलदार पहुंचे थे और रेवेन्यू के बड़े-बड़े कर्मचारी गये थे। पंचायत के सेक्रेटरी और पंचायत के सभापति हजारों की तादाद में निर्माण के काम में देखे गये थे। लेकिन दूसरी तरफ यहां जिस समय यह निर्माण का काम शुरू हुआ जमीन इतनी सख्त थी, मैंने पूर्वी जिलों में देखा, मेरा भी एक जिला है वहां ५ साल से पांच छ : दस कोस तक पानी नहीं पड़ा है और वहां जमीन से एक रोड़ा भी खोदना एक मुसीबत थी। लेकिन फिर भी गांव के लोग यह चाहते हैं कि हम अपने गांवों को आगे ले करके चलें। केवल कमी जो है वह रुपये की है। गांव के निर्माण के लिये जैसा कि ९२ लाख रुपया है अगर इसका कुछ भाग गांव सभाओं के प्रधानों के पास

[श्री रमेश चन्द्र शर्मा]

रख दिया जाय तो शायद उससे चना चबेना बांट कर गांव के लोग काम को आगे बढ़ा सकते थे।

दूसरी कमी जो है वह यह है कि पंचायत सेक्रेट्रियों की तनख्वाह तहसील में बटा करती है। प्रधानों को पता भी नहीं चलता कि सेक्रेट्री कब हमारे गांव में आता है और कब नहीं आता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि उनकी तनख्वाह प्रधानों के द्वारा बांटी जाया करे ताकि सेक्रेट्री यह सोचता रहे कि अगर वह अपने घर जाता है तो उसकी तनख्वाह कट जायगी। इसके साथ ही मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि गांव वालों की मदद के लिये यह रुपया रखा गया है और आशा करता हूं कि गांवों को बढ़ाने के लिये बजट में काफी तरक्की करेंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने माननीय मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना। उन्होंने यह बात कही कि हमारा जो पंचायत राज है, वह एक्सपेरीमेंट है और जो एक्सपेरीमेंट हो रहा है उसमें काफी सफलता भी हुई है और हो सकती है। पंचायत विभाग को प्रचार की दृष्टि से देखा जाय तो काफी उसमें सफलता मिली है लेकिन वास्तविकता की तरफ आइये जैसा कि हमारे माननीय चतुर्वेदी साहब ने अभी कहा उससे मैं भी सहमत हूं और मैं यह देखता हूं कि जो सफलता पंचायत राज रिपोर्ट में दिखाई गई है उसको आप देखें कि कम्पोस्ट पिट्स तीन लाख बनाये गये हैं, करीब दो लाख गत वर्ष और एक लाख के करीब इस वर्ष बनाये गये हैं। अगर यह मान लिया जाय कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ खास हिदायतें होती हैं उसके अनुसार कम्पोस्ट पिट बनते हैं तो उस दृष्टि में जितने सदस्य इस सदन में बैठे हुये हैं वह कम से कम मुझसे सहमत होंगे कि किसी गांव में शायद ही कोई कम्पोस्ट पिट मिले। हो सकता है कि जितने घूरे गांवों में होते हैं उन्हीं को कम्पोस्ट पिट का नाम दिया गया हो और उनकी संख्या दे दी गई हो लेकिन अगर कम्पोस्ट पिट की बात देखी जाय तो कम से कम मेरे क्षेत्र में कोई कम्पोस्ट पिट नहीं नजर आता। जहांतक सड़कों का सवाल है करीब करीब २,६४५ कच्ची सड़कें बना दी गयीं और ४६२ मील पक्की सड़कें बना दी गईं। तो जो यह सड़कें बनायी गयी हैं इनकी फीगर्स किस एजेंसी से की गयी हैं और यह सच भी है तो इस बात का वेरीफिकेशन माननीय मंत्री जी खुद करेंगे कि इन आंकड़ों की सत्यता क्या है।

जहां तक अदालती पंचायतों का ताल्लुक है, अदालती पंचायतें जिस दृष्टि से और जिस मकसद से बनायी गयी थीं कि जल्दी न्याय मिले, सही न्याय मिले और आसानी से मिले, और कम खर्चे में मिले इस सिद्धांत की ओर वास्तव में यह अदालती पंचायतें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, यह देखना है। अदालती पंचायतों की स्थापना होने से दो चीजें खास हुई। एक तो लिटीगेशन (मुकद्दमेबाजी) बढ़ गया है। काश यह अदालती पंचायतें जिस रूप में आज बनाई गई हैं अगर यह न बनाई जातीं तो उतना लिटीगेशन जितना बढ़ा है उतना न बढ़ता। इस लिटीगेशन के फलस्वरूप जितना रुपया कोर्टफीस इत्यादि से आय हुई है उतना भार और इन किसानों पर नहीं पड़ता। पंचायती राज किसानों को बहुत मंहगा पड़ रहा है।

हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं वे जब इस विभाग के मंत्री थे तो वे कहा करते थे कि पंचायतों का निर्माण इसलिये है कि जो पुराना पंचायती सिस्टम था यानी जहां जुर्म होते थे वहां गांव में ही बैठकर गांवों में ही फैसला बिला खर्च और बड़ी आसानी से तय हो जाया करता था और उसी पुरानी प्रथा को अपना कर पंचायतों का स्थापन हो रहा है जिससे गांव के मामूली झगड़े गांव में ही तय हो सकें। कारण आज का न्याय मंहगा हो गया है इसलिये आवश्यकता पुराने तरीके के आने की जरूरी हो गयी है। लेकिन जो पंचायती अदालतें बनी हुई हैं उनसे यह मकसद हासिल नहीं होता और इसलिये वह हासिल

नहीं होता। जो चुनाव का तरीका है वह बहुत ही डिफैक्टिव है। होता यह है कि जब पंचायतों का चुनाव होता है तो जो शख्स गांव में ऐसा होता है जिसके साथ दस-पांच शक्तिशाली गुन्डे होते हैं जब हाथ उठाने का सवाल आता है जो भय से दूसरा नाम प्रोपोज ही नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा तरीका भी हो सकता है चुनाव का यानी बैलट के जरिये से चुनाव हो। यह सही है कि उसमें खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपको सच्चे और ईमानदार पंचों को लाना है तो आपको बैलट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा तरीका यह भी है कि गांवों में पार्टीबन्दी होती है, लेकिन मोहल्लों में नहीं इसलिये मोहल्लों को वार्ड बनावें तो हो सकता है कि पंच अच्छे मिल जायं जो अच्छा काम कर सकें।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिवीजन बहुत कम हुये और उससे यह सिद्ध होता है कि पंचायतों के फैसले बहुत ठीक थे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रिवीजन कम हुये तो इसलिये नहीं कि फैसले ठीक थे बल्कि इसलिये कि गांव वाले अपनी गरीबी के कारण इस बात से असमर्थ रहें कि हाई कोर्ट में लम्बी लम्बी फीस देकर रिवीजन दायर कर सकें। (एक आवाज--हाकिम परगना के यहां जा सकते हैं।) तो अगर हाकिम परगना की ही बात है तो पंचायतें तो इसलिये कायम हुई थीं कि लोगों को अपने ही स्थान पर सस्ता शीघ्र सुलभ न्याय मिल जाय और उनको हाकिम परगना के पास न दौड़ना पड़े। और अगर फिर हाकिम परगना के पास रोज दौड़ना ही पड़े तो फिर पंचायतों की आवश्यकता ही क्या है फिर तो पंचायत स्थापन का मकसद ही समाप्त होजाता है, उसमें समय भी ज्यादा लगता है और खर्च भी ज्यादा होता है इसीलिये तो पंचायतें बनाई गयी थीं। जहां तक पंचायतों के कार्य करने का सवाल है माननीय शम्भूनाथ जी ने कहा है कि सेक्रेट्री महोदय जाते हैं और सरपंच को बुलवाते हैं गांव सभाओं की मीटिंग होती ही नहीं तो मीटिंग सेक्रेट्री बुलवाते हैं वो ही प्रस्ताव रख देते हैं और बाद में और पंचों से दस्तखत करा लेते हैं यानी कभी कोरम पूरा नहीं होता यह कार्यवाही गांव सभाओं की है। मेरा सुझाव यह है कि अदालती पंचायतों को अगर गांव सभाओं में बदल दें गांव सभा को ही अदालती पंचायत मान लीजावें और उसी गांव में रह कर गांव की स्थिति से गांव के लोग ही अच्छी तरह जानकार रहते हैं तो अगर पंचायती अदालतें तोड़ दी जायं और उसके स्थान पर गांव सभायें ही गांव पंचायतों का कार्य करें बड़ा अच्छा होगा। और बहुत सी खराबियां दूर हो जायेंगी पंचवर्षीय योजना को कार्य रूप में परिणित करना है और अगर गांव सभाओं को ही अधिकार दे दिया जाय तो जैसा कि गत दिनों में जो सप्ताह मनाया गया था और गांव सभाओं ने जो काम किया है वह सब को मालूम ही है। इस कार्य का श्रेय अदालती पंचायतों को नहीं बल्कि गांव सभाओं को ही है जिन्होंने श्रम धन देकर एक नई आशा का संचार किया। तो अगर आप इन गांव-सभाओं को अदालती अधिकार भी दें तो ज्यादा काम होगा।

पंचायतों के जरिये टैक्स वसूल किया जाता है लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है कि रुपया ठीक से खर्च हो रहा है। कोई उनके सामने बजट नहीं पेश किया जाता कि इतने रुपये की आमदनी हुई और इतना खर्च होगा यह किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं है। जो टैक्स लगे वह उन्हीं के हित के लिये खर्च हो। जिस गांव से वसूल हो अगर उसी गांव में खर्च हो जाय तो लोगों को मालूम हो कि जो कर उनसे वसूल किया जाता है वह उन्ही के हित में खर्च होता है। लेकिन आज होता क्या है। लोगों को विश्वास नहीं है कि उनके कर का ठीक उपयोग होगा। लोग कर देने से इनकार करते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि इसका कोई हिसाब उन्हें नहीं मिल पाता है। हालत आज यह हो गई है कि पार्टीबन्दी की वजह से मामूली से आदमी कुम्हार और उस कुम्हार के गधे पर भी टैक्स लगा दिया जाता है। जो गदहा उसकी रोजी का जरिया है मिट्टी ढोने का काम करता है उस पर पंचायत से टैक्स लगा दिया जाता है इसलिये इस तरह से टैक्सेशन लगाने में पंचायतों की बुनियादी नींव को भी ठेस पहुंचती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज जुर्मों की जो रिपोर्ट्स लिखी जाती है उनकी एक रिपोर्ट पंचायतों में भी दर्ज की जाय और

[श्री नेकराम शर्मा]

पतरौल-टयूबवैल आपरेटर और लेखपाल वगैरा बनने वाले हैं वह पंचायतों के मातहत होने चाहिये और रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी पंचायतों को शुरू कर देना चाहिये जिससे पंचायतों के पास काफी धन की बचत रहेगी और उससे वह काफी निर्माण कार्य कर सकेंगी और अपने मकसद जिसके लिये उनकी स्थापना हुई है उसको भी पूरा कर सकेंगी।

इसके अलावा गांवों में जितना प्रोडक्शन होता है उसके सही फिगर्स सरकार के पास नहीं पहुंचते हैं। अगर पंचायतों में रिकार्डिंग वगैरा होने लगे तो सरकार के पास सही आंकड़े आ सकते हैं कि हम फूड के मामले में सैल्फ सफीशियेंट हैं या नहीं। इसलिये जरूरी है कि जितना प्रोडेक्शन हमारे गांवों में होता है उसका रिकार्डिंग पंचायतों में ही होना चाहिये।

ब्लाक कमेटियों के संबंध में मुझे यह कहना है कि यह कमेटियां निर्माण कार्य के लिये बनाई गई हैं। कुओं के लिये सीमेंट के वास्ते दरख्वास्तें इनके पास दी जाती है, लेकिन सीमेंट नहीं मिल पाती है। हजारों दरख्वास्तें सेक्रेटरी और इंसपेक्टर लिये फिरते हैं और दो दो साल हो गये हैं लेकिन सीमेंट नहीं मिलती है सरकार को शीघ्र इसकी व्यवस्था करना चाहिये पंचायतों में विश्वास बढ़ाने के लिये।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है यह अपने स्थान पर बड़ा उपयोगी है और जो आज सरकार की तरफ से नये प्रयोग हुये हैं उसमें तो समय लगेगा कि हमारी सफलता और देश की सफलता इन गांव पंचायतों से किन अंशों में होगी।

महात्मा जी ने नोआखाली की अंतिम यात्रा में यह कहा था कि "हम ऐसे भारतवर्ष की कल्पना करते हैं जिसमें न कोई करोड़पति होगा, न कोई भूखों मरने वाला होगा, न कोई जाति होगी और सारी चीजें राष्ट्र के लिये होंगी और राष्ट्र सबके लिये होगा।" इसी भारतवर्ष की, इसी स्वाधीनता की मैं कल्पना करता हूं। हमें अपनी पंचायतों को इसी कसौटी पर कसना है।

आज हमारे यहां श्रीमन, मैं नहीं जानता कि हमारे माननीय सदस्य कहां तक मेरे मत का समर्थन करेंगे कि भारतवर्ष में राजनीतिक चेतना का जहां तक संबंध है, इन पंचायतों से एक दफा नुक्सान हुआ था, लेकिन मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आज पंचायतों का जिस तरह से कार्य है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि इन्होंने काफी रचनात्मक कार्य किया है, मैं उससे सहमत हूं कि एक कार्यक्रम विशेष कर जनता के सामूहिक सहयोग से जो श्रमदान का एक पर्व २६ जनवरी से ३० तारीख तक मनाया गया था, उसमें उन्होंने काफी कार्य किया है। लेकिन हमें तो यह देखना है कि वह क्षणिक और अस्थायी कार्य पर हमें अपनी सफलता का अंदाजा नहीं लगाना है, बल्कि देखना है कि हमारी कार्य-पद्धति किस ओर चल रही है।

जहां तक कि सेक्रेटरियों का संबंध है यह सही है कि उनके ऊपर कहीं-कहीं दोहरी और कहीं तिहरी जिम्मेदारी आ गई है। पहला काम तो यह है कि वह साधारणतः पेशकारों का काम किया करते हैं। दूसरे यह कि उनको मुख्तारों का भी काम करना पड़ता है। एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से। कभी-कभी न्यायाधीश का भी काम करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस तरह से वे बेहातों में छोड़ दिये गये हैं और वे जनता के ह्रास के कारण बन गये हैं। उन पर नियंत्रण होना चाहिये। उनको अपने को छोटे से छोटा सेवक मानकर जनता में रचनात्मक कार्य करना चाहिये। उनका संबंध वास्तव में गांवों से होना चाहिये और गांवों से ही उनको वेतन मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वह अपना दायित्व जनता के प्रति समझ सकें। वह कभी-कभी अदालत की बेंच बनाने में इंस्पेक्टर्स की दलाली करते हैं। यह कोई छिपी बात नहीं है कि बेंच बनाने में काफी पैसा लिया जाता है। कुछ पंचायती अदालतें जो काम कर रही हैं कम से कम मुझे तो उनके कार्य से संतोष नहीं मिला। किसी पंचायत में

२५ सदस्य हैं। एक ब्लाक में १३ सदस्य हैं और दूसरे में १२। तो १२ को न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। नतीजा यह होता है कि तहसीलों में जाकर तहसीलदार या एस० डी० ओ० के पेशकारों को भेद दे देते हैं। उसका उनको दर्द नहीं होता, लेकिन गांव में जब पैसा रिश्वत के रूप में लिया जाता है तो वह दर्द पुश्तैनी बना रहता है। मेरा विश्वास है कि अगर एक थाने में जहां लाख सवा लाख की आबादी होती है, दो-तीन आदमियों को जोकि ईमानदार हों उनका न्यायालय बनाया जाय। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या धारासभा के माननीय सदस्य तो उनको नहीं खोज सकते, लेकिन अगर सब मिलकर कोशिश करें तो वह निकल सकते हैं। इस तरह से एक पुलिस स्टेशन में एक न्यायालय बन जाय तो लाख सवा लाख आदमियों में से दो-तीन ईमानदार आदमी जरूर निकल आयेंगे और मेरा निश्चित मत है कि वह हर अवस्था में मनोनीत होने चाहिये। नहीं तो जो दशा है वह दशा सुधरने वाली नहीं है और हम सब उसको जानते हैं।

गांवों में कुछ लोगों को कठिनाइयां भी हो रही हैं। मोटे तौर से मैं बतलाऊं कि जो टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है उसका कहीं-कहीं अतिक्रमण भी होता रहता है। इसी तरह से गड़हियों में से किसान लोग मछलियां निकालकर खाते थे आज वह गड़हियां नीलाम कर दी जाती हैं और जो शख्स उनको नीलाम में ले लेता है उसके अलावा कोई आदमी वहां नहीं जा पाता। इसी तरह से और भी बहुत सी तकलीफें वहां लोगों को हो रही हैं। सरकार जिस चीज को लाती है उसका धर्म हो जाता है कि वह उनकी गतिविधि को भी देखे कि वे चीजें विकास पा रही हैं या नहीं। उनसे जनता सतायी तो नहीं जा रही है सरकार के सामने जो रिपोर्टस आती हैं वे साधारणतया उसके जो निम्न अधिकारी होते हैं उनके क्रम से वह चली जाती हैं और सरकार फिर उन पर यह आशा लगा लेती है कि यह हमारी सफलतायें हैं। मैं सरकार से विनती करूंगा कि अदालती पंचायतों के विषय पर बहस करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाय कि आगे आने वाले समय में सरकार इस बात की कोशिश करे कि जनता की नैतिकता, देश की नैतिकता को भी ऊपर उठाया जाय। एक समय था जबकि हम पंच परमेश्वर की कल्पना कर सकते थे लेकिन आज के समय में जब कि धर्म समय के अनुसार बदल जाता है "समय भेदेन धर्म भेदः" परिस्थितियों को देखते हुये ही हम गांवों में अपनी शासन पद्धति को निर्धारित करें और मैं आशा करता हूं कि अगर इस तरह से हम अपनी पंचायतों का पुनः संगठन करेंगे जिसमें जनता का जो मारेल है, नैतिक स्तर है वह अपनी जगह पर कायम हो तो हमें अधिक सफलता मिल सकती है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस तरफ विशेष ध्यान देंगे।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने गांव पंचायत के लिये बजट पेश किया है वह नाकाफी है। गांव पंचायतें इस राज्य का एक बहुत बड़ा अंश हैं। इन गांव पंचायतों के लिये जो ९२ लाख का बजट पेश किया गया है वह प्रत्यक्ष रूप में बहुत थोड़ा मालूम होता है। यों तो गांव पंचायतें इसलिये बनायी गयी हैं कि गांव के सब आदमियों के दिल में जनतंत्रात्मक भावना पैदा हो, लेकिन जो राज्य आज पंचायत राज के नाम से प्रसिद्ध है उसको हम पंचायत राज न कहकर इंस्पेक्टर राज या सेक्रेटरी राज कहें तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि गांव पंचायतें इन्हीं के इशारे पर सारा काम करती हैं। गांव पंचायतें आज से नहीं हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि ये बहुत पुरानी हैं, जब हमने शासन का सूत्र अपने हाथ में नहीं लिया था उस वक्त भी गांवों में पंचायतें हुआ करती थीं। वे पंचायतें स्वतंत्र थीं और अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से लोगों के सम्मने रखती थीं। लेकिन जब से हमने शासन सूत्र सम्हाला तो हमने पंचायतें इसलिए बनायीं कि वे गांवों को उत्थान की तरफ ले जायं, परन्तु ये पंचायतें आज एक तरह से गांव के लिये एक रुकावट सी हो गयी हैं। गांवों के लोग इन पंचायतों से ऊब से गये हैं। वह इसलिये कि एक तो जो पंचायतों का चुनाव हुआ वही उनके

[श्री रामसुभग वर्मा]

मन के मुताबिक नहीं हुआ। गांव पंचायतों का चुनाव इस तरह से हुआ कि चुनावों में उनके लिये कुछ रकम रखी गयी कि वह जमानत दाखिल करें, चार रुपये, पांच रुपये और दस रुपये तक। तो उस गांव के जो प्रतिष्ठित आदमी थे उन लोगों ने सोचा कि अब तो यह पंचायत कानूनी होने जा रही है तो हम क्यों न ऐसे आदमियों को अपने पक्ष में कर लें। इसलिये उन्होंने जिनके पास रुपया नहीं था उनका रुपया दाखिल किया और लोगों पर प्रभाव डालकर अपने माफ़िक चुनाव कराया और उनके पक्ष के जब पंच हुये तो खुद सरपंच बन गये उस अदालती पंचायत के।

श्री अध्यक्ष—अब आप बाद में भाषण जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त , की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बतला रहा था कि पंचायत राज्य नहीं बल्कि इंसपेक्टर राज्य गांवों में है। एक तो गांव के सेक्रेटरी वहां जाते नहीं और अगर जाते हैं तो सेक्रेटरी अथवा इंस्पेक्टर गांव के सभापति से बस्ता लेकर अपने मनके मुताबिक जो कुछ चाहते हैं लिखकर उनसे दस्तखत करा लेते हैं। गांव सभा की कोई बैठक नहीं बुलाई जाती, बल्कि अपने मन से लिखकर खेतों और खलिहानों में उनके दस्तखत करा लिये जाते हैं। वह अपने को उस गांव सभा का हाकिम समझते हैं। यह नहीं समझते कि वे गांव की सेवा करने वाले हैं तथा उनको क्या-क्या करना चाहिये। उन्हें नहीं मालूम कि किस प्रकार के सुझाव उन्हें गांव सभा को देना चाहिये। गांव सभा के कागजात भी वे अपने हाथों से भरते हैं और उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजते हैं। लिखा जाता है कि इतने वृक्ष लगाये गये लेकिन कहीं मुश्किल से एक आध वृक्ष लगाया जाता है। लिखा जाता है कि इतने सौ गड्ढे कम्पोस्ट के खोदे गये, लेकिन असल में कहीं एक भी गड्ढे का नाम वहां नहीं होता। जिस तरह से पटवारी अपने घर पर बैठ-कर कागजात तैयार कर लेता था कि फलां खेत में गेहूं बोया है और फलां खेत में फलां चीज बोयी हुई है, लेकिन मौके पर देखा जाय तो वह परती ही था। इसी तरह से आज-कल गांव सभाओं में हो रहा है। तो वह अपने को गांव सभा का अधिकारी समझते हैं और कुछ काम नहीं करते। इसलिये मैं यह बतला रहा था कि पहले जो गांवों की पंचायत थी वह अपनी स्वतंत्र भावना से सब काम किया करती थी और अच्छा करती थी, लेकिन जबसे पंचायत राज्य कायम हुआ है उस पंचायत राज से गांवों की रहने वाली जनता ऊब गयी है। इतना ही नहीं गांव सभा के सेक्रेटरी और इंसपेक्टर बैठकर टैक्स लगा देते हैं और उन लोगों से दस्तखत करा लेते हैं । इसी तरह से यह लिखकर कि इतने कूड़े हैं, इतने घूरे हैं वे वहीं बैठ कर जुर्माना करा देते हैं।

इसी तरह से अदालती पंचायतों की भी हालत हो रही है। पंचायती चुनावों में एक तरीके से बहुत बड़ी धांधली हुई। उनके लिये जो ४, ५ और १० रुपया जमानत के लिये रखा गया था जो अपने गांव का दबंग आदमी होता था उसने अपने मेल के आदमियों का जमानत का रुपया जमा कर लिया और अपने पक्ष के लायक आदमियों का चुनाव करा लिया और चुनाव हो जाने के बाद फिर अपने को सरपंच चुनवा लिया। इससे पंचायती अदालतों के उसके मुआफिक आदमी आ गये। और आने के बाद अदालतों में जो मुकदमे आते हैं उन पर पक्षपात पूर्ण फैसले होते हैं और जो मुकदमे दाखिल होते हैं वे ६, ६ महीने तक पड़े रह जाते हैं और कितनी जगहों पर तो उन मुकदमों के मिसिल के मिसिल गायब कर दिये जाते हैं। और इस तरह

से तब्दीली होती है और पक्षपातपूर्ण काम होते हैं। पहले समझा जाता था कि गांव पंचायतें गांवों को स्वर्ग बना देंगी, लेकिन गांव स्वर्ग न होकर नर्क होने जा रहा है। इस तरह की तो गांव पंचायतों की हालत है। जितनी यह सरकार योजना बनाती है वह योजना कागज पर ही रह जाती है। और जैसे उसको होना चाहिये वैसा नहीं हो रहा है। तो श्रीमन्, मैंने आपके सामने इस वक्त की पंचायतों की हालत सामने रखी। इन गांव पंचायतों को अधिकार है कि प्रारम्भिक पाठशालायें खोलें, प्रौढ़ पाठशालायें खोलें, वाचनालय खोलें, पुस्तकालय खोलें और गांव की उत्थान की सारी चीजें उनके सामने हैं। लेकिन उनके पास आमदनी कहां से आये, वे कैसे उनको चलायें? वे सोचते हैं कि टैक्स लगा देंगे इससे हो जायगा। गांव पंचायतों के सामने ये सारी चीजें हैं। तो श्रीमन्, इन सब बातों के होते हुए मैं आपके सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि पंचायत के सेक्रेटरियों का चुनाव जो हो, वह उन ग्राम पंचायतों के जरिये होना चाहिये और कुछ दिन रहने के बाद उनका तबादला हो। और ग्राम पंचायतों के अधिकारों के अपहरण की दृष्टि से जो नियम कायम किये गये हैं उनको समाप्त कर दिया जाय और पंचायत सेक्रेटरियों की नियुक्ति उन गांव सभाओं के जरिये करायी जाय।

चौथी चीज लगान वसूली की है। लगान की वसूली गांव पंचायतों द्वारा करायी जाय और जो कमीशन हो वह उनको दे दिया जाय जिससे वे अपने गांवों का उत्थान कर सकें। वहां पर सरकार वसूली के जरिये जितनी आमदनी करती है उसका कम से कम बीसवां हिस्सा या उसका कुछ हिस्सा गांव सभा को दिया जाय तो गांवों का उत्थान हो सकता है और जैसा कि मैंने सुझाव दिया अगर हर जगह सरकार ग्राम-सभाओं से काम ले तो पंचायत राज कल्याणकारी राज्य हो सकता है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायतों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह पंचायत शब्द बड़ा पुराना है और हमारे भारत-वर्ष में पहले पंचायतों द्वारा ही विवाद और झगड़ों का निर्णय हुआ करता था। इस समय भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। मैं पंचायत के सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा वर्णन कर देना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर के सोरों ग्राम में फारसी में तथा ताम्रपत्र पर लिखे हुए रेकार्ड श्री कबूलसिंह के पास हैं। जो इस समय इस सम्बन्ध में बड़ी उत्सुकता से कार्य कर रहे हैं कि पंचायतें १८ खापों की होती थीं। लाखों की संख्या में पंचायतें होती थीं और बड़े बड़े विवादों के निर्णय करने का वृत्तान्त मिलता है और यही नहीं गुजरात पंजाब और दूसरे देशों से लोग उस पंचायत में आया करते थे और उसमें सारी जाति के आदमी थे। अब से ९ सौ वर्ष पहले का रेकर्ड उसमें मौजूद है। उसके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जहां इस बात का एक सबूत मिलता है, इससे हमें सहायता भी मिल सकती है कि वे पंचायतें किस तरह से चलती थीं उससे हमें कुछ सहायता लेनी चाहिये और वहां के रेकर्ड्स जो फारसी में लिखे हुए हैं उनका अनुवाद कराकर या किसी भी प्रकार से उनकी जानकारी करना अत्यावश्यक है। मेरे भाइयों ने बहुत सी बातें पंचायतों के दोष के बारे में कहीं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि ये दोष अवश्य ही हैं परन्तु इसका निर्णय कैसे हो, किस प्रकार से यह दूर किया जाय, केवल यही सोचना है मैं तो यह समझता हूं कि पंचायतों के अन्दर जो दोष हैं वह इसलिये कि उन पंचायतों के पास साधन नहीं हैं बस यही कमी है। कुछ कानूनों का भी दोष है, हम किसी कानून के ऊपर आकर कोई कार्यवाही करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने कानून की ऐसी रुकावट आ जाती है कि जो हमारा ध्येय है उसको पूरा करने के लिये हम कागज पर ही रह जाते हैं। कागज पर ही चलते रहते हैं और वास्तविक कार्य जो करना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। सब कार्य कागज पर ही करना चाहते हैं। मैं ग्राम पंचायतों के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो

[श्री श्रीचन्द]

चुनाव पंचायतों का होता है वह बड़े ग़लत तरीके से होता है। इसके चुनाव के ४ तरीके हो सकते हैं। जैसा कि अभी जनरल एलेक्शन हुआ यह चुनाव का तरीका पंचायतों के लिये ग़लत है। गांवों के लिये यह बड़े भारी खर्चे के बोझ का प्रश्न है। इसलिये गांव पंचायतों के लिये यह एलेक्शन गलत चीज होगी।

दूसरा यह है कि पंचायतों को बुलाकर एक जगह इकट्ठा करके उनके जो हाथ उठवाये जाते हैं और तब राय ली जाती है यह ग़लत तरीका है क्योंकि इस प्रकार से जो वास्तविक सेवाभाव रखने वाले मनुष्य गांव के अन्दर होते हैं वह इस तरह से काम नहीं कर सकते। जो आदमी चालाक होते हैं और छलछिद्र के होते हैं वही सफल हो जाते हैं और सीधे सादे मनुष्य नहीं आ सकते हैं स्वार्थी लोग ही उसमें हिस्सा लेते हैं और उनको ही सफलता ऐसे अवसर पर मिलती है। इसलिये यह तरीका भी ग़लत है।

तीसरा यह है कि जब किसी पंचायत का चुनाव होता है तो जितने मनुष्य वहां पर हों उनको दो भागों में बांट दिया जाय। एक तरफ एक पार्टी के कर लिये जायं और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी कर ली जाय और उनकी गणना आरम्भ की जाय तो यह चीज भी ग़लत होगी क्योंकि जो आदमी चालाक और स्वार्थी है और आगे बढ़ना चाहता है वही अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। वह तिकड़म से काम लेकर अपना काम कर लेता है।

चौथा तरीका नामजदगी का है। उसके लिये माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यह तरीका भी खराब है यह भी नहीं होना चाहिये। जैसा कि मान लीजिये कि एक कलेक्टर या आफिसर गांव के आदमी को नहीं जानता है वह किसी दूसरे सहायक कर्मचारी की सहायता लेता है। यदि वह अपने तरफ के किसी आदमी का ही नाम देता है तो वह गलत आदमी को पेश कर सकता है। इसलिये यह तरीका भी गलत ही है।

एक पांचवां तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। मैं समझता हूं कि यह तरीका इतना सीधा-सादा होगा कि इसमें खतरे की कोई चीज नहीं हो सकती है। जहां तक मुझे अनुभव है म जानता हूं क्योंकि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूमा हूं। मैं बड़े फख्र के साथ यह कह सकता हूं कि जितने कम झगड़े मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुये हैं उससे कम शायद कहीं भी न हुये हों। बड़े-बड़े क़त्ल के झगड़े इस प्रकार से फैसल हो गये कि जो सब जगह पर बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि यह किया जाय तो यह अधिक अच्छा होगा। जिस प्रकार से मुझे इसका अनुभव है वह यही है कि जिस जगह पर पंचायतों की नियुक्ति करनी हो वहां पर मुनादी करा दी जाय और उन गांव वालों से यह कह दिया जाय कि वे लोग मुहल्लेवार एक-एक व्यक्ति को स्वयं छांट लें। देहातों में मुहल्लेवार पार्टी नहीं होती हैं। कुल गांव में तो तनातनी होती है, लेकिन मुहल्लेवार नहीं होती। वह एक मुहल्ले का एक आदमी स्वयं छांट कर दें। तो इस प्रकार के सच्चे और ईमानदार आदमी कार्य करने वाले मिल जायंगे। जहां तक मैं समझता हूं मेरा अनुभव यही है कि यदि इस प्रकार से एक व्यक्ति को मुहल्लेवार लिया जाय तो सच्चे और ठीक कार्य करने वाले आदमी मिल सकते हैं। आपकी जो पंचायतें गांवों में बनेंगी वह निहायत ईमानदार और सच्ची पंचायतें होंगी। फिर आपको कोई इनके विरोध में कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि बदनामी हुई या झगड़ा हुआ। इसलिये मैंने जो यह पांचवां तरीका आपके सामने रखा है उसके लिये मेरा पूरा अनुभव है और इससे पूरी सफलता मिलेगी। अब गांव की पंचायतें इतनी बड़ी-बड़ी हैं और मैं समझता हूं कि गांव की पंचायतों की ऐसी बड़ी संख्या न रक्खी जाय और जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया कि वह ५० से भी कहीं-कहीं ऊपर हैं और यह भी सही है कि उनमें से बहुतों को पता तक नहीं है कि हमें क्या करना है, हम किधर जा रहे हैं, वह न दिमाग से बातें सोचते हैं और न उनको शारीरिक काम करने का ही मौक़ा मिलता है

और उनको अपने काम धन्धे तथा खाने-पीने के कामों से ही फुरसत नहीं मिलती है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और जो ढंग मैंने चुनाव का बताया वह रखा जाय।

अदालती पंचायतों के कानून में भी बहुत दोष है और पंचायत राज ऐक्ट शुरू से आखीर तक बिल्कुल गलत और बेढंगा है और उसमें सीधे ही दोष नजर आते हैं और उसका सबसे बड़ा दोष यह है कि जो पंच छांटने का तरीका है वह ऐसा है कि एक गांव से पांच पंच छांटे जाते हैं, जैसे ५ गांवों में से ५ छांट लिये गये और सरपंच को अधिकार होगा कि वह जैसे चाहे उनमें से पांच पंच छांट लें, वह बेईमान या ईमानदार जैसे चाहे छांट सकता है जैसा उसका भाव होगा, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अदालती पंचायतें सही तरीके से बन सकती हैं। मैं समझता हूं कि यह अदालती पंचायतों के फैसले का प्रबन्ध बिल्कुल गलत है। होना यह चाहिये कि छांटते तथा निर्णय करते वक्त उसमें गांव के आदमी भी शामिल होने चाहिये और खुला निर्णय होना चाहिये। मुनादी करा दी जाय और खुल्लमखुल्ला जनता के सामने उनको छांटा जाय ताकि किसी को बेईमानी का अवसर न मिले, तब निर्णय ठीक हो सकता है। इस तरह से सब की सुननी चाहिये। जैसा कि मैंने १८ खापों का जिक्र किया उससे सब बातें मिल सकती हैं, मेरा विचार है कि जितने हाई कोर्ट आदि हैं वह इस तरह चलाकर धीरे-धीरे बन्द कर देने होंगे और यदि भली प्रकार से हमारे सब मित्रों ने इन पंचायतों को चलाया तो वह दिन दूर नहीं है कि हमारे देश में स्वर्ग हो जाय।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो अनुदान सदन के सामने उपस्थित है उसका मैं स्वागत करता हूं और मेरी अपनी राय यह है कि यह अनुदान बहुत ही माकूल है और इसको माडेस्ट कहा जा सकता है, लेकिन यह कहना कि अनुदान नाकाफी है, गलत है और मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने यह राय जाहिर की है कि यह अनुदान नाकाफी है गालिबन उन्होंने इस अनुदान को सही तरीके से समझने की चेष्टा नहीं की। यह सही है कि पंचायत राज विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और यह एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करता है और किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य के लिये यह पंचायत राज विभाग एक बेसिक यूनिट हो जाता है, तमाम प्रकार के वेलफेयर के काम करने के लिए जो कि एक स्टेट करना चाहती है। कोई भी स्टेट जो कि एक कल्याणकारी राज्य चलाना चाहती है वह सेन्ट्रेलाइजेशन या सत्ता का केन्द्रीयकरण करके अपने काम को या शासन को नहीं चला सकती। उसके लिये लाजमी हो जाता है कि वह शासन के सबसे छोटे यूनिट को लेकर आगे बढ़े और यही गांव सभायें इस लोक कल्याणकारी राज्य को चलाने के लिये बेसिक यूनिट हैं। यह पंचायत राज विभाग इस मानी में बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और यदि कल्याणकारी शासन को भली प्रकार चलाना है तो हमें अपनी गांव सभाओं को ताकत देनी होगी, हमें उनको सही रास्ते पर ढालना होगा। यह आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। पर यह कहना कि इस विभाग को इससे ज्यादा अनुदान मांगना चाहिए था यह बात सही प्रतीत नहीं होती। इसलिये कि जहां तक उसके ढांचे का ताल्लुक है गांव सभा के अन्दर आपनें गांव पंचायतें और अदालती पंचायतें बनायीं। उनके रोजमर्रा के काम चलाने के लिये यह अनुदान मांगा गया है मसलन कुछ कर्मचारी हैं। अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह मांगते हैं और कुछ दूसरे खर्चों को मांगते हैं। मगर यह कहना गलत है कि उन तमाम कार्यों के लिए जिनको पंचायत करेगी इस अनुदान में व्यवस्था होनी चाहिये, इसलिये कि अगर पंचायत खेती के काम में कुछ उन्नति करना चाहती हैं तो यह कहना कि खेती के कामों के लिए पंचायत विभाग को अनुदान मांगना चाहिए या शिक्षा की उन्नति के लिये कुछ स्कूल गांव पंचायत खोलना चाहती है तो यह कहना कि शिक्षा कार्य के लिये इस

[श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना]

विभाग को अनुदान मांगना चाहिये यह ग़लत है। शिक्षा, खेती, सड़कों अस्पतालों वग़ैरह-वग़ैरह के जो काम होते हैं उनके लिये हम विभिन्न मदों के अन्दर अनुदान मांगते हैं। अब उन मांगों को सही तरीके से खर्च करने की बात है। वह सारे के सारे कार्य इस पंचायत राज विभाग जो कि बुनियादी यूनिट है हमारी गांव सभाओं को, उन पर डाला जाय और गालिबन जो गलती हो रही है वह यही हो रही है कि हमारे शासन के जो दूसरे विभाग हैं वह अपने कार्यों को विकेन्द्रित नहीं कर रहे हैं। मसलन सिंचाई का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, अगर इन्हें गांव सभाओं के सुपुर्द किया जाय तो मैं समझता हूं कि जिस सफलता से आज चल रहे हैं उससे ज्यादा सफलता के साथ चलेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि यह जो पंचायत राज्य विभाग की ओर से अनुदान मांगा गया है, माडेस्ट हो सकता है, लेकिन यह नाकाफी नहीं है और इसलिये मैं इस मांग का स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और इसलिये हमें देखना है कि उसके सब कल-पुरजे सही तरीके से काम करें। माननीय विरोधी दल के उपनेता श्री रामनारायण त्रिपाठी ने जो ऐतराज किये मैं संक्षेप में सिर्फ उनकी बात करूंगा। एक तो उन्होंने यह कहा कि यह जो एक जाल ब्योरोक्रेसी का बुना गया है इंस्पेक्टरों और सेक्रेटरियों का, इस वजह से पंचायत राज का सारा का सारा ढांचा फेल हो रहा है। मैं उनसे इस बारे में सहमत नहीं हूं। अगर मान लीजिये कि इन इंस्पेक्टरों और सेक्रेटरियों को न रखें और सारा काम इन चुने हुये पञ्चों पर छोड़ दिया जाय तो क्या उनका खयाल है कि इससे ज्यादा अच्छी तरह से काम चलेगा। मैं समझता हूं कि उनकी मर्ज की तशखीस ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से पंचायत राज को काम करना चाहिये वह नहीं कर रहा है, लेकिन इसलिये नहीं कि ब्योरोक्रेसी लेबिल पर यह विभाग कर दिया गया है। मेरी राय में यह बात सही नहीं है इसलिये कि जो उनका रोजमर्रा का काम है, कुछ हिसाब-किताब रखने के लिये, लिखाई-पढ़ाई का काम करने के लिये अगर आप गांव सभा के सदस्यों से यह आशा करें कि वह इतना वक्त उसमें देंगे तो मैं समझता हूं कि नहीं देंगे। इसलिये उसमें इस तरीके की मशीनरी होनी चाहिये जो कि इन तमाम कार्यों को करे। उसके लिये एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो कि होलटाइम हो। उसके लिये सेक्रेटरी रखा गया। सेक्रेटरी की तनख्वाह सिर्फ इस वजह से गांव सभा द्वारा दी जाती थी ताकि गांव सभा अपनी जिम्मेदारी समझे कि वह हमारा सेवक है, वह हम पर बास करने के लिए नहीं है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि वह तनख्वाह नहीं निकाल सकीं और पारसाल के बजट में लाना पड़ा कि जिन सेक्रेटरियों की तनख्वाहें बाकी हैं उनको सरकार दे। ऐसी सूरत में सेक्रेटरी रखने की वजह से चुनी हुई गांव सभाओं का ढांचा गलत हो गया। मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि वातावरण इस बात का पैदा किया जाय। हमारे कल्याण के जितने कार्य हो सकते हैं उनमें अगर जनता खुद कार्य करने को तैयार नहीं तो सफलता नहीं हो सकती चाहे हम कितना ही पैसा खर्च कर दें। इसलिये जहां पैसे की इतनी कमी होते हुये हम पैसा खर्च नहीं कर सकते वहां यह सोचना कि सारे कार्य को हम पैसा लगा करके कर सकते हैं, तो यह नहीं हो सकता। उसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसी भावना और विश्वास लोगों में पैदा करें, एक ऐसा वातावरण पैदा करें जिस से लोग उस लोक कल्याणकारी कार्य को अपना काम समझकर करने लगें तो हमें सफलता हो सकती है। तो मैं यह कहूंगा कि गांव सभा का काम है उसकी महत्ता को समझने के लिये इस बात की जरूरत है कि जो अपने को राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं वह ऐसे कामों में लगें और लग करके ऐसा वातावरण मुल्क में पैदा करें कि जो वालंटरी तौर की गांव सभाएं हैं वह अपना महत्व समझें।

जहां तक यह बात कही गयी कि उनको सही आदर देना चाहिये तो इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। जब बाहर से कोई अधिकारी जाते हैं तो सब से पहले उनको उनके पास जाना चाहिये।

मैं संक्षेप में एक बात और कहना चाहता हूं कि यह सही हो सकता है, जिस तरह के आंकड़े यहां पर दिये गये, कि अदालती पंचायतों ने कार्य किया, लेकिन मेरा ख़याल यह है और अनुभव यह है और वह भी सीमित है एक जिले का आदमी होने की हैसियत से, लेकिन मेरा ख़याल है कि पंचायती अदालत काम नहीं कर रही है। वहां अक्सर देखा जाता है कि अनहैल्दी राइवलरी पैदा हो जाती है। तो यह चीज तो बहुत रैश होगी कि एकाएक तमाम पंचायती अदालतों को ख़त्म कर दिया जाय, लेकिन ऐक्ट में तरमीम होने की आवश्यकता है जिससे वह उन चीजों का दुरुपयोग न कर सकें। वह यह कि मौजूदा ऐक्ट में जो रिवीजन का तरीका है अगर उसे अपील का तरीक़ा कर दें तो सुविधा होगी और पंचायती अदालतें उस तरह से अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगी जैसा कि आज की हालत में होता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्रीजी मेरी इन बातों पर पर विचार करेंगे।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृतज्ञ हूं कि आप ने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने भी विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया।

जिस समय पंचायतों की स्थापना की जा रही थी सर्वत्र रामराज्य के लिये विज्ञप्तियां निकली थीं और लोगों को समझाया जा रहा था कि अब देश की दशा सुधरेगी, रामराज्य की स्थापना होगी। बड़ा उत्तम नाम था। कुछ लोग यदि इसी कारण से रामराज्य शब्द का मतलब न समझ कर चौंकते भी थे तो उन्हें समझा दिया जाता था। मैं लोगों से कहता था कि रामराज्य का अभिप्राय है "आराम राज्य" और इसमें सब को आराम मिलेगा। इस प्रकार से उसके लिये जब चारों ओर सभायें होती थीं, उत्साह मनाया जाता था और बड़ी आशा होती थी कि उससे बहुत ही शीघ्र हमारे ग्रामों की दशा सुधरेगी। उस समय मैंने एक कवित्त बनाया था। मैं समझता हूं कि यद्यपि यह कवित्त देहात के लिये है, लेकिन मेरी जो भविष्यबाणी थी उसे मेरे मित्रों ने कहा था कि वह ठीक निकलेगी। मैंने उस कवित्त में दो बातों का निवेदन किया था। उस में मैंने कहा था कि अगर ग्राम पंचायतें अच्छी बनती हैं तो उनसे सुख मिलेगा और अगर अच्छी नहीं बनतीं तो दुःख होगा। इसी प्रकार से मैं उस समय लोगों से यह भी निवेदन करता था और मुझसे बड़े-बड़े राज्य कर्मचारीगण भी सहमत थे कि यह कवित्त सामयिक है। उस में मैंने निवेदन किया था,

> "सज्जन सम्पन्न यदि ग्राम—पंचायतें बनीं, दुःख दशा सुख में शीघ्र बदल जायगी,
> खल दल घुसा तो खलबली मचेगी बड़ी, योजना सकल बिना कल खल जायगी।
> रामराज्य स्वप्न, न हराम राज्य होने पाये, अन्यथा निशाचरों की चाल चल जायगी,
> और 'ददन' होगी वृथा बापू की शिक्षा सारी, स्वार्थी दुराचारियों की दाल गल जायगी।"

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—एक मर्तबा और दोहरा दीजिये।

श्री रणंजय सिंह—इस प्रकार से श्रीमान् जी मैंने देखा कि बड़ा प्रयत्न किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रामों की दशा अभी ऐसी अच्छी नहीं हुई है कि उनके द्वारा ये जितने भी कार्य हैं वह सरलता के साथ हो सकें। उसके लिये, प्रयत्न किया जा रहा है, योजनायें बनाई जा रही हैं और आशा है कि धीरे धीरे यदि पूरा पूरा ध्यान दिया गया तो वहां सुधार हो जायगा। उस समय जब कि ये बातें चारों ओर कही जाती थीं तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। पंचायतों की जो स्थापना हुई उसमें कोई संदेह नहीं कि जैसा कि अब डैमोक्रेसी के नाम पर कहीं बहुत से ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि उसके योग्य नहीं होते वैसे ही पंचायतों में भी हुआ और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा और देखा गया है कि वहां पर हाथ उठाने की प्रथा से कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिसका प्रभाव ज्यादा होता है वह लोगों को अपनी ओर मिला

[श्री रणंजय सिंह]

लेता है और इस तरह से ठीक न्याय नहीं हो पाता। इस प्रकार से पंचायतें जब बनीं उनका जो परिणाम निकला उसके लिये बड़े बड़े न्यायालयों ने भी कुछ आलोचना की है और असन्तोष प्रकट किया है। हमारे मंत्री महोदय ने भी कुछ ऐसे ही इसके संबंध में विचार प्रकट किये हैं। इस प्रकार से मैं यह जानता हूं कि यह बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है और इसके लिये बड़े सुधार की आवश्यकता है। इसके संबंध में मुझे एक बात यह बड़ी आवश्यक निवेदन करनी है। जैसा कि मैं प्रायः कहा करता हूं और आज भी कहता हूं कि शासन में दृढ़ता होनी चाहिये और शासन में जैसे धर्म निरपेक्षता है वैसे ही दल निरपेक्षता भी हो तभी काम होगा और इस प्रकार दृढ़ता से काम करेंगे तो ज्यादा काम होगा इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत से हमारे इंस्पेक्टर्स की यह शिकायत है कि वह अपने स्थानों पर रहते नहीं हैं, चले जाते हैं और कोई सरकारी अफसर जब वहां पहुंचता है, वह अनुपस्थित मिला तो उस समय तो वह सरकारी अफसर पूंछ-तांछ कर के चला गया और फिर बाद को जब वह आये तो उन्होंने अपना रोजनामचा भर दिया कि अमुक स्थान पर अमुक कार्य के लिये गये हुये थे। तो इसके लिये साहस कैसे होता है। साहस इसी से होता है कि बहुत से लोग यह समझते हैं कि केवल किसी दल विशेष के कारण या किसी व्यक्ति विशेष के कारण कहीं नियुक्त होते हैं और उनका स्थानान्तरण होता है तो इस प्रकार से उनके भरोसे पर मनमानी करते हैं। यदि यह मनमानी दूर कर दी जाय तो बहुत बड़ा सुधार हो सकता है इसलिये कि उन लोगों को पता चल जायगा कि बिल्कुल न्याय के साथ उनके साथ बर्ताव होगा। जहां तक बाहर के लोग आ कर उनके संबंध में सिफारिश करते हैं उनके लिये दौड़ धूप करते हैं कि उनकी अमुक स्थान पर नियुक्ति हो जाय या उनका अमुक स्थान पर स्थानान्तरण हो जाय यह सब बातें जब दूर हो जायंगी तो ग्रामीणों को बड़ी सुविधा हो जायगी और ग्रामीण लोग भी समझेंगे कि जिस तरह से उनसे कहा गया था कि पंचायतों से बड़ा लाभ होगा तो वह लाभ वह प्राप्त करने लगेंगे। इस प्रकार से और बातें हैं जैसे कि ग्राम पंचायतों के ऊपर उत्तरदायित्व अधिक से अधिक दिया जाय और इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक ग्रामीणों में सुधार नहीं होगा, ग्रामों में लोगों को इस प्रकार के उत्तरदायित्व नहीं दिये जायंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होगा, तब तक सच्चा स्वराज्य लोगों को नहीं प्राप्त होगा। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को अधिक से अधिक अधिकार दिये जायं और साथ ही साथ उन अधिकारों का सदुपयोग भी हो। इन बातों को ध्यान में रख कर माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह तो स्वयं ही इन बातों पर विचार करते ही हैं लेकिन फिर भी इस ओर और कुछ विशेष रूप से ऐसा प्रबन्ध किया जाय जिससे लोगों को यह शिकायत न हों। मुकदमों में ग्राम पंचायत में लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। लोग कहते हैं कि क्या लाभ हुआ यहां पर भी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो देहात में लोग बहुत से ऐसे ही हैं जो बहुत समझदार नहीं हैं। उनके लिये आवश्यकता इस बात की है कि उनके साथ बहुत अच्छी तरह से सद्व्यवहार हो और उनके मुक़दमों का निर्णय बहुत सुगमता के साथ और न्यायपूर्ण हो। मैं देखता हूं और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब अपीलें की जाती हैं तो मैजिस्ट्रेट कभी कभी उनके विरुद्ध ऐसा निर्णय देता है कि पंचायतों में बड़ी गड़बड़ी रही, और वहां पर न्याय नहीं हुआ। अब चुनाव फिर आने वाला है मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस ओर ऐसी बातें की जायं कि इन पंचायतों को राजनीतिक दलबन्दियों के अखाड़े से दूर किया जाय। वहां पर सामाजिक कार्यकर्ता लोग जांय चाहे वह किसी भी दल के हों। वह वहां जायं, सुधार करें। प्रयत्न करें, मिलजुल कर काम करें, संगठित रूप से काम हो और इस प्रकार से पंचायती राज्य स्थापित किया जाय। यहां पर सब लोग देश के नाम पर, एक राष्ट्रीय झंडे के नीचे मिलजुल कर रहें। यह न करें कि वह किसी दल विशेष के हैं और वह उस दल विशेष के नहीं हैं। इस प्रकार हमारे ग्रामीणों की दशा सुधरेगी, ग्रामों में शान्ति की स्थापना होगी और ग्राम पंचायतों का महत्व अधिकाधिक बढ़ता चला जायगा। इसलिये मैं श्रीमान् जी से निवेदन करूंगा कि इसके संबंध में बहुत सी यहां पर बहसें हो रही हैं, किन्तु मेरा यह सुझाव है कि ग्रामों और ग्राम पंचायतों की दशा सुधारने के लिये निष्पक्षरूप से कार्य किया जाय जिस से ग्रामों में सुख सम्पत्ति आवे।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला आजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आ रही है:

कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके,
चान्स पाया है इल्तजा करके ।

जो मांग माननीय मंत्री जी ने उपस्थित की है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे इस प्रदेश में पंचायत राज की स्थापना हुई, सचमुच वह एक क्रान्तिकारी क़दम है और उससे हमारे देहातों का भाग्य पलटा। पंचायतों का जो कुछ काम हुआ है उसके बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें कही हैं, किसी ने कहा कि साहब वहां सेक्रेटरी राज्य है, किसी ने कहा कि वहां इंस्पेक्टर राज्य है, जैसे लोग किसी वक्त में कहा करते थे कि पटवारी राज्य है, लेकिन न इस देश में कभी पटवारी राज्य था और न है, और न इस देश के अन्दर सेक्रेटरी राज्य है और न इंस्पेक्टर राज्य है, बल्कि यहां पंचायत राज्य है। इस देश में सदियों तक गुलामी रही अंग्रेजी राज्य रहा, ब्यूरोक्रेसी रही, तो वह छाप एकदम से कैसे चली जायगी। आप की पंचायतों ने जिस तरह से काम किये हैं, जो आज पंचायतों में भावना है, उससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने यह समझ लिया है कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारे भी कुछ स्वत्व हैं और हमें कुछ करने के लिये एक आधार मिला है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिये, अपनी सफाई के लिये और अपने सुधार के लिये बहुत से काम किये हैं। परन्तु वे देहात के लोग जिन्हें लोग अपढ़ कुपढ़ कहा करते हैं, जिन्हें लोग स्वार्थी कहा करते हैं, जिन्हें सब लोग बयान करने के लिये बैठते हैं तो यह कहते हैं कि साहब वह देहाती है, तो यह कैसे उम्मीद की जाती है कि वे इतनी जल्दी सेंट परसेंट रामराज्य स्थापित कर लेंगे। जिस तरह से उन्होंने न्याय किया, जिस तरह से उन्होंने अपने सुधार के काम के लिये अगर आप न्याय की दृष्टि से उसका संतुलन करें तो आप यही कहेंगे कि इन पंचायतों ने अच्छा खासा काम किया है। अभी पिछले दिनों जो आप का निर्माण सप्ताह चला, उस निर्माण सप्ताह में जिस तरह से पंचायतों ने सहयोग दिया और जिस तरह से जगह जगह पर काम किया, उसके लिये यह दूसरी बात है कि आप किसी मोटिव को लेकर साफ न कहें--लेकिन आप को यह कहना पड़ेगा कि देहातों में बहुत कुछ काम हुआ है। मैं अपने कानपुर जिले की बात कहता हूं कि वहां सड़कें बनीं, स्कूलों की मरम्मत हुई, पंचायत-घर बने और न जाने कितने अन्य काम हुये आप देखिये कि बजट में कानपुर जिले के लिये एक पैसा नहीं रखा गया है लेकिन वहां पंचायतों ने बहुत काम करके दिखा दिया। जो काम हमारी सरकार नहीं कर सकी उसे थोड़ा बहुत हमारी पंचायतों ने शुरू कर दिया है। यह जरूर है कि इन पंचायतों में अभी तक जन सेवा की भावना थी और अन्य जन सेवक लोग उधर आकर्षित हुये थे, चाहे वे प्रान्तीय रक्षा दल के हों, चाहे अन्य जन सेवक हों। उन्होंने बहुत कुछ काम भी किया लेकिन अब उनमें बाबूगिरी घुस रही है, ब्यूरोक्रेसी का ढंग आ रहा है, और इससे पंचायतों के बिगड़ जाने का अन्देशा है, इससे मैं माननीय मंत्री जी को सचेत कर देना चाहता हूं। निर्माण सप्ताह के संबंध में यहां से एक सर्क्यूलर गया था और उसमें यह मांग की गयी थी कि निर्माण कार्य में सब तरह के लोग आवें, बड़े बड़े आफिसर आवें, डिप्टी कलेक्टर आवें, कलेक्टर आवें, थानेदार आवें, उनके बाद कांस्टेबिल आवें, और फिर कांस्टेबिलों के बाद विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्य आवें और फिर पटवारी आवें। इस प्रकार यह बाबूगरी या ब्यूरोक्रेसी पंचायतों में लायी जा रही है। मैं स्पीकर महोदय का तथा विधान परिषद् के अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं और इस भवन में फिर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें क्यों आ रही हैं। कैसे आ रही हैं, जानबूझ कर आ रही हैं या धोखे में आ रही हैं यह पता नहीं है।

यह पंचायतें जिस तरह से काम कर रही हैं उसमें एक बात और सोचने की है। अक्सर कह दिया जाता है कि हम तो उन लोगों को हथियार के लाइसेंस देंगे जो इस तरह से निर्माण के कार्य करेंगे किन्तु इस तरह के प्रलोभनों से जनता के उपकार का काम नहीं हो सकता। यह काठ की हांड़ी बार बार नहीं चढ़ेगी। आज आप लाइसेंस का प्रलोभन दे कर के थोड़ा सा काम

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

भले ही करा लें पर आगे इस तरह से काम नहीं होगा। वह काम तभी होगा जिस तरह से अभी हुआ। अभी जो कुछ भी काम इस निर्माण सप्ताह में हुआ वह इसलिये नहीं हुआ कि लोगों को प्रलोभन था, वह इसलिये हुआ कि लोगों को प्रेरणा मिली थी। अपने राष्ट्र के महान् नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू का आदेश था। हमारे प्रदेश के नेताओं की प्रेरणा थी, एक मांग थी कि हमें इस काम में लग जाना चाहिये। प्रलोभन की भावना से नहीं बल्कि कल्याण की भावना से उस काम को लोगों ने किया। तो यह पंचायतें बहुत कुछ काम कर चुकी हैं और बहुत कुछ काम करना है। अगर आप काम करने वाले लोगों को गिनायें तो इस तरह से न गिनायें जिस तरह से कि उस सरकुलर में है। दूसरी चीज यह है कि आप की सरकार जो क़दम उठावे तो यह सोच कर उठावे कि हमको कुछ काम करना है और वह काम कल्याण का है। जब मैं गांव में जाता हूं तो वहां के सरपंच और सभापति यह शिकायत करते हैं कि हमने कल्याण के काम किये, हमने सिचाई की नालियां बनाईं, हमने सड़कें बनाईं, पुलिया बनाईं और भी बहुत से काम किये लेकिन अब सरकार क्या करने जा रही है। सरकार आबपाशी की दर ड्योढ़ी करने जा रही है। आबपाशी अभी चन्द दिन पहले ड्योढ़ी हो चुकी है और अब फिर ड्योढ़ी की जा रही है। इस तरह की शिकायतें उन्होंने कीं। आप यह मत समझिये कि वे बेवकूफ हैं या वे हमसे और आप से कम अक़्ल रखते हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि आप इन पंचायतों में प्रेरणा और सेवा की भावना उत्पन्न करें तब तो काम आगे चलेगा। सचमुच अगर आप इस काम को अंजाम देना चाहते हैं तो उनमें सेवा-भाव उत्पन्न कीजिये।

आप ने यह जो कहा था कि ग्राम पंचायतों के जो सेक्रेटरीज हैं उन्हें तनख्वाह देंगे और सरकार तनख्वाह देती है। लेकिन आप ने जहां तनख्वाह देने वाली बात कही आप ने यह भी कहा कि जो जुर्माने का रुपया होगा वह सरकारी खजाने में जमा हो जायगा। अभी तक यह रुपया ग्रामों के सुधार के खर्च में आता था। इसलिये यह चीज नहीं होनी चाहिये। और जो रुपया गांवों के लिये रखा गया है, मैं समझता हूं कि वह कम है और इसके लिये रुपया और होना चाहिये। हमारे गांवों के लोगों के पास सेवा की भावना है, शक्ति है और वे कार्य करना चाहते हैं लेकिन साधन नहीं है और इस वजह से वे समुचित कार्य करने में असमर्थ हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब वे इस तरह की बातें पंचायत के बारे में सोचें तो उस वक्त सेवा की भावना वाली बात सरकार की तरफ से आनी चाहिये और इस तरह से वह कल्याणकारी कार्यों के लिये साधन भी जुटावें। इस तरह से नहीं जैसे कि हुक्म दिया गया था कि एक दिसम्बर को काम शूरू हो जाना चाहिये और अगर शुरू नहीं हुआ तो बन्दूकों के लाइसेंस नहीं रेन्यू किये जायंगे। यह जो तरीका है यह श्यूरोक्रेटिक क़िस्म का तरीक़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी चर्चा यहां इस अनुदान के संबंध में हुई है उसमें एक बात तो यह साफ़ ही है कि इस महकमें के महत्व को, इस संगठन की जरूरत को, सभी ने महसूस किया है। इस सदन में एक भी माननीय सदस्य की यह राय नहीं है कि इस महकमे की जरूरत नहीं है। जहां तक आलोचना का सवाल है उसमें एक ग़लतफ़हमी को तो मेरे साथी श्री हरिश्चन्द्रश्रष्ठानाजी ने साफ़ कर दिया है और वह यह है कि यह डिमांड सिर्फ इस महकमे के कर्मचारियों के वेतन, भत्ता या कंटिजेंसी से संबंध रखती है, कार्यों से संबंध नहीं रखती। इसलिये जिन जिन माननीय सदस्यों ने इस तरह की कोई आलोचना की है कि उसमें बहुत कम रुपया कार्यों के लिये हैं वह कुछ असंगत है। कार्यों के लिये रुपया काफ़ी है या नहीं, यह बात इस अनुदान में आती ही नहीं है। यदि आप स्कूलों के संबंध में कुछ जानना चाहें तो वह शिक्षा के बजट में आवेगा, सफ़ाई या डी० डी० टी० कितनी छिड़की जायगी यह सैनीटेशन और हेल्थ में मिलेगा, बीज की बात ऐग्रीकल्चर में मिलेगी। पब्लिक वर्क्स का काम अगर हो सकता है तो वह दूसरी डिमांड में होगा। इसलिये यह मांग केवल तनख़्वाह पाने वाले स्टाफ़ की है।

जहां तक कार्यों का संबंध है उनमें कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि काफ़ी काम नहीं हुआ है। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि यह एक तजुर्बा है। यह मैंने नहीं कहा, और न कहने के लिये तैयार हूं कि यह अपनी फाइनल स्टेज तक मुकम्मल तौर पर आ गया या इसनें पूरी कामयाबी हासिल कर ली। जहां तक नुक्ताचीनी का ताल्लुक़ है, उसके दो हिस्से हैं। एक वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि काफ़ी काम नहीं हुआ, जैसा मैंने अभी कहा। अ र ज्यादा काम होना चाहिये। उनके साथ मैं सहमत हूं। क्योंकि तरक्क़ी का रास्ता यही है कि हम अपने काम से सन्तुष्ट न हो कर ज्यादा काम करें। जितना ही ज्यादा काम हो उतना ही अच्छा और यदि इस में माननीय सदस्य कुछ हाथ बंटा सकें या सहायता दें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। जो इस विचार से नुक्ताचीनी की गई कि कोई काम हुआ ही नहीं और न हो सकता है, ऐसा मैं नहीं समझता कि किसी माननीय सदस्य के दिमाग़ में है और यदि है तो ग़लतफ़हमी में हैं। वे या तो जानते नहीं या जानकारी होते हुए भी किसी कारण से इसे मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि काफ़ी काम हुआ है। इसलिये गांव सभाओं को मुबारकबाद देना चाहिये और जितना हम काम करने में अग्रसर हो सकें, उतना होना चाहिये।

इन सब आंकड़ों में भी मैं जाने की जरूरत नहीं महसूस करता। एक बात कही गयी थी कि जो कम्प्रोमाइजेज हुए जिन केसेस के उनमें कुछ तादाद घट रही है। मैं इस ग़लतफ़हमी को दूर करना चाहता हूं। उन्होंने जो आंकड़े बताये थे वह इस रिपोर्ट से है, जो सन् १९५१–५२ की है यह थे:—१,०४,४९७ केसेज कम्प्रोमाइज हुए थे और यह जो छपी हुई पुस्तिका बांटी गयी है सन् ५२–५३ के लिये उसमें ६ महीने के आंकड़े ४९,२१८ हैं। मैंने शुरू के भाषण में यह निवेदन किया था कि ९ महीने के आंकड़े जो हमारे पास मौजूद हैं वे ८१,२६४ हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—ये कम्प्रोमाइजेज के आंकड़े नहीं हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं कम्प्रोमाइजेज के ही आंकड़े पढ़ रहा हूं और यदि किसी माननीय सदस्य को ग़लतफ़हमी है तो वह उसे ठीक कर लें। जो मैंने आंकड़े पढ़े हैं वे ५१–५२ की रिपोर्ट से हैं और उसका हैंडिंग है के सेज डिसाइडेड बाई म्यूचुअल कम्प्रोमाइज। रैवैन्यू सिविल क्रिमिनल का टोटल १,०४,४९७। जो कम्प्रोमाइज के आंकड़े इस पुस्तिका में ५२–५३ की में दिये हैं वे हैं ४९,२१८, केवल १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९५२ तक। मैंने शुरू में ही बताया था कि ८२,२६४, नौ महीने की फ़ीगर्स हैं और यदि इनका ४/३ कर दिया जाय तो १०८३४८, यानी १२ महीने का होता है। इसलिये यह कहा जाय कि कम्प्रोमाइजेज के केसेज कम हो रहे हैं और उससे यह नतीजा निकाला जाय कि इन अदालतों की वकअत कम हो रही है या उनके ऊपर विश्वास कम हो रहा है, यह नतीजा ग़लत होगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक भी कम्पोस्ट पिट उन्होंने नहीं देखी। हो सकता है कि उनको यह सौभाग्य न हुआ हो। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूंगा, आगे नहीं कि अगर कोई माननीय सदस्य कम्पोस्ट पिट्स देखना चाहें तो इस जिले में दिखाने के लिये उनका इन्तजाम करा दूंगा और सवारी का भी इन्तजाम कर दूंगा। वे जाकर देख सकते हैं। यह कहना कि १ लाख कम्पोस्ट्स की फिगर बिलकुल ग़लत है, ठीक नहीं है। हां, यह हो सकता है कि कहीं एकाध जगह ग़लती हो।

जहां तक गांव सभाओं की बात है, रेवेन्यू कलैक्शन की कोशिश की जा रही है और कुछ गांव सभाओं को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि वे रेवेन्यू कलेक्ट करें। इसलिये जो भी काम हो रहे हैं वे काफी हैं और अगर यह कहा जाय कि उससे ज्यादा होना चाहिये तो मैं सहमत हूं। हमारा यह प्रयत्न होगा कि जितना भी ज्यादा काम गांव सभायें कर सकें, करें।

जहां तक पंचायती अदालतों की बात है, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि लिटीगेशन बढ़ गया और उन्होंने अपनी ही स्पीच में एक दूसरे सिलसिले में बातें कहते हुए यह कहा कि रिवीजन केसेज इसलिये ज्यादा नहीं हुए कि लोग ग़रीब हैं और चूंकि उनके पास पैसा नहीं है इसलिये अदालत में नहीं जा सकते

[श्री मोहनलाल गौतम]

अगर इन दोनों चीजों को मिलाने का वे कष्ट करते तो जवाब उनको स्वयं मिल जाता। यदि पहले केसेज नहीं होते थे तो उसका कारण यह था कि जमींदार ने एक मजदूर को थप्पड़ मार दिया और अब किसी मजदूर बेचारे की क्या हैसियत थी कि वह जाकर अदालत में चाराजोई करे, कौन गवाह गवाही देगा। ऐसे केसेज नहीं होते थे तो उसके माने यह नहीं है कि न्याय हो रहा था न यही माने थे कि समाज की व्यवस्था जिस तरह की थी वह संतोषजनक थी। फिर केसेज के बढ़ जाने से यह भी अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि समाज की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। यह मैं नहीं कहता कि केसेज का बढ़ना अच्छा है लेकिन इतना जरूर है कि आप अगर यह कहें कि केसेज के बढ़ जाने से ही खराबी आ गई है इस नतीजे पर अगर आप पहुंचे तो शायद ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूं कि इस तरह के जुल्म हरिजन लोग बरदास्त करते थे। ब्राह्मण और ठाकुर और ऊंची जाति के कहलाने वाले लोग किया करते थे।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—क्या अब नहीं होते हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—अब बहुत कम होते हैं और अगर आप में दम रहा तो आगे और भी बहुत कम होंगे और अगर नहीं हुए तो उसके लिये मुझे आप पर अफसोस होगा।

जहां तक पंचायती अदालतों के एलेक्शन के लिये सुझाव दिये गये हैं। पंचायती अदालतों और गावों सभाओं के सिलसिले में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करूंगा कि मैं उनपर विचार करूंगा। निकट भविष्य में पंचायत राज्य का अमेंडमेंट इस सदन के सामने आयेगा उस समय काफी अवसर मिलेगा और उस संशोधन पर विचार कर सकेंगे। इसलिये इस पर कोई राय जाहिर न करके जब अवसर आयेगा तो उस समय हम सब लोग मिल कर विचार कर लेंगे, जब पंचायत राज्य अमेंडिंग बिल इस सदन के सामने आयेगा। इन शब्दों के साथ मैं यह आशा करता हूं कि इस मांग को यह सदन सहर्ष स्वीकार कर लेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो जो आंकड़े माननीय स्वशासन मंत्री ने दिये हैं उनके बारे में मैं कहता हूं। उनका कहना है कि उन्होंने सही आंकड़े दिये हैं और मैंने भी सही आंकड़े दिये हैं एक ही पेज से। अगर ५१–५२ की जो पुस्तिका है उसके पृष्ठ ३६ पर देखें तो केसेज डिस्पोज्ड विद दि कंसेट आफ बोथ दि पार्टीज के अन्डर में आप देखेंगे साल भर के आंकड़े थे ६,१४६ और ५२–५३ के ६ महीने में १,२६३ केसेज दाखिल हुए और दोनों पार्टियों के कंसेन्ट से डिस्पोज्ड भी हुए। तो इस तरह से पता चलेगा कि मैंने जो बात कही थी कि केसेज समझौते से कम फैसले हुये वह सही है।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय अस्थाना जी और माननीय मेहरोत्रा जी को गलतफहमी हो गयी कि मैं बिलकुल ही पंचायतों के इंस्पेक्टरों और सेक्रेटरियों के खिलाफ हूं। उपाध्याय महोदय, मुझे इस बात का गर्व है कि पंचायत के सेक्रेटरियों के वेतन के बारे में नई असेम्बली में मैंने ही सबसे पहले क्वेश्चन्स टेबिल किये थे जिनका उत्तर माननीय स्वशासन मंत्री ने दिया था। लेकिन जहां तक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की बात है वह किस तरह से हो यह प्रश्न विवादग्रस्त है। मेरी निश्चित राय है कि पंचायत के सेक्रेटरियों को सरकार की ओर से जो भी वेतन मिलता है वह गांव सभा के प्रधान या पंचायत के सरपंचों के हाथ से मिले। वह गांव सभाओं के मुलाजिम समझे जायं। जहां तक पंचायतों के इंस्पेक्टर्स का सवाल है उसी तरह से उसको भी वेतन मिलना चाहिये और जिले के स्केल पर एक बोर्ड बना दें जो पंचायतों से चुना

हुआ हो और वही उनके फायनेंसेज को डील करे और सरकार उनको वह रुपया दे दे इसमें बड़ा फर्क पड़ जाता है। आज हर सेक्रेटरी यह समझ ता है कि हम तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के नौकर हैं और गवर्नमेंट के नौकर हैं। इसी तरह से इंस्पेक्टर भी समझता है और वह अपना रोब गालिब करना चाहता है। जिस समय पैसे देने का सवाल है अगर यह गांव सभाओं के जरिये दिया जायगा तो फिर सारी फिजा ही बदल जायगी। इसलिये पंचायतों को यह अधिकार होने चाहिये। अगर पंचायतों को यह अधिकार नहीं होंगे तो दिक्कत पैदा हो जायगी ।

हमने बार बार कहा है कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन नाकामयाब और गलत है जिसमें गांवों में शक्ति दी जाय और डायरेक्टर के हाथ में सारी ताकत दे दी जाय। हमने बार बार कहा है और इन पंचायतों की इस व्यवस्था का स्वागत करते हैं जिसमें पंच को उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके निकाल दिया जाता है और इस सिस्टम का सख्त विरोध करता हूं जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डायरेक्टर आफ पंचायत या डेवलपमेंट कमिश्नर किसी पंच को निकाल दे। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लेविल पर दूसरी व्यवस्था की जा सकती है। सारी फिजा ही बदल जाय अगर यह मालूम हो जाय कि पंचायत का मालिक कौन है और किसकी मातहती में वह काम करते हैं। मेहरोत्रा जी ने और अस्थाना जी ने गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। असल में मैं जानता हूं सरकार के कई विभाग हैं, एग्रीकल्चरल में ही कई इंस्पेक्टर्स हैं। अगर उनकी तादाद बतलाई जाय, अध्यक्ष महोदय तो यह मिसाल लागू होती है मुझे कवि रहीम का दोहा याद आ जाता है:—

रहिमन या जग आयके सब से मिलिये धाय ।
न जाने किस भेष में, नारायण मिल जाय ।।

लेकिन अब तो यह व्यवस्था हो सकती है—

रहिमन गांव में जायके सब से मिलिये धाय ।
न जाने किस भेष में इंस्पेक्टर मिल जाय ।।

आजकल शुगर इंस्पेक्टर, मिकैनिकल इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, पंचायत इंस्पेक्टर और न जाने कितने इंस्पेक्टर हैं। एक दफा मैंने लिस्ट बनाई थी तो करीब ३ दर्जन से ज्यादा इंस्पेक्टर निकले यदि कोई विकास की योजना हो तो सारा रुपया गांव सभाओं के द्वारा ही खर्च होना चाहिये। शिक्षा की सारी जिम्मेदारी गांव सभाओं को दी जाती है लेकिन यदि स्कूल इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के मातहत होंगे तो आप फिर क्यों इस तरह से गांव सभाओं को बेवकूफ बनाते हैं कि आप सफाई के मालिक हैं और सब चीज के मालिक हैं। आप यदि रेवेन्यू खर्च करें तो उनके द्वारा ही खर्च करें। आम तौर से इसके विरुद्ध दलील दी जा सकती है और मैं समझता हूं कि सरकार का दिल इस तरफ साफ नहीं है। जहां चौखम्भा राज्य की बात की जाती है वहाँ यह भी निश्चित है कि प्रजातंत्र में संस्थाओं को गलती करने का भी अख्तियार है । जब तक आदमी गल्ती नहीं करता तब तक वह मंजता नहीं है। जब तक कोई पानी में उतरेगा नहीं तब तक तैरना नहीं सीख सकता है।

अगर सदस्यों को यह दावा हो कि यू० पी० की पंत मिनिस्टरी गांव पंचायतों जैसी गलती करती हैं उससे कम गल्ती करती हैं तो यह गलत बात होगी। मैं जानता हूं कि एक पंच गांव में बैठा हुआ जो गल्ती करता है उससे कहीं ज्यादा पंत मिनिस्ट्री कर रही है। जो कांस्टीट्यूशन में प्रेसीडेंट को ससपेंड करने का अधिकार है वह नहीं होना चाहिये बल्कि जनता को रिकॉल का अधिकार होना चाहिये । यही फर्क होता है केन्द्रीयकरण और

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

विकेन्द्रीयकरण में। आज माननीय हुकुम सिंह जी निकाल दिये गये हैं। उनकी हवाइयां उड़ रही हैं। एक साल के अन्दर उनकी सारी शेखी चौपट हो रही है। इसी तरह से यदि रिकाल की पावर हो तो विधान सभा के ऊपर भी एक चेक हो सकता है।

श्री शिव नारायण—आन ए प्वाइंट आफ इंफारमेशन, सर। मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि दुनियां में कहीं ऐसी कोई मिसाल है जैसा कि आपने बतलाया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इसके माने तो यह है कि आप प्रोगेस से इंकार करना चाहते हैं। अगर दुनियां गो बैक रहो के नारे के साथ चले तो मैं उन आदमियों में से नहीं हूं कि उनके साथ रहूं बल्कि आगे चलने वाला हूं। आज लोग कहते हैं कि इंग्लैंड में डेमोक्रेसी सैकड़ों वर्षों से है। इसके माने यह नहीं हैं कि आप भी गल्ती दोहरायें। यह कोई दलील नहीं है। यह माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि इंस्पेक्टर्स से मेरा सवाल नहीं है। किस तरह से सत्ता का केन्द्रीयकरण होता है और किस तरह से विकेन्द्रीयकरण होता है। आप विकेन्द्रीयकरण की बात करते हैं और काम करते हैं केन्द्रीयकरण का। आप देख लीजिये कि गवर्नमेंट हर महकमे की नकेल लखनऊ में ही रहती है। जो भी स्कूल वगैरा हों तो गांव सभा खुद उनके मास्टरों की तनख्वाह दे, गांव में सभी विभागों का काम गांव सभाओं द्वारा होना। चाहिये हम गांव सभाओं को पुलिस पर भी बहुत हद तक अधिकार देना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में हजार बार गल्ती करने का अख्तियार है और जब पंता गवर्नमेंट गल्तियां करके भी जनता की सरकार है और आगे चल सकती है तो गांव सभा को भी वही अधिकार होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिश्चन्द्र अस्थाना जी ने अभी कहा कि जो ग्रान्ट गांव सभाओं को दी गई हैं वह नाकाफी नहीं है लेकिन यह ग्रांट गांव सभाओं के नाम पर दी जाती है लेकिन वह सब सरकारी कर्मचारियों में बांट दी जाती है। जितना रुपया आप देते हैं वह पंचायत राज्य यानी गांव सभाओं द्वारा खर्च होना चाहिये। माननीय स्वशासन मंत्री ने पिछली मर्तबा बताया था कि हम तो बहुत ज्यादा देते हैं। इतना इंस्पेक्टर को देते हैं और इतना एजूकेशन पर देते हैं लेकिन उसका एहसान आप पंचायत राज्य पर क्यों डालते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों का जहां तक संबंध है मैं उस ग्रूप में से हूं जो यह कहते हैं कि अगर आप सेंट्रलाइजेशन न करके डिसेन्ट्रलाइजेशन कर देते तो इसके हजार गुना ज्यादा काम हो सकता था और हो सकता है। बहुत से लोग इस राय के हैं कि पंचायतों को तोड़ देना चाहिये लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से इस बात में कोई गलतफहमी न होनी चाहिये कि हम तो पंचायतों को विकेन्द्रीयकरण सत्ता का मूलभूत खम्भा मानते हैं। यह भी कहा गया कि बहुत से गांव के पंच ह जो अंगूठे का निशान भी नहीं लगा सकते और पढ़े लिखे नहीं हैं, वह लिस्ट की नकल कैसे करेंगे। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अकबर बादशाह को आप जानते हैं कि वह कितना कम पढ़ा लिखा था लेकिन उसने शासन की एक मिसाल कायम करदी। आपको पढ़ाई लिखाई पर विश्वास है लेकिन इंटग्रिटी पर विश्वास नहीं है इसलिये हुकूमत गलत रास्ते पर जा रही है गांव में ऐसे मंत्री लोग हो सकते हैं जो कम पढ़े लिखे हों लेकिन इंटेग्रिटी उनमें ज्यादा है। हमें पंचायत राज्य के उसूल या सिद्धान्तों पर बहस नहीं लेकिन विकेन्द्रीयकरण का नाम लेकर जो आप केन्द्रीयकरण करते हैं यह नामुनासिब है।

श्री मोहनलाल गौतम—आन ए प्वाइंट आफ क्लेरिफिकेशन। माननीय त्रिपाठी जी ने जो केसेज पढ़े वे "केसेज डिस्पोज्ड आफ विथ दी कंसेंट आफ बोथ दी पार्टीज" लेकिन मैंने कहा था केसेज डिसाइडेड बाई म्युचुअल कंप्रोमाइज। ये "केसेज डिस्पोज्ड आफ विद दि कंसेन्ट आफ बोथ दी पार्टीज" वे हैं जो उनके जूरिस्डिक्शन में नहीं हैं। जब दोनों पार्टीज कहें कि हमारा फैसला कर दीजिये तब उनको टेकअप किया जाता है। ये पंचायती

अदालतों का कोई रेग्युलर काम नहीं है। इसलिये म्यूचुअल कंप्रोमाइज वाले केसेज सही हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैंने पहले ही कह दिया था कि आप भी सही हैं और हम भी सही हैं। इसमें गलतफहमी न होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---आलोचना करने के अनन्तर क्या माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---जी हां।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या १४---गांव सभायें और पंचायतें (लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत ९२,५०,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्य

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहन लाल गौतम)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत ३५,०८,१०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक छोटी सी रकम कई हिस्सों में बटी हुई है। इसकी बहुत छोटी छोटी रकमें हैं और इसलिये मैं थोड़े से ही मैं इस सदन के सामने इसका ब्योरा रखने का प्रयत्न करूंगा। इसमें पांच हजार रुपये, तो पांच म्युनिसिपैलिटीज के लिये हैं जिनको थोड़ा थोड़ा रुपया दिया जाता है ताकि वह अपना कुछ पब्लिक वर्क्स का काम कर सकें। वह पहले से ही चला आता है। यह पांच हजार रुपये की रक़म तो बहुत छोटी है जो कि बलिया, कासगंज, सहारनपुर और नैनीताल को दी जाती है।

दूसरी रक़म २३,५०० रुपये की है और वह इसलिये है कि जो बूचरखाने हैं वे बहुत गन्दी हालत में रखे जाते हैं। वे अच्छी तरह से रखे जायं ताकि जो चीज वहां खाने के लिये तैयार होती है वह साफ रह सके, यह सवाल था। इसके लिये हमने तमाम म्युनिसिपैलिटियों से पूछा तो सिर्फ लखनऊ म्युनिसिपैलिटी ने यह कहा कि अगर आधा खर्चा हमारा तुम दे दो तो हम इस काम को ले सकते हैं। लखनऊ म्युनिसिपैलिटी का ४७,००० रुपये खर्चे का तखमीना था। इसीलिये उसके आधे २३,५०० रुपये की गुंजाइश इसमें रखी गयी है।

उसके बाद ७,३०० रुपये की रक़म है जो बहराइच, अलमोड़ा और नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स के लिये है। वहां कुछ थोड़ी सी सड़कें हैं जिनकी मरम्मत के लिये यह रक़म चली आती है। यह एक बहुत छोटी सी रक़म है।

अब दूसरी हेडिंग में ४,१०,००० रुपये की रक़म है। इसमें कुछ तो बनारस में मीरा घाट और मां आनन्दामयी घाट हैं उनके लिये है। ५० हजार रुपया टाउन एरिया के लिये हैं और १० हजार रुपया और है। इस तरह से यह छोटी सी रक़म रखी हुई है, एक हसड़क हारे मिर्जापुर जिले में है जिसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट डंममरम्मत करता है। उसमें हमको डेढ़ हजार रुपया अ पना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है

[श्री मोहन लाल गौतम]

इसके अलावा १४ लाख ४० हजार रुपये की वह रक़म है जो फेरीज से आती है और वह ज्यों की त्यों वापस हो जाती है। इसलिये वह लेखा तो बराबर है। वह डिस्ट्रिक्ट बोड्स की आमदनी होती है और उन्हीं को वापस कर दी जाती है। यह रक़म दिखायी गई है लेकिन इसमें जमा नहीं की गयी है।

इस साल प्राविंशल रोड फंड में से लोकल बाडीज़ की सड़कों के लिये २५,४४,२०० रुपये का एस्टीमेट रखा गया था जो वास्तव में २८,५०,००० के करीब हुआ और जो इस साल बांट दिया गया। इस साल ४१,८६,२०० रुपये का एस्टीमेट इसमें रखा गया है और यह रोड फंड से आयेगा। इसलिये उसका भी लेखा बराबर हो जाता है। यहां एक बात निवेदन करना चाहता हूं। यह जो साढ़े २८ लाख रुपया सड़कों के लिये बांटा गया उसका मामला यह है कि पहले यह केवल बड़ी बड़ी म्युनिसिपलिटियों में बंटता था। उसके बाद छोटी म्युनिसिपैलिटियों को भी थोड़ा बहुत रुपया दिया जाने लगा। मैंने इस बार यह किया कि पिछले तीन साल में जिन जिन म्युनिसिपैलिटियों को रुपया मिला हो उनकी एक फेहरिश्त बना ली जाय और उस फेहरिश्त के आने के बाद बड़ी म्युनिसिपैलिटियों को रुपया बांटने के बाद जो रुपया छोटी म्युनिसिपैलिटियों में बांटा जाना था उसको पिछले तीन साल में जिन जिन म्युनिसिपैलिटियों को ग्रांट के तौर पर रुपया दिया गया था उनको न दे कर जो बाकी म्युनिसिपैलिटियां थीं उनको वह रुपया दिया गया। अब यह कहा जा सकता है कि पिछले चार साल में कोई म्युनिसिपैलिटी ऐसी बाक़ी नहीं है जिसको इस साल की ग्रांट मिला कर रुपया न मिला हो। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन किया गया और वह है हरिद्वार। हरद्वार की म्युनिसिपैलिटी को ५०,००० रुपया मिला है। उसको पहले भी मिला था और अब भी मिला है और उनकी वजह यह है कि वहां इतने ज्यादा यात्री आते हैं कि वहां अगर अच्छी हालत रहे तो हमारा फायदा होगा (एक सदस्य द्वारा यह कहने पर कि और अधिक दे दीजिये) मुझे अफसोस है कि हम बहुत कम रुपया दे पा रहे हैं लेकिन यह मेरी मजबूरी है। हरद्वार और दूसरी ७-८ म्युनिसिपैलिटियों को छोड़कर लगभग १११–११२ म्युनिसिपैलिटियों को पिछले तीन सालों में कुछ और बाकी को कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जो यहां नहीं आईं और मिनिस्टर साहब से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। इस वजह से उनको पिछले तीन सालों में कुछ भी नहीं मिला। अब उनको घर बैठे यह रुपया मिल जायगा। मुझे यह तरीका पसंद नहीं आया कि सिर्फ ५०—४० म्युनिसिपैलिटीज यहां आकर फायदा उठा लें और बाकी को कुछ भी न मिल पाये। इस लिये मैंने इस तरीके को हटाना पसंद किया। यह रुपया जो बांटा गया है वह नियम के अनुसार बांटा गया है जो इस सदन के सामने रख दिया गया है।

बहुत से घाट ऐसे हैं जिनका इंतजाम पी० डब्लू० डी० करती है। जिसके आमदनी और खर्च को मिलाकर १२५ हजार रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दिया जाता है। इंडियन रोड कांग्रेस बड़ा यूजफुल काम कर रही है उसके लिये उसे ४ हजार रुपया दिया जाता है। इसके अलावा ५ लाख ऐसा है जो ड्रेनेज और वाटर सप्लाई के लिये रखा गया है। यह भी बहुत थोड़ी रकम है हम जानते हैं कि इस काम के लिये यह रुपया बहुत कम है लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इससे ज्यादा रुपया नहीं रख सके। तहबाजारी और प्रोजेक्शन की एक रकम है जो पी० डब्लू० डी० को लोकल बाडीज से इंतजाम के लिये दे दी जाती है। ९७१ हजार रखा गया है यह उन लड़कों के लिये है जो कि फर्स्ट फेज की पी० डब्लू० डी० के सिपुर्द रखरखाव के लिये की गयी हैं। इस तरह से ३५ लाख की छोटी छोटी रकमें हैं जिनके संबंध में और कोई खास बात मुझको कहना नहीं है। अतः इन शब्दों के साथ मैं इस मांग को रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय स्वशासन मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमान्, यह जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह ग्रांट इन ऐड से नागरिक निर्माण कार्य होने के संबंध में है। इसका संबंध एक बड़े सिद्धांत से है और वह सिद्धांत ग्रांट इन ऐड का है । चाहे सिविल वर्क्स के लिये, चाहे एजूकेशन के लिये, चाहे पब्लिक हेल्थ के लिये या किसी भी जनहित के कार्य के लिये जो रुपया सरकार स्थानीय निकायों को देती है, उससे यह मांग संबंधित है। हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले वर्षों में माननीय स्वशासन मंत्री जी की जो नीति रही है वह सिद्धांतहीन रही है। श्री हरगोविन्द सिंह के सभापतित्व में जो कमेटी बनी थी उसने सरकार की ग्रान्ट इन एड नीति की बहुत आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि इस बारे में सरकार ने जो नीति बर्ती है वह सभी म्युनिसिपल बोर्डों के लिये एक सी नहीं बर्ती गयी और उसकी आलोचना उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में की थी। उसके बाद हमें ऐसी आशा थी कि माननीय मंत्री जी उस प्रथा को कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात् समाप्त कर देंगे और उसमें आमूल परिवर्तन कर देंगे तथा उस प्रणाली को खत्म ही कर देंगे जो कि ब्रिटिश शासन काल से स्थानीय निकायों के बारे में चली आ रही है।

जब हम म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को ग्रांट देने की नीति के संबंध में सरकारी नीति देखते हैं तो हमें एक बहुत ही आश्चर्य देखने में आता है । सन् १८९४ से लेकर सन् १९४७ तक जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से म्युनिसिपल बोर्डों को और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को ग्रांट दिया गया है और बढ़ाया गया है तो उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि यू० पी० में ०.७ प्रतिशत से १२ प्रतिशत सहायता म्युनिसिपल बोर्डों की बढ़ाई गई है। यानी जितनी सहायता सन् १८९४ में म्युनिसिपैलिटियों को ग्रांट के जरिये मिलती थी वह सन् १९४७ में जाकर सत्रह गुना बढ़ गयी। लेकिन जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का सवाल है वहां सन् १८९४ से लेकर १९४७ तक केवल डेढ़ गुना गवर्नमेंट ग्रांट बढ़ी। १८९४ में जो ३२.५ प्रतिशत ग्रांट थी वह ५३.९ प्रतिशत हो गयी । तो इससे मालूम होता है कि कितनी सिद्धांतहीन नीति, म्युनिसिपैलिटियों की ग्रांट्स बढ़ाने में सरकार की रही। जहां म्युनिसिपैलिटियों के लिये सत्रह गुना ग्रांट बढ़ी वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये केवल डेढ़ गुना ही बढ़ी। इतनी बड़ी खाई शहरों और देहातों के प्रश्न को लेकर है। मैं कभी भी शहरों और देहातों के प्रश्न को लेकर विचार नहीं करता लेकिन जिस प्रकार से सरकार लगातार इस खाई को बढ़ाने की नीति अख्तियार कर रही है इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। इसके बाद जब हम नागरिक निर्माण विभाग का अनुदान देखते हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के संबंध में कोई जिक्र नहीं पाते। केवल तहबाजारी की रकम मिलती आयी और फेरोज की रकम जो मिली उसको वापस कर देने की चर्चा होती है। तो श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस अनुपात की तरफ दिलाना चाहता हूं जो जिले के हिसाब से हमारी सरकार जिलेवार देती है। जब कि एक जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एवरेज ग्रांट बिहार में, ७ लाख रुपये है, पंजाब में ५ लाख रुपये हैं, मद्रास में ७ लाख रुपये है, बम्बई में १६ लाख रुपये है वहां हमारे उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में देने वाली ग्रांट का औसत केवल ३ लाख रुपये है। यानी बम्बई के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो ग्रांट दी जाती है उसका १/५ हिस्सा है, मद्रास और बिहार के मुकाबिले में आधा से भी कम है। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अनुदान देने की जो सरकारी नीति रही है वह अत्यन्त असन्तोषजनक है और जब हम सारे खर्च के अनुपात को मिलाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स को देने वाली ग्रांट है तो उसमें भी बहुत बड़ी खाई नजर आती है। हमारे उत्तर प्रदेश का टोटल ग्रांट्स इन एड जो खर्चे का अनुपात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपैलिटियों को मिला कर है वह १२.२ प्रतिशत है जब कि बम्बई में १५.५, बंगाल में १५.६, बिहार में २८.८, मद्रास में १५.३ प्रतिशत है। इस तरह से आप देखें कि हमारी सरकार केवल मद्रास को

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

छोड़ कर सबसे कम ग्रांट म्युनिसिपल बोर्ड्स व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को देती है। यह तो ग्रान्ट्स इन एड की बात रही। जो रिपोर्ट हम देखते हैं उसमें लिखा है कि हम लोकल फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं और वह विचार पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि माननीय मंत्री जी ने जो विचार करने के लिये रिपोर्ट में लिखा है वह यहां अमल में आ गया है तो एक मिसाल हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी बतलायी कि हम यू० पी० रोड फंड से २६ लाख रुपया म्युनिसिपैलिटियों के दे रहे हैं। यह बात उन्होंने अच्छी की और यह ठीक है कि जिन म्युनिसिपैलिटियों को पिछले तीन सालों से नहीं मिला था उनको उन्होंने कुछ ग्रांट दी। यह बात तो अच्छी हुई लेकिन इसमें भी ऐसा करके उन्होंने लोकल बाडीज फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट का बिलकुल उल्लंघन किया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस कमेटी रिपोर्ट के पेज १२२ की तरफ आकर्षित करता हूं। चूंकि कमेटी ने सिफारिश की है और उस पर वे खुद विचार कर रहे हैं। उसकी सिफारिश यह है कि यू० पी० रोड फंड का वह रुपया जो मोटर वैहिकल्स टैक्सेसन रिसिट से जमा होता है वह रुपया हर म्युनिसिपैलिटीज को, जितना कि उस म्युनिसिपैलिटी के अन्दर मेटेल्ड रोड्स हैं उस अनुपात के अनुसार उस रोड फंड से रुपया दें। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी ने उसकी एक सीमा बांध दी है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिन ८ म्युनिसिपैलिटियों को सिर्फ ४८ से रकम देते चले आये हैं उनको भी उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि मोस्ट फारवर्ड म्युनिसिपैलिटीज हैं यानी कानपुर को १–३ मिलता है, बरेली को एक मिलता है इस तरह से पुराने सिद्धांत के अनुसार माननीय मंत्री जी ने बारबार फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट की अवहेलना की है दूसरी बात यह है कि तहबाजारी और फेरीज से आने वाले रुपये से वह नये बोर्डों को ग्रांट देती है। तो उन्हें इन आठ म्युनिसिपैलिटीज को इस रुपये से ग्रांट देना चाहिये लेकिन उस पुराने सिद्धांत को व्यवहार में नहीं लाते हैं। तो माननीय मंत्री जी ने अपनी सिफारिश के जरिये दो बार फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट की अवहेलना की है और उनका यह कहना सही नहीं है कि हमने कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक कार्य किया है।

दूसरी बात में कैंटिल पाउन्ड के रुपये के बारे में कहना चाहता हूं। वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रुपया जो इकट्ठा होता है उसका प्रोसीजर केवल Book accounting करने का है वही दूसरे रुपये के लिये भी होना चाहिये कि सीधे वह लोकल बोर्ड को मिल जाय। लेकिन तहबाजारी के बारे में यह बात नहीं है। पहले तहबाजारी का रुपया ट्रेजरी में जमा होता है फिर गवर्नमेंट को लिखा जाता है और तब गवर्नमेंट उसमें से कुछ डिडेक्ट करती है और फिर वह म्युनिसिपल बोर्ड को खबर करती है तब जाकर कहीं मिलता है। इसमें नाहक बहुत समय लगता है और लोकल बाडीज को अन्दाज नहीं रहता है कि हमारा कितना रुपया है। इसलिये मेरा कहना यह है कि जिस तरह से वह कैंटिल पाउन्ड का रुपया सीधे बोर्ड को मिल जाता है उसी तरह से इस लेखन प्रणाली को भी समाप्त कर देना चाहिये और तहबाजारी के रुपये को भी आप सीधे उनको दे दें तो बड़ा अच्छा होगा लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

जहां तक यू०पी० रोड फंड का सवाल है मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि २ लाख १८ हजार रुपया जो कम्पेन्सेशन के नाम से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को या लोकल बाडीज को मिलेगा यह कम्पेन्सेशन के नाम से है। वह इसलिये है कि पहले मोटरों पर लोकल बाडीज टैक्स लगाती थी लेकिन जब से मोटर विहिकल्स ऐक्ट बना तब से वह नहीं लगाती। शायद सन् १९३० या ३२ में यह संशोधन किया गया था और तब से लोकल बाडीज को यह २ लाख १८ हजार रुपया दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आज भी मोटर विहिकल्स पर लोकल बोर्ड्स टैक्स लगाते तो क्या उनको २ लाख १८ हजार रुपये की ही आमदनी होती।

अगर मोटर विहिकल्स पर नियमानुसार आज भी लोकल बाडीज को टैक्स लगाने की इजाजत होती तो जितना धन आज यू० पी० रोड फंड में है वह सबका सब लोकल-बाडीज के हाथ में आता। यह जो २ लाख १८ हजार रुपया म्युनिसिपल बोर्ड को दिया जाता है इसको बढ़ाना चाहिये। जो यह रकम गवर्नमेंट देती है बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि यू० पी० रोड फंड में जितना रुपया मोटर विहिकल्स ऐक्ट के जरिये से आता है वह सब लोकल बाडीज को मिलना चाहिये।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रांत में जो म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनकी दशा जहां तक उनकी आमदनी और खर्च का सवाल है बहुत ही शोचनीय है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ले लीजिये उसकी ८०, ८५ फीसदी आमदनी एजूकेशन पर व्यय होती है। १०,२० प्रतिशत रकम ऐसी रह जाती है जो दूसरे काम में आती है। इसी तरीके से जो उनकी आमदनी के जरिये हैं वह रोज बरोज कम होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर आज ही एक हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ है जिसके जरिये से वह जो लाइसेंस फी लिया करते हैं वह भी उनकी आमदनी एक तरीके से खत्म हो रही है। उनकी आमदनी कम है और जिम्मेदारी ज्यादा है। इसी वजह से सन् ४६,४७ में उनके पास जो सड़कें थीं और जिनको वह बना नहीं पाते थे उनको सरकार ने प्रांविशियलाइज कर लिया था और गवर्नमेंट ने उनकी जिम्मेदारी ले ली थी कि वह उन सड़कों को पक्का करेगी लेकिन उन सड़कों को जैसा गवर्नमेंट चाहती थी पक्का नहीं कर सकी और अब उनको फिर गिरी हुई हालत में उन डिस्ट्रिक्ट को ही वापस कर दिया गया है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस मद में ५१ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिये केवल ९ लाख ७१ हजार रुपये की रकम रखी गई है जिस के जरिये से वह सड़कें बनाने में सहायता देंगे। यह रकम बहुत ही कम है और इस से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का भला न हो सकेगा। अब इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पास जो सड़कें वापिस हुई हैं वह कहीं ५० मील कहीं ६० मील, कहीं कहीं तो सौ मील तक बनने को हैं और जिन पर ८-८ और १०-१० साल से कोई काम नहीं हुआ, मिट्टी तक उन पर नहीं पड़ी है और हालत बहुत ही खराब है और वह ऐसी दशा में उनको अब मिली हैं। इस वजह से अब जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यह रकम उनके लिये बहुत ही कम है और इसको बढ़ाने की वह कोशिश करें और जो सड़कें फर्स्ट फेज में थीं और जिनकी जिम्मेदारी सूबे की सरकार ने ली थी और जिनको यह सरकार तक न बना सकी तो उसको अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कैसे पूरा कर सकते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहां से ग्रांट इन एड दे सकते हैं। इसलिये इस रकम को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है और जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों का संबंध है उनके संबन्ध में शिकायत यह है कि कुछ म्युनिसिपल बोर्ड ऐसे हैं जिनके साथ फेवर्ड ट्रीटमेंट किया जाता है जैसे लखनऊ, कानपुर, बनारस आदि हैं जिनके पास अपनी आमदनी के जराये ही बहुत काफी हैं और उन्हें लाखों रुपया दिया जाता है और जो छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटी हैं जिनकी आमदनी बहुत ही कम है दिया जाता है उनको न दिया जाय यह फेवर्ड ट्रीटमेंट का तरीका न बर्तना चाहिये। सरकार को इन छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटीज को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिये जिनमें न कोई ड्रेनेज का इन्तजाम है और न कोई वाटर सप्लाई की स्कीम है जैसे मुजफ्फरनगर को ही आप ले लें वहां न तो कोई ड्रेनेज की स्कीम है और वहां ६ हजार रुपया प्लान के लिये दाखिल भी कर दिया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, और कोई चीज कार्यान्वित नहीं हुई हालांकि वहां की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है जो २१ हजार से ७२ हजार हो गई है और वहां ड्रेनेज की बहुत जरूरत हो गई है और चूंकि वहां के बोर्ड की आमदनी का जरिया कोई नहीं है, इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मद में रकम बढ़ाने की कोशिश करें और केवल ५-७-८ म्युनिसिपैलिटीज के साथ ही फेवर्ड ट्रीटमेंट न करें

[श्री केशवगुप्त]

जिनके पास पहले से ही आमदनी के काफी जराये हैं उन्हीं को ज्यादा रकम दी जाय और जिनके पास कम से कम आय के साधन हैं उनके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जाय यह किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। इसलिये यह मुनासिब होगा कि इन बड़ी म्युनिसिपैलिटीज को जो ज्यादा रकम दी हैं वह उनसे लेकर इन छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटीज को दी जाय ।

इसके अलावा ग्रांट के संबंध में एक सिद्धांत यह रखा गया है कि जिन म्युनिसिपैलिटीज को पिछले साल ग्रांट मिली थी उनको इस साल वंचित रखा गया है। वैसे तो यह सिद्धांत ठीक है लेकिन जैसे मुजफ्फरनगर म्युनिसिपल बोर्ड को पिछले साल कुल २५ हजार रुपया मिला था हालांकि उसकी आबादी बढ़कर ७२ हजार हो गई है जब कि दूसरी जो दस बारह म्युनिसिपैलिटी हैं उनको इस साल किसी को २५ हजार, ३५ हजार और इससे भी ज्यादा दिया गया है इस तरह से जो पहले पा चुकी हैं वह घाटे में रहीं, इसलिये उनको जिनको पिछले सालों में कम मिला है उनको अभी हिसाब से मिलना और चाहिये और उसे पूरा करना चाहिये ताकि वह अपनी सड़कों और ड्रेनेज वगैरा का इंतजाम ठीक कर सकें ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में सबसे पहले यह कहा था कि उन्हें खुशी हो रही है, भारत के सबसे बड़े प्रदेश का बजट पेश करने में। लेकिन मुझे अफसोस है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नगर कानपुर के लिये इस अनुदान में ही नहीं बल्कि पूरे बजट में कुछ भी नहीं रखा गया है। कानपुर नगर चक्की के दो पाटों के बीच में पिस रहा है और वे हैं कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड और कानपुर डेवलेपमेंट बोर्ड जैसी उनकी हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। कानपुर की सड़कों की जैसी हालत है मैं एक सड़क का नाम क्या बतलाऊं सभी सड़कें ऐसी हैं जिनकी दुर्दशा देखने योग्य है। मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वह कानपुर की सड़कों को आकर देखें इक्के वाले तक गालियां देते हैं। कानपुर के लोग यह कहते हैं कि यह म्युनिसिपैलिटी, जिसको दो दो बार नोटिस दिये गये और यह कहा गया कि इसको सुपरसीड कर लिया जायगा, उसके खिलाफ चार्जेज लगाये गये, लेकिन फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे हमारी सरकार की प्रतिष्ठा को भी काफी धक्का लगा है लेकिन क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में है। काकादेव गांव एक गांव है जहां के लोगों ने टैक्स देना बन्द कर दिया है और पिछले सात वर्ष से टैक्स नहीं दे रहे हैं मैंने इसके लिये इस भवन में एक प्रश्न किया था लेकिन बजाय इसके कि वह सड़क बनती यह जरूर हुआ कि वहां पर सख्ती की जाने लगी कि टैक्स अब जरूर वसूल किया जाय। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि तमाम सड़कों को अगर पूरे तौर से नहीं तो आरजी तौर पर बनाने की जरूर आज्ञा दें। कानपुर में अभी कल ही दूना हाउस टैक्स देने का नोटिस दिया गया है । कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड की जहां हालत खराब है, जिसकी सड़कें इतनी खराब हैं, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, वहां पर दूना टैक्स लिया जाना कहां तक न्यायसंगत है? यह मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वह कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड को आदेश दें कि हाउस टैक्स बढ़ाने की बात न करें। जब तक कि उसकी गंदगी और सड़कों की व्यवस्था ठीक न हो जाय।

कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड की अवस्था भी बहुत शोचनीय है। वहां कम्पेंसेशन ऐक्ट १९२१ बहुत पुराना है उसी के अनुसार कम्पेंसेशन दिया गया है और आज भी दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि कम्पेंसेशन ऐक्ट में कुछ सुधार किया जाय। मैं चाहता हूं कि जैसी हालत म्युनिसिपैलिटीज की है वैसी हालत में म्युनिसिपैलिटी को फौरन सुपरसीड कर देना चाहिये।

डेवलपमेंट बोर्ड का जहां तक सवाल है वह भी किसी से छिपा नहीं है नारायणपुर में जो शरणार्थियों के क्वार्टर बने हैं, वह दो वर्ष से खाली पड़े हैं और उन क्वार्टरों पर जो रुपया लगा है उसके ब्याज का नुकसान हो रहा है। न सड़कें हैं, न रोशनी का इंतजाम है। इसी तरह से गोबिन्दनगर में जो प्लाट्स मध्यम श्रेणी के हाथ बिके हैं उनका रुपया तो पूरा हो चुका है परन्तु सड़क, पानी, रोशनी का प्रबंध अभी तक नहीं किया गया है। डेवलपमेंट बोर्ड के खिलाफ इतनी जोरदार आवाज उठायी जा रही है लेकिन वहां पर भी कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये उचित व्यवस्था करें।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री जी की ओर से जो बजट पेश किया गया है उस बजट के स्मृतिपत्र को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले साल से भी बजट का अनुदान उतना संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है जैसा होना चाहिये अर्थात् कम कर दिया गया है। बल्कि गत वर्ष से अधिक होना चाहिये क्योंकि बोर्डों की दशा खराब हो गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत बहुत खराब है और खास करके पहाड़ी और पूर्वी जिलों के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो हैं उनकी हालत तो स्वय माननीय स्वशासन मंत्री और उनकी सरकार तथा सभी माननीय सदस्य समझते हैं कि उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब होती चली जा रही है। मैं माननीय स्वशासन मंत्री और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के जो बोर्ड हैं और म्युनिसिपैलिटियां हैं उनकी आर्थिक हालत बड़ी खराब है और खराब होती चली जा रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने पूर्वी और पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की खराब दशा की ओर ध्यान दिलाया है लेकिन मैं पूर्वी जिलों के बोर्डों के बारे में कहना चाहता हूं खास करके जब कई वर्षों से लगातार सूखा और बाढ़ के कारण जनता की जो आर्थिक दशा है वह बहुत खराब हो गयी है और टैक्स देने की शक्ति नहीं रह गयी है और टैक्स देने पर तो जिला बोर्डों एवं म्युनिसिपैलिटियों की सड़कों और स्कूलों का बनाया एवं चलाया जाना जब निर्भर करता है तो वह कैसे सम्भव हो सकता है कि टैक्स के अभाव में स्कूल और सड़कें बनायें और चलाये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं बजट को देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है क जो अनुदान म्युनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दिया गया है उनमें उन जिलों के नाम नहीं हैं जो अभावग्रस्त हैं बलिया का नाम अचानक ही आ गया है और किसी जिले का नहीं आया है। मैं आजमगढ़ जिले की बात कहना चाहता हूं। वहां दो म्युनिसिपैलिटियां हैं। एक आजमगढ़ शहर है और दूसरी मऊ है जो कि सब से बड़ा क़स्बा आजमगढ़ का है। इतना घना बसा है कि बरसात के दिनों की बात कौन करे आजकल भी एक मुहल्ले से दूसरे मुहल्ले में जाना कठिन हो जाता है। नालियों की गंदगी और सड़ान इतनी ज्यादा होती है कि हर महीने वहां बीमारी का जमाव रहता है। प्रान्तीय सरकार से, मैं समझता हूं कि वहां के अधिकारियों और आजमगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों ने कई बार मांग की लेकिन सरकार की ओर से सदा उपेक्षा का भाव रहता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों म्युनिसिपैलिटियों को आर्थिक सहायता इतनी देनी चाहिये कि कम से कम शहर में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी स्वास्थ्य-रक्षा के लिये उपाय किया जा सके।

आजमगढ़ जिला बोर्ड की भी दशा अत्यन्त खराब है। सरकार ने कुछ दिन पहले आजमगढ़ की कुछ सड़कों को बनाने के लिये अपने हाथ में लिया था पर कुछ काम कराकर वापिस कर दिया। अब सुनने में आया है और आजमगढ़ जिला बोर्ड के उपाध्यक्ष पं० ब्रजबिहारी मिश्र जो सदन में बैठे हैं उन्होंने अभी मुझसे कहा है कि आजमगढ़ में अभी सरकार की ओर से एक आर्डर गया है कि जितनी पुलियां हैं उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खरीद सकती है। सिमेंट की सड़कों को कुछ दिन अपने अधिकार में रखने के बाद सरकार वापस कर देती है।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

अगर बोर्ड के पास शक्ति रहती तो उनको वह बना सकती है लेकिन मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि उन सड़कों को आजमगढ़ बोर्ड तो बनवा नहीं सकती है। हां, यदि बनवाने पर तैयार हो जाती है तो हजारों रुपयों की जो पुलियां बनी हुई बेकार पड़ी हैं अगर सरकार मुफ्त में ही आजमगढ़ बोर्ड को दे दे तो वहां के बोर्ड को कुछ लाभ हो सकता है तथा उस दशा में कुछ सहायता भी हो सकती है।

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सरकार के अनुदान में बाढ़ ग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिये पैसा दिया गया है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान तीन सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं। एक तो बिलरियागंज से रौनापार जाती है, दूसरी मधुबन से दुबारी और तीसरी कप्तानगंज से महाराजगंज। ये तीन बाढ़ पीड़ित सड़कें हैं। मैं समझता हूं कि बरसात के महीने में जब बाढ़ आती है तो दुबारी से जो सड़क मधुवन आती है उसका आजमगढ़ से संबंध विच्छेद हो जाता है। कोई तरीक़ा नहीं होता है कि संबंध स्थापित किया जा सके। लेकिन सरकार के पास कई बार आजमगढ़ बोर्ड के पास से पत्र आये होंगे और हमारी तरफ़ से भी कई बार कहा गया लेकिन उधर सरकार का ध्यान नहीं जाता है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले में जितनी सड़कें हैं जो सरकार ने वापस की हैं उनके ऊपर इतना ध्यान माननीय स्वशासन मंत्री को देना चाहिये जिससे उन सड़कों का नये सिरे से निर्माण हो सके। मैं अभी कल बहराइच जिले में गया था देखा कि जरवल रोड से जो सड़क जरवल तक जाती है वह कंकरीट और तारकोल की बनायी गयी है। हम सदा यह कहा करते हैं कि माननीय मंत्रियों की ओर से पूर्वी जिलों के प्रति उपेक्षा का भाव रहता है। अध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ म्युनिसिपैलिटी को छोड़ कर आजमगढ़ जिले में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो कंकरीट तथा तारकोल से बनी हुई हो।

श्री अध्यक्ष—आजमगढ़ का जिक्र कई बार आ चुका है। समय हो गया है।

श्री रासुन्दर पाण्डेय—तो मैं यह कह रहा था कि माननीय स्वायत्त मंत्री जी को चाहिये कि आजमगढ़ म्युनिसिपैलिटी, मऊ म्युनिसिपैलिटी को इतनी सहायता दें कि जिससे वहां की म्युनिसिपैलिटियों का सुधार हो सके और सड़कों का नये सिरे से निर्माण हो सके। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ आजमगढ़ शहर की म्युनिसिपैलिटी को मैं नहीं कहने के लिये तैयार हूं लेकिन आजमगढ़ जिले में कोई सड़क ऐसी नहीं है कि कंकरीट से बनी हुई हो।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सदन के सम्मुख माननीय प्रशासन मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और इस अनुदान का स्वागत करता हूं। परन्तु नागरिक निर्माण कार्यों के लिये जितनी रक़म है वह वास्तव में कम है और जिस प्रकार म्युनिसिपैलिटीज को सहायता दी जाती है डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को भी अवश्य मिलनी चाहिये इसमें जो दिक्क़तें हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया मैं समझता हूं कि आगे से वह दूर हो सकें इसकी ओर कोई विशेष ध्यान देने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे। अब मैं रामपुर म्युनिसिपैलिटी से संबद्ध माननीय मंत्री जी का कुछ आवश्यक बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। रामपुर की म्युनिसिपैलिटी जब से रामपुर प्रदेशीय शासन का एक अंग बना उससे पहले से ही सुपरसीडेड में थी और अब तक भी है। इसलिये जो

भी कार्य म्युनिसिपैलिटी की ओर से जनता के हित अथवा अनहित का लगभग तीन, साढ़े तीन वर्षों के समय में हुआ उसका प्रभाव सीधे सरकार के ऊपर पड़ता है अच्छा या बुरा। मैं यह कहता हुआ सकुचाता हूं कि इस तीन, साढ़े तीन वर्षों की अवधि में रामपुर की म्युनिसिपैलिटी की ओर से जन हित का कोई ऐसा विशेष कार्य हुआ नहीं कहा जा सकता जिसने जनता के ऊपर अच्छा प्रभाव डाला हो इसका एक खास कारण यह है कि एक उस खासी अच्छी और बड़ी म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, जिसका आज क़रीब १८ लाख का बजट बनता है उसमें खर्चे करने में और योजना बनाने में कुछ विशेष ध्यान इस ओर नहीं दिया गया कि वह जनता के भी हृदय में अच्छी भावना उत्पन्न कर सके। मिसाल के लिये इसी रिपोर्ट में एक बात है कि १७ हजार रुपये खर्च हुये लाइट्स के लगाने में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ने स्वयं देखा और माननीय मंत्री जी ने भी देखा कि जिन जगहों पर ये लाइट्स लगायी गईं उन जगहों पर लाइट्स पहले भी थीं। उनको बदल कर नयी लगाना कोई विशेष आवश्यकता की बात नहीं थी। बजाय इसके बहुत सी गलियों में जहां पर कि रोशनी नहीं थी वहां पर रोशनी करने के लिये इस धन का उपयोग किया जा सकता था और वह जनता के लिये हितकर होता। ऐसे ही एक रिपोर्ट है कि म्युनिसिपैलिटी के पास कोई ऐसा भवन नहीं है जहां पर आगामी बोर्ड बैठ सके। दो लाख का धन नया भवन बनाने के लिये व्यय किया जाने वाला है। वहां पर पी० डब्ल्यू० डी० की इमारतें हैं जिनमें यह काम अच्छी तरह से चल सकता है। स्वायत्त शासन विभाग पी० डब्ल्यू० डी० से कोई इमारत दिलाने की कोशिश करे या रंग महल भी एक ऐसी इमारत है कि वह इस काम के लिये उपयुक्त है। लिहाजा अगर सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि वह इमारत टाउन हाल के लिये दे दी जाय तो यह दो लाख रुपया बच जायगा और वह दूसरे कार्यों के लिये खर्च हो सकता है। इसी तरह से और जो जमीन म्युनिसिपैलिटी की, टाउन हाल के लिये नियत की गई है उसको बेंचा जा सकता है और वह धन भी जन-हित के उपयोग में आ सकता है। इसके अलावा एक और विशेष बात है। मर्जर के बाद से रामपुर में बेकारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसका एक उपाय वहां व्यापार को उन्नति देने का हो सकता था। यदि चुंगी का मसला वहां हल हो जाय जैसा कि रियासती समय में था कि नजूल म्युनिसिपैलिटी को दे दिया जाय और चुंगी की ठीक व्यवस्था कर दी जाय तो वहां एक डिस्ट्रिब्यूटिंग सेंटर बन सकता है। इससे वहां की बेकारी दूर हो सकती है और व्यापार में बहुत उन्नति हो सकती है। इसके साथ ही साथ इसी रिपोर्ट में यह अंकित है कि ३ हजार १ सौ कुछ फिट पाइप लाइन वाटर वर्क्स की तरफ से फैलायी गयी लेकिन जो वहां का वाटर वर्क्स का तरीका है वह म्युनिसिपैलिटी के लिये बहुत ही हानिप्रद है, इसलिये उसका फैलाव बहुत कम है। यदि उसका फैलाव बढ़ा दिया जाय तो उससे म्युनिसिपैलिटी को बहुत लाभ हो सकता है और वहां की जनता को भी पानी की सुविधा हो जायगी। वहां के लिये एक नई वाटर वर्क्स की स्कीम बनायी गई है जो दस लाख की है। यदि सरकार की ओर से ऋण के रूप में इतना रुपया दे दिया जाय तो वहां की वाटर वर्क्स की स्कीम बहुत अच्छी हो सकती है और वहां की जनता को भी लाभ हो सकता है।

इसके साथ साथ वहां एक औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी लगा करती है जिसकी एक अच्छी इमारत बनी हुई है और कुछ जमीन भी है, परन्तु वहां कोई संगठित और वैधानिक प्रदर्शनी कमेटी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसका चेयरमैन होता है और एक डिप्टी कलेक्टर उसका सेक्रेटरी होता है। म्युनिसिपैलिटी को जन स्वास्थ्य का काम करना पड़ता है। यदि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उस प्रदर्शनी को वैज्ञानिक ढंग पर लाया जाय और नुमायश का सारा कार्य म्युनिसिपैलिटी की ओर से हो तो यह म्युनिसिपैलिटी के लिये एक लाभ की बात हो सकती है।

मैं गांव सभाओं के संबंध में, जो कि माननीय मंत्री जी से संबंधित है, एक बात यह कहना चाहता हूं कि रामपुर में जहां गांव सभाओं का कार्य बहुत अच्छा हो रहा है वहां शाहबाद और मिलक में कई ऐसे सरपंच हैं जिनको किसी प्रतिष्ठित पद का अधिकारी नहीं होना चाहिये। वहां के जो पंचायत राज के अधिकारी हैं उनको अपने कार्य से अवकाश नहीं मिलता है, इसलिये

[श्री कृष्ण शरण आर्य]

वे पंचायत के सुधार का काम कहां तक कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—जनाबवाला, जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की फाइनेंशल हालत का ताल्लुक़ है, हर शख्स जानता है कि बहुत ख़राब है। उसके ख़राब होने का कारण यह है कि गवर्नमेन्ट ने लोकल बाडीज पे कमेटी बनायी और उसके बाद एक रेज़ोल्यूशन पास किया कि बोर्ड्स उस पे कमेटी की रिपोर्ट को अपने यहां इंफोर्स करें। नतीजा यह हुआ कि हर बोर्ड ने उसको अपने यहां इंफोर्स किया जिसकी वजह से उनकी माली हालत ज्यादा से ज्यादा खराब हो गयी। इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है। कब्ल इसके कि लोकल बाडीज को ज्यादा तनख्वाहें देना पड़ें, गवर्नमेंट को लोकल बाड़ीज से कंसलटेशन कर लेना चाहिये था। इस तरह बगैर लोकल बाडीज की फाइनेंशल हालत जाने गवर्नमेंट ने लोकल बाड़ीज को पे कमेटी की रिपोर्ट को नाफिज करने के लिये मजबूर किया। अगर लोकल बाड़ीज गवर्नमेंट का कहना न मानतीं तो वैसी ही हालत होती जैसी अध्यापक लोग कर रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिये कि लोकल बाडीज की फाइनेंशल हालत सुधारने के लिये, जो लोकल बाड़ीज को ज्यादा तनख्वाहें देनी पड़ रही हैं, उनको गवर्नमेंट अपनी जेब से दे।

म्युनिसिपल बोर्ड्स की हालत सुधारने के लिये गवर्नमेंट ने उनके पास एक सर्क्युलर भेजा है कि म्युनिसिपैलिटीज को केवल प्राइमरी एजूकेशन की ही तरफ ध्यान देना चाहिये और जिन हायर स्कूल्स को उनकी तरफ से एड मिलती है उसको बन्द कर देना चाहिये। जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट का ताल्लुक़ है, दफा ७ में बोर्ड की प्राइमरी ड्यूटीज हैं। दफा ८ में यह है :—

"Furthering educational objects by measures other than the establishment and maintenance of primary schools."

मेरे ख्याल में मंत्री जी को यह देखना चाहिये कि म्युनिसिपल बोर्ड्स की तरफ से जिन स्कूलों को ग्रांट मिल रही है अगर वह ग्रांट बन्द कर दी जायगी तो एजूकेशन को नुकसान पहुंचेगा गवर्नमेंट को दफा ३५ में यह अख्तियार है कि अगर कोई बात बोर्ड्स कर रहे हों तो गवर्नमेंट उसको पूरा कराये। लेकिन अगर अपने एम्स एण्ड आबजेक्ट्स के अन्दर कर रहे हैं और उनको अख्तियार है कि अलावा प्राइमरी एजूकेशन के दूसरी एजूकेशन की फरदरेन्स करे तो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि किस दफ़ा और किस म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्दर यह हुक्म भेजा है। जब बोर्ड डेफाई करता है तो सुपरवाइजिंग बोर्ड कहता है कि गवर्नमेंट का हुक्म नाफिज और मंजूर न करने पर तुम्हें सुपरसीड कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो मेरे ख्याल में यह नहीं होना चाहिये। मेरा सुझाव मिनिस्टर साहब से यह है कि अगर आप समझते हैं कि बोर्ड बहुत ज्यादा रक़में खर्च कर रहा है स्कूलों की हायर एजूकेशन के ऊपर तो आप को चाहिये कि आप हमसे यह कहें कि आहिस्ता आहिस्ता कम करो। एक दम से आप ने नोटिस भेजा और उसके बाद अब यह भेजा कि इस साल के अलावा नेक्स्ट ईयर जब फाइनेंशल ईयर आवेगा तो एक पैसा नहीं दिया जायगा। यह जो आर्डर्स गये हैं वह मेरे ख्याल में बहुत ही सख्त हैं। उनको चाहिये कि अगर स्कूलों की हायर एजूकेशन जो है उसका खर्चा कम करो और आहिस्ता आहिस्ता यह कहा जाय तीन साल के बाद जो ग्रान्ट्स दी जाती हैं वह नहीं दी जायंगी, एक दम से जो कई कई हजार रुपया दिया जाता था वह न दिया गया तो हुजूरवाला, मैं कहना चाहता हूं कि जमींदार लोग जो थे वे ही ऐसे इंस्टीट्यूशन्स चलाते थे और अब जमींदार खत्म हो गये हैं तो वे स्कूल्स बन्द हो जायंगे या खत्म हो जायंगे। इसलिये गवर्नमेंट को चाहिये कि जल्द से जल्द इसकी तरफ तवज्जह करे और अपनी पालिसी को रिवाइज करे।

हुजूर वाला, मैं बात खत्म करना चाहता हूं, सिर्फ एक बात है। वह यह है कि जितने भी म्युनिसिपिल बोर्डों के खर्चे बहुत ज्यादा हैं गवर्नमेंट को एक पालिसी बना देनी चाहिये और एक परसन्टेज मुक़र्रर कर देनी चाहिये, उन म्युनिसिपल बोर्ड के लिये। इसके अलावा मैं अपने खयालात का इजहार नहीं करना चाहता और बैठ जाता हूं।

श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—श्री अध्यक्ष जी, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। उसके साथ ही कानपुर के बारे में आप के द्वारा चन्द बातें माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं। कानपुर की हालत बहुत ही खराब है। वहां पर न तो कोई सुनने वाला है न कोई देखने वाला है। सब से पहली बात यह है कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव १४ वर्ष हो गये हैं तब से नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के बैठ जायं, एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या जब माननीय मंत्री जी हाउस में उपस्थित न हों तो क्या अनुदान पर बहस जारी रहनी चाहिये?

मालमन्त्री के सभासचिव (श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य)—मैं रिप्रेजेन्ट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—वह किसी वजह से बाहर गये हैं।

श्री हमीद खां—कानपुर की हालत बहुत खराब है। वहां नालियों के आगे दो दो, तीन तीन फिट लोगों के चबूतरे बढ़ गये हैं। सड़कों की भी बड़ी बुरी हालत है। अभी थोड़ा ही अर्सा हुआ कानपुर शहर में एक सड़क से एक्का निकला जिस पर एक स्त्री बैठी हुई थी, उसके बच्चा होने वाला था। वहां उस एक्के के गिरने से वहां उसके बच्चा हो गया। तो यह हालत कानपुर की है। यहां की दशा खराब हो गयी है। कानपुर में कलेक्टरगंज का बाजार एक बहुत बड़ी मंडी है जिससे काफी आमदनी होती है और कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड को इतनी जबर्दस्त आमदनी है जिसकी वजह से शहर का बहुत सुधार हो सकता है लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से जो आडीटर मुकर्रर हैं उसने जो रिपोर्ट की है उससे पता चलेगा कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड में कितनी धंधागर्दी चल रही है जिसकी वजह से कानपुर शहर तबाह हो रहा है। आप के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि मेहरबानी करके कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड को जप्त करके कानपुर को जीवनदान दीजिये और कानपुर की दशा को सम्हालिये ताकि कानपुर के लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक तरह से रख सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस तरफ ध्यान देंगे और वहां के म्युनिसिपल बोर्ड को जब्त करने से इन्कार न करेंगे।

इसके अलावा मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस वक्त डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से जितने क्वार्टर्स बन रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। वहां पर उन क्वार्टर्स के पास मार्केट का कोई इंतिजाम नहीं है और उसके न होने की वजह से बहुत हालत खराब होती है और वही हालत हो जायेगी जैसे गोविन्दनगर में क्वार्टर्स इतने बन गये हैं कि वहां पर मार्केट का कोई इंतिजाम नहीं है। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट जहां क्वार्टर बनवायें पहले मार्केट बनवाने का इंतिजाम किया जाय जिससे वहां पर लोग ठीक ढंग से रह सकें। मुझे उम्मीद है कि कानपुर जहां से इतनी अच्छी आमदनी होती है उसके लिये, उसके सुधार के लिये माननीय मन्त्री जी कानपुर के म्युनिसिपल बोर्ड को जब्त करने की कोशिश करेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय ब्रह्मदत्त जी का भाषण सुना। वह कानपुर के लिये कहते थे कि कानपुर शहर में जो म्युनिसिपैलिटीज की सड़कें बहुत खराब हैं उनके लिये सरकार की ओर से कोई ग्रान्ट नहीं मिलती। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनको रोड फंड से ४ लाख ३७ हजार रुपया मिला है और अगर फिर भी सड़कों के लिये रुपये की जरूरत हो तो इस सरकार से ही रुपया क्यों लिया जाय। उसका रुपया ग़रीब जनता पर टैक्स कर के आता है। कानपुर में वैसे भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं जिनके ऊपर और भी टैक्स लगाया जा सकता है और उससे कानपुर की सड़कें ठीक की जा सकती हैं। यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे दोनों कानपुर के माननीय सदस्यों ने इस बात की प्रार्थना की कि वहां की सड़कें इतनी ज्यादा खराब हैं इस

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

लिये वहां के म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाय। बदक़िस्मती से आजकल वहां के जो चेयरमैन हैं वह कांग्रेसमैन हैं। अगर पार्टी की वजह से उनको सुपरसीड कर दिया जाय तो वह ग़लत होगा लेकिन अगर सड़कें ख़राब हैं तो ज़रूर कर दिया जाय। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसके लिये कोई ग्रान्ट देने के लिये सोचे तो उससे पहले उसे उस धन को उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को देना चाहिये जिनमें टैक्स लगाने की ज़रा भी ताक़त नहीं रह गयी है। हमारे यहां पहाड़ों में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, अल्मोड़े को ही ले लीजिये, वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में छत नहीं हैं। हमारे यहां की सड़कों की हालत इतनी ज्यादा ख़राब है कि शाम को अंधेरा होने के बाद चल नहीं सकते। हमारे यहां के अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है और कोई उसे देखने वाला नहीं है। अब वहां टैक्स लगाने की कोई चीज़ नहीं रह गयी है। जिससे जनता पर टैक्स लगाया जाय। खेती वहां अच्छी नहीं होती, बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं। उनमें मेहनत करने के बाद भी कुछ मिलता नहीं है। जब स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे थे कि उस वक्त हम कहा करते थे कि देखिये अंग्रेजों ने कितना जुल्म ढा दिया है कि नदियों का पानी जो बहता है उनसे जो चक्कियां चलतीं उन पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया है कितने गजब की बात है। लेकिन उस वक्त तो एक या दो रुपया उन पनचक्कियों पर लगता था लेकिन जब से कांग्रेस हुकूमत आयी है १२ रुपया और १४ रुपया टैक्स लगता है। मैं अपने एलेक्शन में यही कह कर जीत कर आया कि इन कांग्रेसवालों ने तुम पर कितना टैक्स बढ़ा दिया है। इतने लोग वहां नाराज़ हैं। तो हम तो सरकार से यह प्रार्थना करेंगे कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इन कामों को नहीं चला सकते तो हमारी ग्राम पंचायतें काफी हैं इन कामों को चलाने के लिये और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को बन्द कर दिया जाय। यह चेयरमैन, सेक्रेटरी और आफिस वगैरह सब बन्द हो जायं और सरकार इस काम को अपने हाथ में ले ले।

स्कूल्स को शिक्षा विभाग ले ले, अस्पतालों को चिकित्सा विभाग ले ले और सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० ले ले। यही दो तीन काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में होते हैं उनको सरकार स्वयं चला ले या फिर जंगलों की आमदनी उन को दे दी जाय। किसी तरह से उनका कुछ काम तो चले। चेयरमैन साहब से कुछ कहते हैं तो वह कहते हैं कि रुपया कहा से लायें। न स्कूल के टीचर्स को तनख्वाह दी जाती है और न अस्पतालों की गुजरी हुई हालत को ठीक किया जाता है। ऐसी हालत में मैं हुकूमत से प्रार्थना करूंगा कि जहां पर टैक्स लगाने की कोई चीज़ नहीं रह गई है वहां उन्हें यह मदद दे।

अध्यक्ष महोदय, जहां पर सेंट्रेलाइजेशन और डिसेंट्रेलाइजेशन की बात करते हैं तो सारी ताक़त उनको दे देते हैं। जहां हम डिसेंट्रेलाइजेशन की बात करते हैं तो यहां से यह ऊपर उठते हैं। बड़ी गर्म अफवाह चल रही है कि हमारे मुख्य मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में शायद होम मिनिस्टर वगैरा कुछ हो कर जा रहे हैं, गजब हो जायगा, वहां के यहां आते या यहां से वहां जायंगे। यदि वह चले गये तो इस प्रांत की क्या हालत होगी। इसलिये डिसेंट्रेलाईजेशन की बात की जा रही है। हम यह चाहते हैं कि ऐसा जो डिसेंट्रेलाइजेशन हो रहा है यह तो सेंट्रेलाइजेशन हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को नाम के अधिकार न देकर.....

श्री मोहन लाल गौतम—आप अल्मोड़े से न आये होते तो अच्छा होता।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—हो सकता है लेकिन मेरी बदक़िस्मती यह है कि मैं अल्मोड़े में ही पैदा हुआ हूं और वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हालत, अध्यक्ष महोदय, बड़ी दयनीय है और कर्जे वगैरा के लिये प्रार्थना की है, वैसे वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। स्कूलों की हालत बहुत गुजरी हुई है। मैं अपने यहां के लिये नहीं बल्कि और भी जगहों के लिये जहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत ऐसी है, प्रार्थना करूंगा कि सरकार उनको मदद दे। टेहरी-गढ़वाल में अभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं है और वहां के लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो जाना चाहिये। मैं तो उनको सलाह दे रहा हूं कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नाम तक न लें। अगर वह चाहते हैं कि उनके यहां शिक्षा तथा अस्पतालों का इंतजाम अच्छा हो तो सब से अच्छा काम यह होगा कि सरकार उनको अपने हाथ में ले ले बजाय इसके कि हर साल ग्रांट गवर्नमेंट

से मांगते रहें, मैं हुकूमत से प्रार्थना करूंगा कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को बन्द कर दें। कानपुर के भाई तो म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करने की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को बन्द कर दिया जाय। पंचायत ही सारा काम कर लेंगी। शिक्षा सरकार अपने हाथ में ले ले। मेरे कानपुर के भाई नाराज न हों। मैं चाहता हूं कि कोई बोर्ड खत्म न हो, लेकिन कानपुर की मोटर चलने वाली सड़कों के लिये मैं चाहता हूं कि रुपया न दिया जाय।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि म्युनिसिपल बोर्ड का अनुशान भवन के सम्मुख आया है, इसलिये मैं जौनपुर की म्युनिसिपैलिटी के संबंध में थोड़ा सा सुझाव रखना चाहता हूं और वह यह है कि जौनपुर की म्युनिसिपैलिटी की टैक्स की हालत इतनी बढ़ी हुयी है कि वहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। इस संबंध में कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी टैक्स के संबंध में जो कुछ भी करेंगे जनता उसको सहर्ष क़बूल करेगी। मगर साथ ही साथ यह भी ख़याल करना चाहिये कि वहां पर टैक्सेज किस बेसिस पर हों और उनके ग्राउन्ड्स होने चाहिये। म्युनिसिपल एरिया के अन्दर जहां हमारे शहर की हद आ जाती है वहां पर पाइप नहीं जा सकता है, बत्ती का इंतजाम नहीं है, फर्श नहीं है, झाड़ू नहीं दी जाती है और कूड़े की गाड़ी वहां नहीं पहुंच सकती है वहां पर भी टैक्स लगाया गया है। वाटर टैक्स और हाउस टैक्स दोनों लगाये गये हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि टैक्सेज वाजिब समझकर लिये जायं जिससे जनता में असंतोष न फैले।

दूसरी बात यह है कि वहां सफाई का प्रबंध सैनीटरी इंसपैक्टर्स का ऐसा है कि प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गली में और प्रत्येक नाली में से बदबू आती है और सब की सफाई ठीक तरह से नहीं होती है। वहां की नालियों की हालत ऐसी है कि शहर के अन्दर के जिस पानी को बाहर जाना चाहिये वह बाहर जाने के बजाय शहर के अन्दर आता है, लेकिन टैक्सेज की भरमार हो गयी है। शायद माननीय मंत्री को यह सूचित होगा कि वहां की जनता की तरफ से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स पर मुक़दमा चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो पंचवर्षीय असेसमेंट होता है उस असेसमेंट के होने पर वहां की जनता की शिकायत है कि जो वाटर टैक्स और हाउस टैक्स लगाया गया है उसमें पक्षपात किया गया है और ग़लत तरीक़े से लगाया गया है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां की जनता की शिकायतों पर वह ध्यान दें। टैक्ससेज भी जो वहां लगाये जा रहे हैं वह ग़लत तरीक़े से लगाये जा रहे हैं, वह सही तरीक़े से लगाये जायं, ताकि आइंदा जनता को शिकायत करने का मौक़ा न मिले। इसके अतिरिक्त टैक्सेज जिस आधार पर लगाये जायं उसके लिये जनता को पहले से ही सूचना मिलनी चाहिये कि इतना पैसा हाउस टैक्स और इतना पैसा वाटर टैक्स के रूप में लगाया जायगा।

चुंगी का मामला यह है कि जो लोग अपना माल म्यूनिसिपैलिटी की हद के बाहर बेचते हैं और रहते म्युनिसिपैलिटी के हद में हैं तो जो वहां चुंगी अधिकारी हैं वह कहते हैं कि चूंकि तुम म्युनिसिपैलिटी में रहते हो इसलिये तुम्हें चुंगी देनी पड़ेगी चाहे सामान अपना म्युनिसिपैलिटी के अंदर बेचो या बाहर। माननीय मंत्री से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह चीज बाई लाज में हो तब तो वे सहर्ष टैक्स देने के लिये तैयार हैं लेकिन अगर यह धांधली है तो माननीय मंत्री जी इसको रोकने की व्यवस्था करेंगे। यही मुझे कहना है।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना वाद-विवाद इस डिमांड पर हुआ है उसमें एक खास बात तो यह है कि क़रीब-क़रीब सभी माननीय सदस्यों ने यह राय जाहिर की है कि जो कुछ भी रुपया लोकल बाडीज के लिये इस बजट में रक्खा गया है वह काफी नहीं है। मैं भी उन माननीय सदस्यों की इस राय से सहमत हूं और मैं भी चाहता हूं कि रुपया और ज्यादा रक्खा जाय, लेकिन मजबूरियां हैं। बजट आपके सामने है। उसमें जिन-जिन चीजों को प्रायरिटी दी जा रही है वह साफ है। इसलिये अगर इसमें रुपया काफी नहीं है तो वह मजबूरी है। माननीय तिवारी जी को मैं उनके भाषण पर बधाई देता हूं। उन्होंने

[श्री मोहनलाल गौतम]

जितने सुझाव पेश किये हैं वे काफी अच्छे हैं। एक तो जो दो लाख कुछ हजार रुपये की ग्रांट की बात कही वह एक परमानेंट बेसिस पर एग्रिमेंट हुआ था। इसलिये वह घटती बढ़ती नहीं है। जहां तक फेरीज का हिसाब लगाने का सवाल है वहीं हिसाब हो, वहीं दे दिया जाय यह सवाल विचाराधीन है। ग्रांट इन एड की बात जहां तक उन्होंने कही उसमें इतना ही मुझे कहना है जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिन म्युनिसिपैलिटीज को पिछले तीन साल ग्रांट नहीं दी गयी थी उनको अबकी दी गयी है। जो सिद्धान्त उन्होंने रोड्स को ग्रान्ट देने के लिये बतलाया था माइलेज के हिसाब से वह हिसाब चाहे बिलकुल सही न उतरे, लेकिन इस बात से वह इत्तिफाक़ करेंगे कि जो मोटा उसूल उनके सुझाव में है वह मेरी इस कार्यवाही से, कि जिनको पिछले तीन साल में ग्रांट मिल चुकी है उन को न दे कर उनको दी गयी है जिनको पिछले तीन साल में नहीं मिली, पूरा होता है। यह ठीक है कि माइलेज का बिल्कुल रत्ती तक हिसाब न किया गया हो, लेकिन एक उसूल यह जरूर है कि हर म्युनिसिपैलिटी को ग्रान्ट्स-इन-ऐड मिल जाय। चाहे वह यहां तक पहुंचे या न पहुंचे या चाहे मेम्बर साहबान या चेयरमैन साहबान चाहें कि इन म्युनिसिपैलिटियों को मिल जाय, लेकिन अगर इस सिद्धांत के अनुसार नहीं आते तो उनको नहीं मिला है। इसलिये बहुत हद तक उनका सुझाव पूरा करने की कोशिश की गयी और फिर भी ये दोनों सुझाव अभी विचाराधीन हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही उन पर फ़ैसला हो जायगा।

केशवजी ने भी यही बात कही कि ग्रांट बढ़े। इसमें मुझे कुछ अधिक कहना नहीं है। बजट जब पेश होता है तो आम तौर से मंत्री को बहुत झिझक इस बात से होती है कि जब यह कहा जाय कि तुम्हारी मांग ज्यादा है, इसको कम किया जाय। लेकिन इस बात से तो हर एक मंत्री खुश होगा कि उसने जो मांग इस सदन के सामने पेश की है उसको इस सदन के सदस्यगण कम समझते हैं और बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। इसके लिये तो मंत्री उनको बधाई ही दे सकता है।

एक बात दो तीन माननीय सदस्यों ने और कही कानपुर के बारे में। कानपुर के लिये ४,३७,००० रुपये की रक़म रोड फंड से रखी गयी है। और जो कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में कहा गया कि दो दफ़ा जवाब तलब हुआ, वह सुपरसीड नहीं हुआ, गवर्नमेंट की इज्जत उससे कम हुई या बहुत सी इंतजाम के बारे में बातें कही गयीं। इस सिलसिले में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह चीज गवर्नमेंट के सामने है और गवर्नमेंट ने उस पर कुछ कार्यवाही भी की है और वह कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है, उसका क्या नतीजा निकलेगा, इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से यही प्रार्थना करूंगा कि उसका वह इन्तजार करें।

आजमगढ़ और मऊ की म्युनिसिपैलिटियों के लिये रामसुन्दर जी ने मांग की है कि इन म्युनिसिपैलिटियों को भी मिले। इस बात से तो मैं सहमत हूं कि इन म्युनिसिपैलिटियों की हालत खराब है और किसी भी म्युनिसिपैलिटी की हालत ऐसी नहीं है जो कि अच्छी कही जा सके। लेकिन जो उसूल नारायण दत्त जी ने रखा और जिसको मैंने दूसरे रूप में पूरा करने की कोशिश की उसी के मुताबिक़ मऊ और आजमगढ़ को इस साल कोई ग्रांट नहीं मिल सकती। क्योंकि इन दोनों को पिछले तीन साल में मिल चुकी है इसलिये इस साल अगर कोई ग्रांट इनको दी जाती है तो मेरा ख्याल है कि सब से पहला आब्जेक्शन नारायण दत्त जी का होता। इसलिये मेरी हिम्मत नहीं हुई कि इनको कोई ग्रांट दी जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मुझे कैसे आपत्ति होती?

श्री मोहन लाल गौतम—इसलिये कि जो नियम आप ने रखा है कि माइलेज के हिसाब से रखा जाय उसको मैंने दूसरे रूप से पालन करने की कोशिश की और वह यह कि पिछले तीन साल में जिन म्युनिसिपैलिटियों को रुपया मिला है उनको न दिया जाय। अगर हम ऐसा

न करते तो कुछ म्युनिसिपैलिटियां ऐसी होतीं कि जिनको पिछले तीन साल में नहीं मिला और इस साल भी नहीं मिलता और कुछ ऐसी होतीं जिनको पहले भी मिला और इस साल भी मिलता और उसका कोई नियम न होता । उसको चाहे आप पैट्रोनेज कहते। इसलिये रामसुन्दर जी की मांग को अगर हम मंजूर कर लेते तो शिकायत आप ही को उस उसूल के अनुसार हो जाती।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप का रूप और मेरा रूप तो अलग-अलग है।

श्री मोहन लाल गौतम—रामपुर के बारे में जो कहा गया उसके लिये मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वाटरवर्क्स की दिक्कत हमारे सामने है और इस बात की तजवीज हमारे सामने है कि कुछ रुपया रामपुर के वाटरवर्क्स के लिये दिया जाय। अगर वह रुपया दिया गया और आशा है कि इसी फाइनेंशियल इयर में वह रुपया दिया जा सकेगा तब वह शिकायत दूर करने की कोशिश की जायगी। जौनपुर के बारे में एक बात कही गयी, एक और माननीय सदस्य ने यह कहा कि वहां पर टैक्स ज्यादा लगाये जाते हैं। मेरा अन्दाजा है कि यह चीज बहुत थोड़ी जगह हुई होगी जहां की म्युनिसिपैलिटियों ने ज्यादा टैक्स लगाया होगा। आम तौर पर शिकायत टैक्स कम लगाने की की जाती है और दूसरी तरफ़ ऐमिनीटीज मांगी जाती हैं। यह दोनों चीजें कहां तक चल सकती हैं कि टैक्स लगाने की तो शिकायत की जाय और सहूलियतें ज्यादा मांगी जायं। जैसा कि उपाध्याय जी ने कानपुर के बारे में कहा कि वहां के लिये वहीं के लोगों पर टैक्सेज लगाने चाहिये। अब टैक्स लगाने में यह देखने की बात है कि वाकई किसी समुदाय पर ज्यादती हो रही है या नहीं।

इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी शिकायतें की गयीं उन सब का उत्तर मैं माननीय अध्यक्ष जी की मार्फत तमाम सदन के सदस्यों को देना चाहता हूं, वह यह कि म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव आ रहा है अतः सब लोग मिलकर उन चुनावों में कोशिश करें कि जो लोग इन चुनावों में आयें वे माकूल किस्म के आयें, ताकि जो शिकायत आजकल म्युनिसिपैलिटीज की आ रही हैं वे न आयें। इसलिये म्युनिसिपैलिटीज के बारे में इधर शिकायत न करके माननीय सदस्य चुनाव की तरफ रुजू हों तो ज्यादा अच्छा है और उसको वहां से ही दुरुस्त करने की कृपा करें।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की फाइनेंशियल हालत के बारे में कहा गया। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि उनकी हालत ख़राब है, लेकिन इस प्रश्न पर विचार हो रहा है कि उनकी हालत को कैसे सुधारा जा सकता है। जहां तक पहाड़ी इलाक़ों के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का ताल्लुक़ है, उनकी हालत भी ख़राब है इसमें भी किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। इस साल ढाई लाख रुपया पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दिया गया था जो इस साल यानी ५२-५३ के लिये था अब ५३-५४ के लिये ५ लाख रुपया रखा गया है, ताकि उनको सहायता दी जा सके। यद्यपि यह रुपया बहुत नहीं है लेकिन उनकी जो हालत इस वक्त ख़राब है उसके लिये यह रुपया दिया गया है बाक़ी जो जनरल हालत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की है वह तो ख़राब है ही, उस पर विचार किया जा रहा है।

एक सवाल और है, वह हायर एजूकेशन का है। इस संबंध में ऐजाज रसूल साहब ने शिकायत की। मेरे सामने दिक्कत यह है कि म्युनिसिपैलिटीज अपनी प्राइमरी ड्यूटीज को नहीं करती हैं और बिना अपनी आमदनी का ठीक अन्दाज और हिसाब रखे हुये हायर एजूकेशन पर खर्चा कर डालती हैं। एक म्युनिसिपैलिटी की फाइल मेरे पास आयी जिसकी आमदनी १ लाख ४८ हजार की है जिसमें से वह ५४ हजार रुपया एक कालेज पर खर्च कर देती है मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी जुरअत वे कैसे करती हैं। एक दूसरी म्युनिसिपैलिटी जिसका कि सफाई वग़ैरा का अच्छा इंतजाम नहीं है उसकी ११ लाख रुपया आमदनी है और २ लाख रुपया वह हायर एजूकेशन पर खर्च कर देती है। इस तरह हायर एजूकेशन पर अगर बेतहाशा रुपया खर्च किया जायगा तो बड़ी मुश्किल हो जायगी जब कि हालत यह है कि उनकी सफाई का

[श्री मोहन लाल गौतम]

का इंतजाम ठीक नहीं है, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की हालत ठीक नहीं है और हायर एजूकेशन पर इतना खर्च किया जाता है। दूसरे अमानत का रुपया जो म्युनिसिपैलिटी आवट्राय से वसूल करती है वह भी नहीं दिया गया है। बहुत सी जगह वह रुपया भी पड़ा है। इसको अगर अमानत में खयानत कहा जाय तो गैरवाजिब न होगा। क्योंकि यह रुपया तो उन्हें कभी का रिफ़ंड कर देना चाहिये था। पानी का इंतजाम और सफ़ाई का इंतजाम ठीक नहीं है लेकिन हायर एजूकेशन पर खर्च किया जा रहा है। जो कि उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, पहले जो अपनी प्राइमरी ड्यूटीज हैं उनको पूरा करें, तब देख सकते हैं। फिर ऐजाज रसूल साहब फरमाते हैं कि किस कानून से आप ने ऐसा किया ? फिर आप फरमाते हैं कि रक़म कम करते चले जाते। अगर आप को रक़म कम करने का अधिकार है तो उसे बन्द करने का भी अधिकार है। तो आप की दोनों बातें कैसे एक साथ चल सकती हैं ? ऐडवाइस जो करें उसे मानें न मानें लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड्स के चेयरमैन ऐडवाइस सुनने के लिये तैयार नहीं जब तक कि यह न कहा जाय कि आप नहीं कर सकते। उनकी तजवीज यह है कि रक़म कम करने की बात होती तो मैं कहता हूं कि मुझे अधिकार नहीं है। अगर यह अधिकार नहीं है तो किसी रक़म को बन्द कर दें यह भी अधिकार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं की जो थोड़ी सी महत्व की बात इसमें कही गयी है वह यह है कि लोकल बाडीज हायर एजूकेशन पर न खर्च करें। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मैं हायर एजूकेशन के कोई खिलाफ हूं। लेकिन इससे १० लाख रुपया लोकल बाडीज का बच जायगा और जो हमारा प्राइमरी फंक्शन है उसमें वह रुपया लगेगा। यह हमारे लिये जरूरी है कि जो टैक्स देने वाला है, जिससे कि हम टैक्स लेते हैं उनके ऊपर पहले खर्च करें। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि लोकल बाडीज की हालत खराब है, उनकी फाइनेंशियल हालत खराब है, और उनकी हालत को दुरुस्त करना है, इनसे सहमत होते हुये मैं मजबूर हूं और इस छोटी सी रक़म को इस सदन के सामने स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इस अनुदान के संबंध में हुए विवाद के प्रत्युत्तर में जो अपनी मजबूरियां दिखलायीं उसे सुन कर मैं भी थोड़ा बहुत मजबूर हुआ लेकिन जब मैंने तफसील में स्थिति का पर्यवेक्षण किया तो देखने को यह मिला कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत तो इतनी नाजुक हो गयी है कि माननीय मंत्री जी को अपनी मजबूरियों के रहते हुये भी स्थिति की ओर विशेष ध्यान देने के लिये मजबूर होना ही पड़ेगा। सन् १६५१–५२ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का कुल ओपेनिंग बैलेंस एक करोड़ ६ लाख था जो सन् ५२-५३ के अन्त में घट कर केवल ६ लाख रह गया है। यानी पिछले ५१-५२ से ५२-५३ के वर्ष तक जो एक करोड़ ६ लाख बैलेंस उनके पास था वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की धनराशि १ करोड़ की खत्म हो गयी और इस प्रकार इस वर्ष के अन्त में केवल ६ लाख रुपया ही रह गया। इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को शिक्षा के बजट के लिये ८४ लाख रुपया चाहिये, सड़कों के लिये उनको २१ लाख रुपया चाहिये, मिर्जापुर, देहरादून, फैजाबाद में प्राइमरी ४८ और जूनियर हाई स्कूल ५ की योजना है, उसके लिये भी रुपया चाहिये। बदायूं में डिस्पेंसरीज कम हो गयीं, सीतापुर में विमेन डिस्पेंसरी कम हो गयी, इस प्रकार से मेडिकल सर्विस की जो हालत है उसके लिये भी इस छोटे अनुदान से मजबूरियां दिखलायी गयीं। केवल यह कह देने से कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स या म्युनिसिपल बोर्ड्स आटोनोमस बाडीज हैं, इससे कोई काम पूरा होने वाला नहीं है तो इस संबंध में कुछ सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। सन् १६५०–५१ तक सरकार की तरफ से कुछ स्पेशल स्कीम ग्रान्ट्स इन एड के रूप में म्युनिसिपैलिटीज के लिये थी —

सन्		लाख	
१६४६-४७ में	..	२२	रुपया दिया गया था
१६४७-४८ में	..	१०	रुपया ,,
१६४८-४६ में	..	७	रुपया ,,
१६४६-५० में	..	५	रुपया ,,

लेकिन सन् १९५०-५१ में उसको बिल्कुल बन्द कर दिया। इसी प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे उनको भी सरकार ने मदद की।

सन् १९४९-५० में ... ९० लाख रुपया दिया।

सन् १९५०-५१ में ... ३।। लाख रुपया दिया।

सन् १९५१-५२ में ... ५ लाख रुपया दिया।

लेकिन इन पिछले दो सालों के बजट में देखने से मालूम होता है कि उनको कुछ नहीं दिया गया। मैंने बजट के आम विवाद के समय कहा था कि स्थानीय निकायों का बजट स्टेट बजट से पहले नहीं आना चाहिये। यह हमारा दुर्भाग्य है कि केंद्रीय बजट तो प्रान्तीय बजट के बाद आता है और लोकल बाडीज का बजट स्टेट बजट के पहले आता है। यह कितनी विपरीत बात है। पहले सेन्टर का बजट फिर स्टेट का बजट और फिर लोकल बाडीज का बजट आना चाहिये। लेकिन अब जो तरीका है वह निश्चित सा नहीं है। इस प्रकार से सारा भार जा कर आम जनता पर पड़ता है। तो अब समय आ गया है कि जिस प्रकार से सेंटर प्राविन्स को इन्कमटैक्स के पूल में से कुछ रुपया देती है उसी प्रकार से एक्साइज में से जो आमदनी होती है उसका रुपया म्युनिसिपल बोर्ड को और रोडवेज से जो आमदनी होती है उससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देना चाहिये। यदि आप इस प्रकार से पूल में से रुपया निकाल कर लोकल बाडीज को ग्रांट नहीं देंगे तो उन लोकल बाडीज की जो आर्थिक अवस्था है वह सुधरने वाली नहीं है वह बिगड़ती चली जायगी। मद्रास, बम्बई और बंगाल की सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड को अपने यहां इन्टरटेनमेंट पर और बैटिंग पर सेस लगाने की इजाजत दी है और इस प्रकार से लक्जरी टैक्स लगा कर उनकी आमदनी को बढ़ाया गया है। इसी प्रकार हमारी सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिये। इससे यह होगा कि अलग से अनुदान देने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके साधन इस प्रकार से सरकार को करना चाहिये कि जिससे उनकी आमदनी बढ़े। जो जरूरी चीजें हैं या लक्जरी चीजें हैं उन पर टैक्स लगाने का उनको अधिकार दे दिया जाय तो उनकी आमदनी बढ़ सकती है। तो माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर सकते हैं कि लोकल बाडीज के फाइनेंस की हालत कैसे सुधर सकती है।

जहां तक पहाड़ी बोर्डों का सवाल है माननीय मंत्री जी ने ५ लाख रुपया इस वर्ष रखा है। यानी ५३-५४ के बजट में रखा है। मैं फिर आप का ध्यान कमेटी रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं जो लोकल बोर्ड्स के लिये ग्रान्ट्स इन ऐड कमेटी है और जिसमें यह कहा गया है कि सन् १९१२ में इस बात को मंजूर किया गया था चूंकि कुमायूं में सारे जंगल हैं तो उनके लिये किस प्रकार प्लेन्स में लोकल रेट्स से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आमदनी होती है उसी प्रकार पहाड़ी जिलों में फारेस्ट की आमदनी को लोकल रेट मान कर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देनी चाहिये। इस कारण मेरा यह निवेदन है कि फारेस्ट की आमदनी का चौथा हिस्सा कुल आमदनी में से निकाल कर उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया जाय जो पहाड़ी इलाकों में हैं। यह सिफारिश कमेटी की थी। इस प्रकार से करने पर अलग से अनुदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस जिले में जितनी रेवेन्यू की आमदनी है वहां पर पापुलेशन के हिसाब से उतना हिस्सा निकालना चाहिये। अगर आप इस बात को स्वीकार कर लें तो आप को अलग से अनुदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय कम है इस कारण मैं इतना कह कर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे इन सुझावों पर विचार करके इनको कार्यान्वित करने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष (श्री नारायणदत्त तिवारी से)—क्या आप कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५, नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य) के अन्तर्गत ३५,०८,१०० रुपय की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन की बैठक का समय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से एक संकल्प पेश करना चाहता हूं और यह इस प्रकार है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के अनुसार सदन की बैठक का समय साधारणतः १½ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक का है। अतः यह सदन निश्चय करता है कि कार्यसूची पर मद संख्या ३,४ और ५ पर विचार करने के निमित्त सदन की बैठक ५ बजे के उपरान्त भी हो।"

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--मैं यह महसूस करता हूं कि यह बहुत आवश्यक है लेकिन आजकल क्योंकि बजट के सिलसिले में हमको काफी तैयारी करनी पड़ती है, इसलिये समय बहुत कम मिलता है? वैसे यह मसला अहम और आवश्यक तो जरूर है लेकिन अगर इसके लिये बजट के बाद कोई तारीख मुकर्रर कर दी जाय तो अच्छा होगा। अगर २ घंटे बढ़ा दिये जायंगे तो हमारा ध्यान बजट से हटकर उस तरफ लग जायगा वर्ना मैं इसकी अहमियत और अरजेंसी को महसूस करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--पहले मैं आप का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ७६ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें ऐसा मोशन लाने के लिये ७ दिन का समय जरूर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--यह तो केवल आज का समय बढ़ाने का है और उन्होंने "संकल्प" शब्द इस्तेमाल किया है और अब तक हिन्दी में मोशन और रिजोल्यूशन दोनों अर्थों में "संकल्प" शब्द का ही प्रयोग होता है, अगर रिजोल्यूशन होता तो ७ दिन के नोटिस की जरूरत थी हालांकि वह भी अध्यक्ष की अनुमति से कम किया जा सकता है, यह तो मोशन है। जहां पर संकल्प का अर्थ मोशन का होता है वहां नोटिस के बगैर भी इस तरह से पेश हो सकता है और एक्सटेंशन आफ टाइम के लिये यह प्रथा रही है कि तत्काल ही संकल्प आ जाता है जैसे कल ही कई बार आधा आधा घंटा करके समय बढ़ाया गया था, इसलिये इसमें कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायणदत्त जी से और श्री मदन मोहन उपाध्याय से प्रार्थना करूंगा कि अच्छा हो यदि वह चकबन्दी वाले प्रश्न को जितना जल्दी से जल्दी हो सके आने दें और उसके लिये यदि हमें २ घंटा अधिक बैठना पड़े तो हम बैठ जायं और बजट के कटौती के प्रस्तावों पर अगर कम भी हमारी तवज्जह होगी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वह गिर तो जाते ही हैं। ऐसी हालत में मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि वह इसको स्वीकार कर लें और बाकी राजस्व मंत्री जी से मैं कहूंगा कि वह भूमि व्यवस्था संबंधी विधेयक को बजट के बाद ही लें तो अच्छा है क्योंकि उसमें तो कोई जल्दी की बात नहीं है जिस से किसी नुकसान का अन्देशा है।

श्री अध्यक्ष--उपाध्याय जी! क्या आप अपने एतराज को वापिस ले रहे हैं?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मेरी इतनी प्रार्थना श्री गेंदा सिंह जी से है ...

श्री अध्यक्ष—तो क्या आप मानने के लिये तैयार नहीं हैं?

श्री चरण सिंह—तो मुझे इसके जवाब में कुछ कहना नहीं है सिवा इसके कि जो मोशन मैंने पेश किया है वह तो केवल इतना है कि इसमें जो आइटम ३,४,५ हैं उन पर विचार कर लिया जाय और उन आइटम्स के लिये एक तरह का मोशन है कि रोज पांच बजे से ७ बजे तक बैठक हो, तो जो कुछ माननीय उपाध्याय जी और तिवारी जी ने कहा है वह उस वक्त लागू होगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि यह मद ले ली जाय और इसके लिये जो थोड़ा बहुत समय हो वह बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के अनुसार सदन की बैठक का समय साधारणतया ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक का है। अतः यह सदन निश्चय करता है कि कार्य सूची पर मद संख्या ३,४ तथा ५ पर विचार करने के निमित्त सदन की बैठक पांच बजे के उपरान्त भी हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) (तृतीय) आज्ञा, १९५३ को मेज पर रखना

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल द्वारा १९ फरवरी, १९५३ ई० को प्रसारित उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) (तृतीय) आज्ञा, १९५३, को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४२ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी (कन्सालिडेशन आफ़ होल्डिंग्ज) विधेयक, १९५३

माल मंत्री श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी (कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज) विधेयक, १९५३ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९६ पर)

निर्धारित समय के अतिरिक्त ५ बजे से ७ बजे सायंकाल तक सभा की बैठक करने के संबंध में संकल्प

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं निम्नलिखित संकल्प या मोशन उपस्थित करता हूं—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ़ प्रोसीजर आफ़ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के अनुसार सदन की बैठक ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक ही होती है। तथापि विधान सभा द्वारा पारित व विधान परिषद् द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२, तथा उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी (कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स) विधेयक, १९५३ को, जल्द से जल्द अधिनियम बनने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि उक्त विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित करने के लिये सदन की बैठक १० मार्च, १९५३ ई० तथा अन्य आगामी तिथियों को ५ बजे सायंकाल से ७ बजे सायंकाल तक भी होगी।"

अध्यक्ष महोदय, जमींदारी अबालिशन ऐक्ट का संशोधन करने वाला बिल जो कि इस सभा से मंजूर हो चुका था वह लेजिस्लेटिव कौंसिल में गया। लेजिस्लेटिव कौंसिल ने कुछ

* यहां पर छापी नहीं गयी।

[श्री चरण सिंह]

बहुत जरूरी लेकिन टेक्निकल संशोधन उसमें किये। और अब संविधान के अनुसार फिर इस विधान सभा में मंजूर होना जरूरी है। यह संशोधन जो लेजिस्लेटिव कौंसिल ने किये हैं वह कोई बहुत सब्सटेंशल नहीं हैं, किसी उसूल पर असर नहीं पड़ता है। वह लगान की तकरीरी किन्हीं सूरतों में जिस तरीक़े से होनी चाहिये थी उस तरह का कोई विधान हमारे संशोधन विधेयक में नहीं था। उस कमी की लेजिस्लेटिव कौंसिल ने पूर्ति की है। तो अब यहां आना आवश्यक था।

मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह इस ख्याल से कि जल्दी से जल्दी हमारे विधान मंडल से यह विधेयक पास हो जाय और उसके बाद यह प्रेसीडेंट के ऐसेंट के लिये भेजा जायगा। वहां भी कुछ समय लगेगा। तो बहुत से संशोधन जो हमने करने जरूरी समझे थे उनमें से कई महत्व पूर्ण हैं। वह जब तक प्रेसीडेंट की एसेंट न हो जाय तब तक उन पर अमल नहीं हो सकेगा और उन में कुछ संशोधन ऐसे हैं कि किसानों को हक़ नहीं मिलेगा जब तक यह विधेयक प्रधिनियम का रूप धारण नहीं कर लेता है और किसानों को हानि होगी, जब कि हम सब की इच्छा है कि किसानों को वह अधिकार जल्द से जल्द मिल जाय। अगर इस संकल्प को सदन नामंजूर करता है तो इसका अर्थ यह होगा कि अप्रैल में फिर वह जायगा और यहां से अप्रैल में जायगा और फिर कहीं मई में जा कर प्रेसीडेंट की एसेंट मिल सकेगी। इसलिये मेरी दरख्वास्त है सदन से कि माननीय सदस्यों को तकलीफ तो होगी लेकिन उस तकलीफ को उस मंशा को पूरा करने के लिये, उन ग़रीब किसानों को अधिकार देने के लिये, या कानूनी कठिनाइयां जो थीं उनको दूर करने के लिये बरदाश्त करें, तो ज्यादा अच्छा होगा और हम एक दो घंटे यहां बैठें जब तक कि यहां से विधेयक पूर्णतया स्वीकार हो जाय।

रही दूसरी बात कंसालिडेशन आफ़ होल्डिंग्ज की, उसमें मेरा मंशा केवल इतना ही है कि पुरःस्थापन होने के बाद फिर सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने का एक मोशन गवर्नमेंट की तरफ से आयेगा। और अगर यह संकल्प मंजूर हो गया और विचार होने को मंजूर हो गया तो सिलेक्ट कमेटी मार्च में ५ बजे के बाद रोजाना या किसी शनिवार या रविवार को बैठ कर विचार कर सकती है। अभी २०, २५ रोज हमें मार्च में मिलते हैं जब बजट चलता रहता है। तो जब बजट पर विचार पूरा हो जाय तब उसके बाद उस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाय और अप्रैल में हम १५, २० तारीख़ तक कंसालिडेशन विधेयक को पास कर दें। उसके बाद वह फिर कौंसिल में जायगा। वहां से पास होने के बाद फिर दफ्तर की कार्यवाही होती है कि एक एक लफ्ज और पंक्चुएशन को देखना और माननीय राज्यपाल के दस्तखत आदि। तो अगर इस संकल्प को हम पास कर दें तो कहीं मई के आखिर तक यह ऐक्ट बन सकेगा। और अगर नहीं इस संकल्प को पास करते हैं तो हो सकता है कि हम अप्रैल मई में इसको बिलकुल भी पेश न कर सकें। क्योंकि हमने अगर अप्रैल के शुरू में सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया और अप्रैल के आखिर में सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई तो मई में इस हाउस को बुलाना पड़ेगा और इसके बाद जून में कौंसिल को बुलाना पड़ेगा। और अगर कौंसिल ने संशोधन कर दिया तो फिर वह असेम्बली में आयेगा।

कंसालिडेशन आफ़ होल्डिंग्ज का ऐसा विधेयक है जिसकी तफसील में कुछ मतभेद हो सकता है लेकिन उसके मोटे मोटे उसूलों में माननीय सदस्यों में से शायद ही किसी को मतभेद हो। तो जब कि यह नान कंट्रोवर्शियल है और जब कि चारों ओर से किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द चकबन्दी कराइये, तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि रोजाना ५ बजे के बाद दो दो घंटे बैठा करें।

श्री अध्यक्ष—मैं जरा स्पष्टीकरण उसके लिय चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। उनके संकल्प में और भाषण में थोड़ा सा अन्तर पड़ जाता है। उनका विचार यह मालूम होता है कि चकबन्दी के क़ानून पर विचार किया जायगा और सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जायगा। और इसमें लिखा हुआ है, "संकल्प किया जाता है कि उक्त विधेयकों पर विचार तथा उन्हें

पारित करने के लिये।" तो इसमें यह भी है कि "उन्हें पारित करने के लिये ।" होना यह चाहिये कि "उक्त विधेयकों पर विचार तथा जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक को पारित करने के लिये।" विचार तो दोनों पर होगा और पारित सिर्फ एक होगा। उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि किन दिनों में ५ बजे से ७ बजे तक बैठेंगे, नहीं तो बीच में रोजाना बैठक होगी।

दूसरी बात यह है कि संकल्प में है "आगामी तिथियों को" तो आगामी तिथियों में शनिवार और रविवार भी आ जाते हैं। १० तारीख के बाद यह भी हो सकता है कि ५,६ रोज कार्यवाही चले, तो "तिथियों" के बजाय "कार्य दिवसों" ये शबद आ जायं तो अच्छा रहेगा। इसमें आप को कोई आपत्ति तो नहीं है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के इस विचार से तो इत्तफाक़ नहीं करता हूं कि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक से उन ग़रीब किसानों को ही मदद मिलने वाली है जिनका कि वह जिक्र कर रहे हैं। उसकी मेरिट में इस समय जाने का हमारा इरादा नहीं है। क्योंकि उससे तो बेकार की दलील और तफसील बढ़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर कहीं पर किसानों को कुछ राहत मिलने की बात है तो कुछ किसानों के हक़ छिन भी गये हैं। यह बातें तो जब बिल पर विचार होगा तो सामने आयेंगी। वैसी हालत में मैं सोचता हूं कि शायद उस पर कुछ तफसील में विचार करने की आवश्यकता पड़े तो उस संबंध में तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि दिन में ही "जिस दिन हमारे सदन की बैठक हो" उस दिन रखा जाय जैसे १६ तारीख के बाद कोई शनिवार हो तो शनिवार को भी बैठ जायं और उस वक्त विचार कर लिया जाय। लेकिन चकबन्दी वाली बात जो है जहां तक उनका संबंध है उसके लिये मैं उनकी इस राय से इत्तफाक़ करता हूं और मैं सदन से भी प्रार्थना करूंगा और आप से भी निवेदन करूंगा कि ५ बजे से ७ बजे तक जैसा उनका प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया जाय और उसमें यदि आवश्यकता पड़े एक दिन या उससे ज्यादा बैठने की तो उसके लिये इजाजत आप की हो जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—यह आपका सुझाव है, संशोधन नहीं है?

श्री गेंदा सिंह—सुझाव ही तो है।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम के संशोधन विधेयक के संबंध में कहा है उसमें मुझे केवल यह कहना है कि मैंने इतना ही नहीं कहा था कि कुछ किसानों को अधिकार मिलना है वह वंचित रह जायंगे। मैंने साथ साथ यह भी कहा था कि कुछ क़ानूनी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से अड़चन पड़ रही है और किसानों को अधिकार मिलते या नहीं मिलते यह तो इससे भी साफ़ जाहिर है जो कि हमने १९८ में कहा है। तो वह सब रुकी पड़ी रहेंगी। और फिर जैसा मैंने अर्ज किया था कि कौंसिल से जो संशोधन आये हैं वह बिल्कुल टेक्निकल हैं लेकिन जब तक वह यहां से मंजूर नहीं हो जाते तब तक हम उसको दिल्ली नहीं भेज सकते। तो मैं आशा करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जिस उदारता का परिचय चकबन्दी विधेयक के लिये दिया है उसी तरह से वह इस एतराज को भी अगर मुमकिन हो और कोई कठिनाई न हो सैद्धान्तिक तो वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ़ प्रोसीजर आफ़ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के अनुसार सदन की बैठक ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक ही होती है। तथा विधान सभा द्वारा पारित व विधान परिषद् द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था

[श्री अध्यक्ष]

(संशोधन) विधेयक, १९५२, तथा उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी (कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स) विधेयक, १९५३ को जल्द से जल्द अधिनियम बनने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि उक्त विधेयकों पर विचार तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित करने के लिये सदन की बैठक १० मार्च, १९५३ तथा अन्य आगामी कार्य-दिवसों को ५ बजे सायंकाल से ७ बजे सायंकाल तक भी होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
९ मार्च, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४३ पर)

सूची

तहसील	एकड़ों में			
	भूमि जिसमें खेती होती है	ऊसर	बंजर	परती
मोगांव	१,८५,६५४	४८,२४५	१९,८५२	१४,१५६
मैनपुरी	१,२८,१५०	७२,९१०	१६,७३४	१,२५५
शिकोहाबाद	१,३५,५३५	२७,५६७	५,६०२	६,०२३
करहल	८३,१५८	३०,७५९	१२,०५८	४,९९५
जसराना	१,२५,३८४	४६,६८८	१२,१४८	७,०३९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ २९१ पर)

उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १९५३

कृषि के विकास के निमित्त उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था करने के लिये,

विधेयक

यह आवश्यक है कि कृषि के विकास के निमित्त उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था की जाय ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी अधिनियम १९५३" होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी और इस अधिनियम का अवशिष्ट भाग उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

निरसन।

२—यू० पी० कन्सालिडेशन आफ़ होल्डिंग्स ऐक्ट, १९३९ एतद्द्वारा निरस्त (repeal) किया जाता है।

परिभाषायें।

३—विषय या प्रसंग (subject or contest) में कोई बात प्रतिकूल (repugnant) न होने पर इस अधिनियम में:

(१) "सहायक चकबन्दी अधिकारी (Assistant consolidation officer) का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत सहायक चकबन्दी अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये धारा ४२ के अधीन नियुक्त करें ;

(२) "चकबन्दी" का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में भूमि (land) के अधिकारी विभिन्न खातेदारों के बीच उक्त भूमि के ऐसे पुनर्वितरण से है जिससे कि वे क्षेत्र जो उनके पास समय विशेष पर उक्त रूप में हों, और अधिक संहत (compact) हो जायं,

अपवाद—इस खंड के प्रयोजनों के लिये भूमि के अन्तर्गत बाग भूमि (grove land) अथवा ऐसे भूमि जिसका उल्लेख १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में है, नहीं है, किन्तु पशुचर भूमि उसके अन्तर्गत है।

(३) "चकबन्दी अधिकारी" (consolidation officer) का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये धारा ४२ के अधीन नियुक्त करे।

(४) "भूमि" (land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो कृषि के प्रयोजनों या कृषि से संबंद्ध प्रयोजनों अथवा पशुचर के लिये उठाई गई हो या अध्यासित हो, और उसके अन्तर्गत इमारतों तथा अन्य रचनाओं (स्ट्रक्चर्स) के स्थल (साइट्स) हैं, और ऐसी भूमि है, जो सार्वजनिक प्रयोजनों के उपयोग में आती हो।

(५) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "लीगल रिप्रेजेन्टेटिव" को दिया गया है ; ऐक्ट संख्या ५ १९०८ ;

(६) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(७) किसी लेख्य के संबंध में "गांव में प्रकाशन" या "गांव में प्रकाशित (Published) करने का तात्पर्य है कि गांव समाज की बैठक में उक्त लेख को पढ़ कर सुनाया जाना तथा गांव समाज के कार्यालय में पांच दिन तक उसे इस विषय में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये प्रदर्शित किया जाना ;

(८) "बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)" [सेटिलमेंट आफ़िसर (चकबन्दी)] का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) [सेटिलमेंट आफ़िसर (चकबन्दी)] के कार्य करने के लिये धारा ४२ के अधीन नियुक्त करे तथा इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) [सेटिलमेंट आफ़िसर चकबन्दी)] के कोई या सभी कार्य करने का अधिकार करे;

(९) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

(१०) "खातेदार" (tenure holder) का तात्पर्य सम्बद्ध भूमि के भूमिधर, सीरदार, अधिवासी अथवा असामी से है ;

(११) उन शब्दों अथवा पदों के,

(क) जिनको इस अधिनियम में परिभाषा नहीं की गयी है किन्तु जो यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में परिभाषित हैं, अथवा यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१।

(ख) जो इस अधिनियम में अथवा यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में परिभाषित नहीं है किन्तु जिनकी परिभाषा १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में की गयी है, यू० पी० ऐक्ट ३ १९०१। उ० प्र० अधिनियम १, १९५०।

वही अर्थ होंगे जो उनके उस ऐक्ट या उस अधिनियम में किये गये हैं जिनमें वे परिभाषित हैं।

अध्याय २

नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन

चकबन्दी के संबंध में प्रख्यापन।

४—(१) चकबन्दी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार, यह प्रख्यापित कर सकती है कि उसने किसी जिले अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के संबंध में चकबन्दी योजना बनाने का निश्चय किया है।

(२) प्रत्येक ऐसा प्रख्यापन (declaration) सरकारी गजट में तथा उक्त जिले या स्थानीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव में प्रकाशित किया जायगा।

प्रख्यापन का प्रभाव।

५—(१) धारा ४ के अन्तर्गत प्रख्यापन के प्रकाशित होने पर जिला अथवा स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी दशा हो, प्रकाशन के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं (consolidation operations) के अन्तर्गत समझा जायगा जब तक कि धारा ५१ के अन्तर्गत इस आशय की विज्ञप्ति न प्रकाशित कर दी जाय कि चकबन्दी की क्रियायें समाप्त कर दी गयी हैं।

(२) जब कोई जिला अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत हो, तब यू० पी लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ३ के अधीन नक्शों, खसरों, (field books) तथा वार्षिक रजिस्टरों के रख-रखाव का कार्य बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को संक्रामित हो जायगा, और तत्पश्चात् उक्त चैप्टर के अधीन कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार को प्राप्त सभी अधिकार, जब तक जिला अथवा क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत रहे, क्रमशः बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) , चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रयुक्त किये जायेंगे।

धारा ३ के अन्तर्गत प्रचारित प्रख्यापन का रद्द करना।

६—(१) राज्य सरकार के लिये वैध होगा कि वह धारा ३ के अन्तर्गत प्रचारित प्रख्यापन को, उसमें निर्दिष्ट समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी एक भाग के सम्बन्ध में, रद्द (cancel) कर दे ।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में प्रख्यापन रद्द कर दिया जाय, तो वह क्षेत्र रद्द हो जाने के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत न रहेगा।

माल अभिलेखों की परीक्षा।

७—सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी की कच्ची योजना (Provisional Consolidation scheme) तैयार करने से पहले गांव के नक्शे, खसरे तथा अधिकार अभिलेख (record of rights) की शुद्धता की जांच तथा परीक्षा करेगा।

अभिलेख का पुनरीक्षण तथा संशोधन।

८—(१) जब कि धारा (५) में अभिदिष्ट लेखों की परीक्षा करने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी का यह मत हो कि नक्शों अथवा अभिलेखों का पुनरीक्षण, चकबन्दी की कच्ची योजना बनाने में अगली कार्यवाही करने से पूर्व ही आवश्यक है तो वह तदनुसार राज्य सरकार से इस आशय की सिफ़ारिश करेगा।

(२) जब उसका यह मत हो कि नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण आवश्यक नहीं है, तो वह नियत रीति से गांव के नक्शे और खसरे की सहायता से खेत की पड़ताल करना आरम्भ कर देगा तथा यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ की धारा ३२ में निर्दिष्ट अभिलेखों के इन्दराजों को. उक्त ऐक्ट के चैप्टर ३ के उपबन्धों के अनुसार शुद्ध कर देगा।

संशोधित अभिलेखों का प्रकाशन

९—धारा ८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत तैयार किया गया वार्षिक रजिस्टर (annual Register) गांव में प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रतिलिपि कलेक्टर को भेज दी जायगी।

अभिलेखों के पुनरीक्षण के संबंध में प्रख्यापन।

१०—धारा ८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत सिफ़ारिशें प्राप्त होने पर राज्य सरकार इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी और तत्पश्चात् यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चेप्टर ४ के उपबन्धों के अनुसार सम्बद्ध गांव या गांवों का पुनरीक्षित (revised) नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायगा मानों कि उक्त ऐक्ट की धारा ४८ के अन्तर्गत उस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गयी है ।

गाटों का और खातेदारों का विवरण तैयार किया जाना।

११—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी, धारा ८ के अन्तर्गत रजिस्टर का प्रकाशन हो जाने पर अथवा धारा १० के अन्तर्गत अभिलेख तैयार हो जाने पर यथाशीघ्र निम्नलिखित तैयार करेगा—

(क) प्रत्येक खातेदार के खातों में सम्मिलित सभी गाटों (plot) की सूची जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे:—

(१) प्रत्येक गाटें का क्षेत्रफल,

(२) अन्तिम बन्दोबस्त के अनुसार गाटों का मिट्टी (soil) के अनुसार वर्गीकरण,

(३) अन्तिम बन्दोबस्त के रजिस्टर या पुनरीक्षण क्रियाओं (revision operations) में से जो भी सबसे बाद की हो उसमें ऐसी मिट्टी के वर्ग के लिये स्वीकृत मौरूसी लगान की दरें,

(४) गाटे के लगानी मूल्य,

(५) गाटे की नियत रीति से आकलित मालगुज़ारी या लगान जैसी भी दशा हो,

(६) व्योरे जो नियत किये जायं।

(ख) प्रत्येक खातेदार की एक सूची जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(१) सभी प्रकार के भौमिक अधिकारों के अन्तर्गत खातेदारों द्वारा अधिकृत भूमि का कुल क्षेत्रफल,

(२) उसके अंश की मालगुज़ारी अथवा लगान, जैसी भी दशा हो,

(३) खातेदार द्वारा अधिकृत क्षेत्रफल का लगानी मूल्य, और

(४) अन्य ऐसे व्योरे जो नियत किये जायं।

(२) यह विवरण (Statement) गांव में प्रकाशित किया जायगा।

विवरण पर आपत्तियां।

१२—(१) कोई भी व्यक्ति धारा ११ के अन्तर्गत विवरण प्रकाशित होने के ३० दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष विवरण में किसी भी इन्दराज की शुद्धता अथवा उसके प्रकार पर आक्षेप के रूप में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा तत्सम्बन्धी कोई अकरण (omission) बता सकता है।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों के संबंध में, यदि आवश्यकता हो तो पक्षों की सुनवाई करके भूमि प्रबन्धक समिति के विचारों सहित उक्त आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा जो उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (४) में की गयी है, सभी आपत्तियों को नियत रीति से निस्तारित करेगा।

(३) चकबन्दी अधिकारी का निर्णय इस अधिनियम में अथवा इसके द्वारा अन्यथा व्यवस्था न होने पर, अन्तिम होगा।

(४) यदि उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्ति में आगम (title) का प्रश्न अन्तर्गत (involved) हो और इस प्रश्न को पहले से किसी समक्ष (competent)न्यायालय ने निर्णित न किया हो, तो चकबन्दी अधिकारी उक्त प्रश्न को निर्णय के हेतु मध्यस्थ (arbitrator) के पास अभिदिष्ट करेगा जिसका इस संबंध में निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय ३

चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना

चकबन्दी योजना।

१३—चकबन्दी योजना में निम्नलिखित होंगे—

(क) धारा १४ में अभिदिष्ट सिद्धान्तों का विवरण,

(ख) धारा १६ में अभिदिष्ट प्रस्तावों का विवरण, तथा

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो नियत किये जायं।

सिद्धांतों का विवरण।

१४—(१) चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत प्रत्येक गांव के सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी एक विवरण तैयार करेगा (जिसे यहां आगे चलकर सिद्धान्तों का विवरण कहा गया है) जिसमें वे सिद्धान्त लिखित होंगे जिनका अनुसरण चकबन्दी योजना बनाने में किया जायगा। विवरण में गांव में प्रस्तावित पुनर्मापन (re-survey) तथा स्थिति (layout) की स्थूल रूप-रेखा (Broad outline) प्रदर्शित होगी।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी भूमि प्रबन्धक समिति की मन्त्रणा ले कर नियत रीति से इस विवरण को तैयार करेगा।

(३) यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी और भूमि प्रबन्धक समिति के बीच किसी विषय में मतभेद हो तो यह विषय बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पास अभिदिष्ट किया जायगा जिसका इस संबंध में निर्णय अन्तिम होगा।

सिद्धांतों का विवरण तैयार करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत।

१५—सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १४ के अन्तर्गत सिद्धान्तों का विवरण तैयार करने में निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रक्खेगा, अर्थात्

(१) प्रत्येक खातेदार को जहां तक सम्भव हो उसी गुट (block) में भूमि प्रदिष्ट की जाय जिसमें उसके खाते की सब से अधिक भूमि हों;

(२) प्रत्येक गांव में भूमि बांट कर निम्नलिखित गुटों में वर्गीकृत की जाय:

(क) ऐसी भूमि का गुट जिसमें केवल चावल उत्पन्न होता हो;

(ख) ऐसी भूमि का गुट जिसमें चावल को छोड़ कर एक फस्ली फस्लें होती हों;

(ग) ऐसी भूमि का गुट जो मुख्यतः दुफस्ली हो, और

(घ) ऐसी भूमि का गुट जिसमें किसी नदी का पानी आता हो:

(३) केवल उन्हीं खातेदारों को गुट विशेष में भूमि मिले जिनकी भूमि पहले से वहां हो;

(४) आबादी के लिये विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़ कर प्रत्येक खातेदार को प्रदान किये जाने वाले चकों की संख्या गांव में गुटों की संख्या से अधिक न हो उस दशा के अतिरिक्त जब कि केवल एक ही गुट हो और भूमि न्यूनाधिक एक सी न हो;

(५) एक ही परिवार के खातेदारों को जहां तक सम्भव हो पास पास में चक दिये जायं;

(६) खातेदार के निवास गृह की स्थिति अथवा उसके द्वारा की गयी उन्नति (improvement) पर यदि कोई हो, चक प्रदान करते समय विचार किया जाय ;

(७) छोटे खातेदारों को गांव की आबादी के समीप, जहां तक व्यवहार्य हो, भूमि प्रदान की जाय ;

(८) किसी भी वर्तमान संहत खाता (compact holding) या फ़ार्म को जो क्षेत्रफल में ६ १/४ एकड़ का या इससे अधिक हो यथासम्भव वितरित अथवा विभक्त न किया जाय ;

(९) अन्य ऐसे सिद्धांत जो नियत किये जायं ।

सिद्धांतों के विवरण का प्रकाशन तथा उस पर आपत्तियां ।

१६—(१) धारा १५ के अन्तर्गत तैयार किया गया सिद्धांतों का विवरण गांव में प्रकाशित किया जायगा और इसकी एक प्रति चकबन्दी अधिकारी के पास भेज दी जायगी ।

(२) ऐसा व्यक्ति, जिस पर योजना का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से ७ दिन के भीतर, नियत रीति से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है,

सिद्धांतों के विवरण पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण ।

१७—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १६ के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों पर, यदि आवश्यक हो तो, पक्षों को सुनवाई करने के बाद भूमि प्रबंधक समिति के विचारों को ध्यान में रख कर उन आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो नियत रीति से आपत्तियों को निस्तारित करेगा ।

(२) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसका इस संबंध में निर्णय जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो, अन्तिम होगा ।

(३) चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) अपील अथवा आपत्ति का निर्णय करने से पूर्व जैसी भी दशा हो, सम्बद्ध पक्षों को तथा भूमि प्रबन्धक समिति को उचित सूचना देने के पश्चात् गांव का स्थानीय निरीक्षण करेंगे ।

सिद्धांतों के विवरण की पुष्टि ।

१८—यदि धारा १६ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सिद्धांतों के विवरण पर कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की जाती अथवा यदि उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की जाने के बाद अन्तिम रूप से निस्तारित हो चुकी हों, तो बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ऐसे परिष्कारों और परिवर्तनों के बाद जो धारा १९ के अन्तर्गत दी गयी आज्ञा को, यदि कोई हो, ध्यान में रखते हुये आवश्यक हों, विवरण का पुष्टीकरण करेगा और तत्पश्चात् इस प्रकार पुष्टीकृत विवरण अन्तिम होगा, और गांव में प्रकाशित किया जायगा ।

प्रस्तावों का विवरण

१९—(१) धारा १८ के अन्तर्गत विवरण के पुष्टीकरण के बाद ही, सहायक चकबन्दी अधिकारी इस विवरण के अनुसार नियत रूप से प्रस्तावों का विवरण तैयार करेगा जिनमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे—

(क) प्रत्येक खातेदार के संबंध में धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (ख) में वर्णित ब्योरे ;

(ख) प्रत्येक खातेदार के खाते के वर्तमान गाटों के बदले में प्रदान किये जाने वाले प्रस्तावित गाटों की खसरा संख्या, उनमें, अधिकारों का प्रकार तथा लगानी मूल्य (Rental Value) तथा इस प्रकार निर्दिष्ट खेतों का मिट्टी के अनुसार वर्गीकरण ;

(ग) 'ख' के प्रस्तावों के समर्थन में संक्षिप्त कारण ;

(घ) उस खातेदार को जिससे अपनी वर्तमान खाते से कम लगानी मूल्य की भूमि प्रदिष्ट की जाय तो उसका दिया जाने वाला प्रतिकर, यदि कोई हो ;

(ङ) पेड़ों और कुवों अथवा इमारतों के लिये नियत रीति से आकलित प्रतिकर ;

(च) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्रों की स्थिति (layout) ;

(छ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं ।

(२) प्रस्तावों के विवरण के साथ गांव का नक्शा भी होगा जिसमें गाटों का प्रस्तावित क्रम प्रदर्शित होगा।

(३) यदि प्रस्तावों का विवरण तैयार करते समय सहायक चकबन्दी अधिकारी को यह आवश्यक प्रतीत हो कि योजना के अन्तर्गत किसी खाते के साथ किसी ऐसी भूमि का संयोजन आवश्यक है जो सार्वजनिक प्रयोजनों के उपयोग में आती है तो वह इस आशय का प्रख्यापन करेगा और इस प्रख्यापन में बतलायेगा कि उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर जनता के और सभी व्यक्तियों के अधिकार, विवरण में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट अन्य किसी भूमि में हस्तांतरित कर दिये जायंगे और जब अधिकार इस प्रकार हस्तांतरित कर दिये जायं, तो वे उस भूमि के संबंध में जिससे कि वे हस्तांतरित किये गये हों, समाप्त हो जायेंगे ।

(४) उक्त विवरण भूमि प्रबन्धक समिति का परामर्श लेकर नियत रीति से तैयार किया जायगा ।

(५) यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी और भूमिप्रबन्धक समिति के बीच किसी भी विषय में मतभेद हो तो वह विषय बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पास अभिदिष्ट किया जायगा जिसका इस संबंध में निर्णय अन्तिम होगा ।

विवरणों पर आपत्तियां ।

२०—(१) धारा १९ के अन्तर्गत तैयार किया गया प्रस्तावों का विवरण गांव में प्रकाशित किया जायगा ।

(२) ऐसा व्यक्ति जिस पर प्रस्तावों का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, प्रकाशन के दिनांक से १५ दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

(३) जनता में से कोई अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या सार्वजनिक भूमि पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो अथवा अन्य कोई ऐसा स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो जिस पर धारा १९ की उपधारा (१) के खंड (ङ) और उपधारा (२) अन्तर्गत प्रस्तावों से वस्तुतः विपरीत प्रभाव पड़ता हो तो वह उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रख्यापन प्रकाशित होने के दिनांक से १५ दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उक्त स्वत्व अथवा अधिकार का प्रकार और वह रीति जिसमें उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, तथा तदर्थ प्रतिकर के दावे के संबंध में ब्योरे तथा उसकी धनराशि बताते हुये, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के हस्तांतरण अथवा न्यूनीकरण के कारण कोई भी दावा नहीं गृहीत किया जायगा।

विवरण पर की गई आपत्तियों का निस्तारण।

२१—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा २० के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों पर यदि आवश्यक हो तो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के बाद उन आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा जो उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था धारा २२ में की गयी है, इन आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा।

(२) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसका इस संबंध में निर्णय, जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो, अन्तिम होगा।

(३) चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) आपत्ति अथवा अपील की जैसी भी दशा हो, निर्णय करने के पूर्व सम्बद्ध पक्षों तथा भूमि प्रबन्धक समिति को उचित सूचना देने के पश्चात् गांव का स्थानीय निरीक्षण करेंगे।

भूमि में आगम के संबंध में आपत्तियां।

२२—(१) यदि धारा २० के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्ति में कोई आगम का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो और इस प्रश्न को पहले ही से किसी समर्थ न्यायालय ने अन्तिमरूप से न निर्णित किया हो, तो चकबन्दी अधिकारी उस प्रश्न को निर्णय के हेतु मध्यस्थ (arbitrator) के पास अभिदिष्ट करेगा।

(२) ऐसे सभी वाद या व्यवहार (suits or proceedings) जो प्रारम्भिकन्यायालय या पुनर्वाद (appeal) में हों और जिनमें उस ही भूमि से सम्बद्ध आगम (title) का प्रश्न उठाया गया हो, रोक दिये जायंगे।

(३) उपधारा (१) के अन्तर्गत इस संबंध में मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा।

प्रस्तावों के विवरण की पुष्टि।

२३—यदि धारा २० में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तावों के विवरण पर कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी हो अथवा यदि उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की जाने के बाद धारा २१ अथवा २२ के अन्तर्गत निस्तारित हो चुकी हों तो बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ऐसे परिष्कारों और परिवर्तनों के बाद जो धारा २१ अथवा २२ के अन्तर्गत आज्ञा को ध्यान में रखते हुये आवश्यक हों, विवरण का पुष्टीकरण करेगा और तत्पश्चात् इस प्रकार पुष्टीकृत विवरण अन्तिम होगा और नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा।

अध्याय ४

योजना का प्रचलित किया जाना

योजना के प्रचलन का दिनांक।

२४—चकबन्दी योजना उस दिनांक को प्रचलित होगी जिसे चकबन्दी अधिकारी निर्दिष्ट करे।

नये खातों की प्रदेशना।

२५—अन्तिम चकबन्दी योजना के प्रचलित हो जाने के पश्चात् सहायक चकबन्दी अधिकार नियत रीति से तथा नियत रूप में प्रदेशना आज्ञा (allotment order) जारी करेगा। जिसमें उक्त योजना के अनुसार प्रत्येक खातेदार को प्रदिष्ट नये खेत दिखाये रहेंगे।

क़ब्ज़ा करने का दिनांक।

२६—चकबन्दी योजना के पुष्ट होने के दिनांक के बाद अगले कृषि वर्ष (agricultural year) के प्रारम्भ से भूमि के खातेदारों का प्रदिष्ट खेतों पर क़ब्ज़ा करने का अधिकार होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभी खातेदार सहमत हों तो सहायक चकबन्दी अधिकारी, उन सब को तुरन्त या किसी ऐसे दिनांक से, जिसे वह निर्दिष्ट करे, क़ब्ज़ा करने की अनुमति दे सकता है।

नये माल अभिलेख।

२७—(१) चकबन्दी योजना के प्रचलित होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे गांव के संबंध में, जो चकबन्दी क्रिया के अन्तर्गत हो, गांव का नया नक्शा, खसरा (field book) और अधिकार अभिलेख तैयार किये जाने के लिये यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ४८ के अधीन एक विज्ञप्ति निकालेगी और इसके पश्चात् यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ के उपबन्धों के अनुसार नये अभिलेख तैयार किये जायेंगे।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत तैयार किये गये अधिकार अभिलेख के सभी इन्दराज अन्तिम तथा निश्चायक होंगे।

क़ब्ज़ा दिलाने के संबंध में सहायक चकबन्दी अधिकारी के अधिकार

२८—सहायक चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो तो, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों को जिन्हें चक प्रदिष्ट किये गये हों जोत पर जिसके वे इस प्रकार अधिकारी हों, उसकी खड़ी फ़सलों के साथ यदि कोई हो, वास्तविक रूप से क़ब्ज़ा (physical possession) दिलायेगा और ऐसा करने में उसे अपमान (contempt) प्रतिरोध (resistance) तथा ऐसी ही अन्य बातों के संबंध में वे अधिकार (powers) प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग अचल सम्पत्ति पर क़ब्ज़ा दिलाने की डिग्री के सम्पादन (इजरा) करने में दीवानी न्यायालय कर सकते हैं।

प्रतिकर।

२९—(१) यदि धारा २५ के अधीन किसी भूमि के खातेदार को प्रदिष्ट (allotted) भूमि पर खड़ी फ़सलें हों तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा, जिसे क़ब्ज़ा दिलाया गया हो, ऐसी फ़सलों के संबंध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित करेगा और उक्त खातेदार क़ब्ज़ा करने के दिनांक से छः मास के भीतर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिस से या जिनसे क़ब्ज़ा संक्रामित किया गया हो, प्रतिकर देगा और ऐसा न करने की दशा में उससे ऐसा प्रतिकर मालगुज़ारी के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

(२) यदि कोई भूमि का खातेदार जिससे इस योजना के अधीन प्रतिकर वसूल किया जा सकता हो, धारा २६ के अधीन क़ब्ज़ा करने के दिनांक से ३० दिन के भीतर ऐसा प्रतिकर नियत रीति से जमा न करे तो वह उस से मालगुज़ारी के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा, और वह नियत रीति से वितरित किया जायगा।

चकबन्दी के पश्चात् अधिकार।

३०—उस दिनांक से जब कोई खातेदार अपने को प्रदिष्ट गाटों पर धारा २६ के उपबन्धों के अधीन क़ब्ज़ा करता है, उसके अपने पहले के जोत के अधिकार (Rights), आगम (Titles) और स्वत्व (interest) समाप्त हो जांयगे और उसे, यदि कोई परिष्कार किया जाय तो उसे बाधित न करते हुये धारा २५ के अधीन प्रदिष्ट गाटों के संबंध में वही अधिकार, आगम और स्वत्व प्राप्त होंगे जो अन्तिम चकबन्दी योजना में निर्दिष्ट हों।

भार (Encumbrances)

३१—(१) यदि चकबन्दी योजना के अन्तर्गत लाया गया कोई खाता, किसी पट्टे, बन्धक अथवा किसी अन्य भार (encumbrance) से ग्रस्त हो, तो ऐसा पट्टा, बन्धक अथवा अन्य भार उस योजना के अन्तर्गत तदनुरूप जोत (correspoding holding) से अथवा उसके किसी ऐसे भाग पर संक्रामित

और उसे सम्बद्ध कर दिया जायगा, जिसे सहायक चकबन्दी अधिकारी ने इस योजना को तैयार करते समय अवधारित किया हो, और तदुपरान्त पट्टेदार, बन्धकी अथवा अन्य भारकर्ता (Encumbrancer) की जैसी भी दशा हो, उस भूमि में या उसके प्रति कोई अधिकार (Right) न रह जायेगा जिससे वह पट्टा अथवा अन्य भार संक्रामित किया गया हो।

(२) यदि किसी ऐसे जोत (Holding) का बाजारी मूल्य जिसमें उपधारा (१) के अधीन कोई पट्टा, बन्धक या अन्य भार संक्रामित किया गया हो, उस जोत के बाजारी मूल्य से कम हो, जिसमें से वह संक्रामित किया गया हो, तो पट्टेदार, बन्धकी अथवा अन्य भारकर्ता को, जैसी भी दशा हो, खातेदार (tenure holder) से ऐसा प्रतिकर पाने का अधिकार होगा जिसे सहायक चकबन्दी अधिकारी अवधारित करे।

(३) सहायक चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो किसी पट्टेदार, बन्धकी अथवा अन्य भारकर्ता को जो क़ब्ज़ा पाने का अधिकारी हो, ऐसे किसी जोत अथवा जोत के किसी भाग का क़ब्ज़ा दे सकते हैं जिसमें उपधारा (१) के अधीन उसका पट्टा अथवा अन्य भार संक्रामित किया गया हो।

खाता संक्रामित करने का अधिकार।

३२—यूनाइटेड प्रॉविंसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ और १९५० ई० के उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, में किसी बात के रहते हुये भी भूमि के खातेदारों (Tenure holders) के ऐसे अधिकार (Rights), आगम (title) और स्वत्व (interest) जो उनके जोतों में हों और उन पर के कोई भार, उन पर प्रभाव डालने वाली किसी चकबन्दी को योजना के कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये विनिमय (Exchange) द्वारा अथवा किसी अन्य प्रकार के संक्रामण योग्य (trans ferable) होंगे और किसी भूमि के खातेदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी संक्रामण पर आपत्ति करने अथवा हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा।

व्यय (Costs)

३३—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी नियत रीति से चकबन्दी का व्यय अवधारित करेगा, और ऐसे व्यय को उन व्यक्तियों के बीच बांटेगा जिन पर चकबन्दी की आज्ञा का प्रभाव पड़ा हो।

(२) इस धारा के अधीन कोई धनराशि जो व्यय के रूप में देय हो, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

प्रचलित करने पर आपत्ति पत्र।

३४—(१) यदि कोई व्यक्ति धारा २५,२६,२८,२९,३० और ३१ के अधीन दी गयी सहायक चकबन्दी अधिकारी की किसी आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) हो तो वह ऐसी आज्ञा के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर नियत रीति से चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी उक्त आपत्ति को अपनी रिपोर्ट के साथ चकबन्दी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

आपत्ति का निस्तारण (disposal of objections)

३५—(१) धारा ३४ के अधीन आपत्ति तथा रिपोर्ट के प्राप्त होने पर चकबन्दी अधिकारी, ऐसी स्थिति को छोड़ कर जिसके विषय में धारा ३६ में कोई व्यवस्था की गयी हो नियत रीति से तथा आपत्तिकर्ता को सूचना (notice) देने के बाद उक्त आपत्ति का निस्तारण करेगा।

(२) चकबन्दी अधिकारी का निर्णय ऐसी दशा को छोड़ कर जिसके विषय में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई व्यवस्था की गयी हो, अन्तिम होगा।

मध्यस्थ निर्णय (arbitration) के निमित्त भेजना।

३६—(१) उस दशा में जब धारा ३४ के अधीन की गयी आपत्ति में भूमि के आगम (title) का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो और ऐसे प्रश्न का निर्णय अन्तिम रूप से किसी सक्षम (competent) न्यायालय द्वारा न हो चुका हो, तो चकबन्दी अधिकारी उसे निस्तारण के निमित्त मध्यस्थ के पास अभिदिष्ट करेगा।

(२) मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय ५

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

मध्यस्थ निर्णय।

३७—(१) यदि इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन किसी विषय को निर्णय के निमित्त किसी मध्यस्थ के पास भेजने का आदेश दिया जाय तो राज्य उन दीवानी न्यायाधिकारियों (सिविल जूडिशियल आफ़िसर्स) में से किसी को जिनको अपने पद का कम से कम सात वर्ष का अनुभव हो, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा और अन्य सभी बातों में, मामले का निर्णय आरबिट्रेशन ऐक्ट, १९४० के अनुसार किया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति या तो सामान्य रूप से या किसी विशिष्ट मामले या किसी विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के संबंध में की जा सकती है।

साक्षियों के उपस्थित कराने तथा अन्य विषयों के अधिकार।

३८—निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी भी बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे सब सामर्थ्य (powers), अधिकार (rights) और विशेषाधिकार (privileges) प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार (action) में निम्नलिखित मामलों के संबंध में दीवानी न्यायालय (Civil Court) को प्राप्त हैं—

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और उनको शपथ दे कर प्रतिज्ञान (affirmation) कराके, या अन्य प्रकार से उनके बयान लेना और विदेशस्थ साक्षियों (witnesses abroad) का बयान लेने के लिये कमीशन या निवेदन पत्र (letter of request) जारी करना;

(ख) किसी को कोई लेख्य (document) प्रस्तुत करने को बाध्य करना;

(ग) अपमान (contempt) के लिये लोगों को दण्ड देना,

और किसी भी व्यवहार (action) में साक्षियों को उपस्थित और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (formal process) के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सम्मन भेजा जा सकता है और वह उक्त प्रसर के ही बराबर समझा जायगा।

लेख्य इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार।

३९—(१) नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों या निरोधों को बाधित न करते हुये, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वह ऐसे लेख्य-पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जो बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का उचित पालन करने के लिये आवश्यक समझें।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायगा कि वह इंडियन पीनल कोड की धारा १७५ और १७६ के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य (legally bound) है।

बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाही के संबंध में

४०—किसी बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायगा कि वह इंडियन पेनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये 'एक वैचारिक व्यवहार (gudicial proceeding) है।

बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने व्यवहारों का वैचारिक व्यवहार माना जाना।

सिविल प्रोसीजर कोड का लागू किया जाना।

४१—जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्य प्रकार से स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो, कोड़ आफ़ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सब व्यवहारों (Proceedings) पर लागू होंगे जिनके अन्तर्गत अपील और आवेदन-पत्र (applications) हैं।

अधिकारी और प्राधिकारी।

४२—(१) इस अधितियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है :—

(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी (Assistant Consolidation Officer);

(२) चकबन्दी अधिकारी (Consolidation Officer);

(३) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) (Settlement Officer (Consolidation)।

(४) सहायक संचालक (चकबन्दी) (Assistant Director (Consolidation)); तथा

(५) चकबन्दी संचालक (Director of Consolidation)।

(२) चकबन्दी संचालक तथा सहायक चकबन्दी संचालक ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे और बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्य को पर्यवेक्षण (supervision) और अधीक्षण (Superintendence) के विषय में ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं।

(३) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के द्वारा या अधीन उन्हें दिये गये या उन पर लगाये गये हों।

प्रतिनिधायन।

४३—राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा मिले अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार किसी भी अधिकारी (officer) या प्राधिकारी (authority) को सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रतिबन्धों (Conditions) और निरोधों (restrictions) के अधीन प्रयोग करने के लिये सौंप सकती है।

मापन तथा परिच्छेद के प्रयोजनों के लिये भूमि पर प्रवेश करने का अधिकारियों का अधिकार।

४४—सहायक चकबन्दी अधिकारी और उसकी आज्ञाओं के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य के पालन करने में भूमि पर प्रवेश कर सकता है उसका मापन (survey) कर सकता है उस पर मापन के चिन्ह (marks) बना सकता है तथा उसकी सीमाओं का परिच्छेद (demarcation) कर सकता है और अन्य ऐसे सभी कार्य कर सकता है जो उस कर्तव्य का उचित पालन करने के लिये आवश्यक हों।

मापन के चिन्हों को नष्ट करने, हानि पहुंचाने अथवा उन्हें हटाने के संबंध में दण्ड।

४५—(१) यदि कोई व्यक्ति विधिक रूप से निर्मित किसी मापन के चिन्ह को बिना विधिक अधिकार के जानबूझ कर नष्ट करे या हानि पहुंचाये या हटाये तो चकबन्दी अधिकारी उसे प्रतिकर की ऐसी अधनराशि के भुगतान करने का आदेश दे सकता है जो इस प्रकार से नष्ट किये, हानि पहुंचाये गये अथवा हटाये गये प्रत्येक चिन्ह के लिये पचास रुपये से अधिक न होगी और जो उस अधिकारी के मतानुसार उक्त चिन्ह को पूर्व दशा में लाने के व्यय को पूरा करने तथा उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने नष्ट किये जाने, हानि पहुंचाये जाने, हटाये जाने की सूचना दी हो, पारितोषिक देने के लिये आवश्यक हो।

(२) इस धारा के अधीन अर्थ दण्ड लगाया जाना, इण्डियन पीनल कोड की धारा ४३४ के अधीन अभियोजन पर बाधक न होगा।

अधिनियम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अपीलें, इत्यादि।

४६—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी की गयी किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील या प्रत्यालोचन अभिदेश या पुनःरीक्षण (review reference or revision) के निमित्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत न किया जा सकेगा, जब तक कि इस संबंध में इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा कोई व्यवस्था न की गयी हो।

अभिलेख मंगाने तथा आदेशों का पुनरीक्षण करने का बोर्ड का अधिकार।

४७—चकबन्दी संचालक किसी मामले का अभिलेख (record) अपने यहां मंगा सकता है यदि उसे ऐसा प्रतीत हो कि उस अधिकारी ने मध्यस्थ के अतिरिक्त जिसने उस मामले का निर्णय किया है, किसी ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया है जो उसे विधितः प्राप्त नहीं था या विधितः प्राप्त किसी अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है या अधिक्षेत्र का प्रयोग करने में अवैध रूप से (illegally) या वास्तविक अनियमिता पूर्ण (with substantial irregularity) आचरण किया है तो ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

दीवानी न्यायालय के अधिक्षेत्र पर रोक।

४८—कोई भी व्यक्ति चकबन्दी के व्यवहारों (proceedings) से उत्पन्न होने वाले किसी विषय के संबंध में या किसी ऐसे अन्य विषय के संबंध में जिसके लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई वाद या प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा सकता हो, किसी दीवानी न्यायालय में कोई वाद या अन्य व्यवहार (proceedings) प्रस्तुत नहीं करेगा।

न्याय शुल्क से मुक्ति।

४९—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किन्हीं भी व्यवहारों (proceeding) में दिये गये किसी आवेदन पत्र के संबंध मे कोई न्याय शुल्क (court fee) देय न होगा।

संक्रामण को निष्पन्न करने के लिये कोई करण (instrument) आवश्यक नहीं है।

५०—समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी—

(क) जोतों की चकबन्दी की किसी योजना को कार्यान्वित करने में अंतर्ग्रस्त किसी संक्रामण (transfer) को निष्पन्न करने के निमित्त किसी लिखित करण (instrument in writing) की आवश्यकता न होगी, तथा

(ख) किसी भी करण (instrument) के लिये यदि वह निष्पादित किया जाय, निबंधन (registration) की आवश्यकता न होगी।

५१—खातेदारों के धारा २६ के अनुसार अपने नये खाते पर क़ब्ज़ा पाने के बाद, राज्य सरकार यथाशीघ्र इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रचारित करेगी कि चकबन्दी क्रिया उक्त गांव में समाप्त कर दी गयी है और तदुपरान्त वह गांव चकबन्दी क्रिया के अधीन न रहेगा। चकबन्दी क्रिया की समाप्ति।

५२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी धारा ८ या ९ के अधीन तैयार किये गये अभिलेखों में इस प्रकार लिखित कोई संयुक्त खातेदार (Joint tenure holder) धारा १६ के अन्तर्गत सिद्धांतों के विवरण के प्रकाशन से १५ दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी को खाते के अपने अंश को पृथक प्रदिष्ट करवाने के लिये आवेदन पत्र दे सकता है ; उक्त आवेदन पत्र देने पर चकबन्दी अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त प्रार्थी को पृथक खातेदार मानेगा ।

५३—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकती है। नियम।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :

(१) धारा ३ के अधीन आवेदन पत्र तथा प्रख्यापन (Declaration) का आकार (form);

(२) धारा ५ के अधीन चकबन्दी से सम्बद्ध प्रख्यापन को रद्द करने से सम्बद्ध विषय तथा उसके परिणाम ;

(३) धारा ७ के अधीन माल अभिलेखों (Revenue-Records) की परीक्षा से सम्बद्ध प्रक्रिया (Procedure) तथा कार्यवाही ;

(४) धारा १३ में अभिदिष्ट विवरण पत्रों का आकार (form) ;

(५) सिद्धान्तों के विवरण तथा प्रस्तावों (Proposals) के विवरण के तैयार करने से सम्बद्ध प्रक्रिया तथा रीति ;

(६) धारा १५ में अभिदिष्ट गुटों की तैयारी तथा परिच्छेद demarcation) से सम्बद्ध विषय;

(७) प्रक्रिया तथा रीति जिसके अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति के विचार निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्राप्त किये जायेंगे ;

(८) सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चकबन्दी अधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली आख्या में दी जाने वाली बातें तथा उनसे सम्बद्ध प्रक्रिया ;

(९) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा सिद्धान्तों के विवरण और प्रस्तावों के विवरण तथा अन्य विवरणों की पुष्टीकरण से सम्बद्ध प्रक्रिया तथा रीति ;

(१०) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट किये जाने वाले क्षेत्रों का अवधारण ;

(११) सार्वजनिक भूमि से किसी दूसरी भूमि को, जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट की गयी हो, अधिकारों के संक्रामण से सम्बद्ध विषय ;

(१२) वह रीति जिसके अनुसार चकबन्दी योजना के लागू किये जाने के लिये निश्चित किया गया दिनांक विज्ञप्त किया जायगा ;

(१३) धारा २६ के अधीन प्रदेशना आज्ञायें (Allotment orders) जारी करने से सम्बद्ध प्रक्रिया और रीति ;

(१४) क़ब्ज़ा करने की प्रक्रिया ;

(१५) इस अधिनियम के अधीन किसी खातेदार को दिये जाने वाले प्रतिकर के अवधारण के लिये सिद्धांत तथा रीति ;

(१६) परिस्थितियां जिनमें धारा ३० के उपबन्ध किसी विशेष मामले में लागू न होंगे और प्रक्रिया जिसमें यह बताया जाय कि उक्त धारा के परिष्कार किस हद तक ऐसे मामलों में किये जायेंगे ;

(१७) भारों को किसी वर्तमान जोत खाते से किसी नये जोत में अवधारण तथा संक्रामण ;

(१८) मध्यस्थ (Arbitrator) की नियुक्ति और उसके पास मामले को अभिदेशार्थ भेजे जाने की प्रक्रिया ;

(१९) इस अधिनियम के अधीन नोटिस या लेख्य को तामील करने की रीति से सम्बद्ध विषय ;

(२०) ऐसी कालावधि (time limits) लगाने के लिये, जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिये की जाने वाली बातें अवश्य की जायं, लगायी हुई अवधि को बढ़ाने के संबंध में नियमों में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को अधिकार देकर या न देकर ;

(२१) उन मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है, अनुसरण की जाने वाली कार्यवाहियों की प्रक्रिया, जिसमें आवेदन पत्र तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत आपत्तियों और अपीलों का प्रस्तुत करना तथा निस्तारण भी सम्मिलित है ;

(२२) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी (authority) के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी और प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(२३) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस संबंध में, इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन आवेदन-पत्र देने और अपील करने की कालावधि ;

(२४) इस अधिनियम के अधीन दिये जाने वाले आवेदन पत्रों (Applications), अपीलों और व्यवहारों (proceedings) पर इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्धों का लागू किया जाना ;

(२५) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार या किसी दूसरे प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को मिले अधिकारों का प्रतिनिधान (Delegation) ;

(२६) एक प्राधिकारी या अधिकारी के यहां से दूसरे प्राधिकारी या अधिकारी के यहां व्यवहारों का संक्रामण ; तथा

(२७) वह सीमा जिसके अन्तर्गत प्रदेशना (Allotment) में खातेदार का क्षेत्र, प्रतिकर द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, संधानित (Adjusted) किया जा सकता है।

उद्देश्य और कारण

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रचलित होने के बाद इस राज्य में जोतों की चकबन्दी की स्वभावतः गहरी मांग हुई। स्वामित्व तथा कृषि संबंधी जटिल एवं विभिन्न प्रकार के भौमिक अधिकार सफल चकबन्दी में प्रधान रूप से बाधक थे उनके समाप्त हो जाने पर इस कार्य के प्रारम्भ का यह सुन्दर अवसर है। एक ही परिवार द्वारा खेती किये जाने वाले सभी गाटों के संहत होने के लाभों का संक्षेप में उल्लेख ही पर्याप्त है। चकबन्दी से मेड़ों की संख्या तथा विस्तार बहुत हो जायेंगे। और इस प्रकार मेड़ों के विषय में होने वाले झगड़े भी कम हो जायेंगे और भूमि की बचत भी होगी। इससे खेत बड़े हो जायेंगे और खेतों तक आने जाने में कम समय भी लगेगा। भूमि के एकत्र होने पर एकान्तता के लिये तथा अनधिकार प्रवेश, चोरी एवं सीलाबिन जाने को रोकने के हेतु घेरे जैसे—पाढ़ और किनारे पर झाड़ियां तथा खाइयां—बनायी जा सकेंगी। सिंचाई तथा पानी के निकास का नियंत्रण सरल हो जायगा तथा फ़सलों में लगने वाले कीड़ों तथा बीमारियों की रोक थाम करने में कम कठिनाई होगी। अतएव अगस्त, १९५२ में सरकार ने माल मंत्री की अध्यक्षता में इस राज्य में यथाशीघ्र जोतों की चकबन्दी करने की विशद योजना बनाने के लिये तथा यू० पी० कन्सालिडेशन आफ़ होल्डिंग्स ऐक्ट, १९३९ में संशोधन प्रस्तुत करने के लिये समिति नियुक्त की। समिति ने १९३९ के ऐक्ट के अधीन योजना की असफलता के कारणों की जांच करने के पश्चात् तथा उस उप समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् जिसने पंजाब (भारत) में जोतों की चकबन्दी की योजना का अध्ययन किया था, तथा पंजाब के अनुरूप ही गांवों के सर्वांगीण उत्थान के हेतु एक समन्वित योजना की सिफ़ारिश की है।

(२) विधेयक की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

(क) सरकार ही उस जिले को अथवा स्थानीय क्षेत्र को चुनेगी जिसमें इस कार्य का प्रारम्भ होगा।

(ख) कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व एक विज्ञप्ति प्रचारित की जायगी जिसके अनुसार क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत आ जायगा।

(ग) विज्ञप्ति प्रचारित होने का प्रभाव यह होगा कि वार्षिक रजिस्टरों तथा अधिकार अभिलेखों की तैयारी के कार्य का दायित्व जोतों की चकबन्दी के लिये नियुक्त कर्मचारियों पर आ जायगा जब तक कि क्रियाओं की समाप्ति के हेतु दूसरी विज्ञप्ति नहीं प्रचारित कर दी जायगी।

(घ) सहायक चकबन्दी अधिकारी भूमि प्रबन्धक समिति के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करेगी। इस अधिकारी का कार्य से सम्बद्ध किसी भी बात को किसी भी स्थिति में अन्तिम ठहरने का कोई भी अधिकार नहीं प्रदान किया गया है। उसे भूमि प्रबन्धक समिति का परामर्श मानना ही पड़ेगा, और यदि वह समिति से मतभेद रखता हो तो उसे उच्च अधिकारियों के पास सम्बद्ध विषय को भेजना पड़ेगा।

(ङ) चकबन्दी की कार्यवाहियां लेखबद्ध की जायंगी और उसके बाद ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। बाग़ तथा वह भूमि जिस पर काश्तकारों को गांव समाज के अन्तर्गत असामी के अधिकार उपार्जित हो सकते हैं, योजना के उपबन्धों से बाहर रखा गया है।

(च) न केवल सहायक चकबन्दी अधिकारी किन्तु चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को भी उस गांव से घनिष्ठ सम्पर्क रखना पड़ेगा जिसमें ये क्रियायें कार्यान्वित हो रही हों और वे तब तक किसी भी आपत्ति अथवा अपील पर कोई आज्ञा नहीं पारित करेंगे जब तक कि वे स्थानीय निरीक्षण न कर लेंगे।

(छ) दीर्घकालीन मुक़दमे बाज़ी को रोकने के लिये अधिकारों तथा आगमों से सम्बद्ध सभी विवादों का निर्णय एक मध्यस्थ करेगा जो प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर होगा और जिसकी

नियुक्ति चकबन्दी के संचालक करेंगे। चकबन्दी के संचालक को मध्यस्थ द्वारा निर्णित विषयों को छोड़कर सभी विषयों में पुनरीक्षण के अधिकार प्राप्त होंगे।

(ज) चकबन्दी के संचालक तथा सहायक संचालक की केन्द्रीय प्रबन्धक तथा निर्देश प्राधिकारी के रूप में तथा बन्दोबस्त और चकबन्दी अधिकारियों की जिले के स्तर पर तदर्थ नियुक्ति।

(झ) चकबन्दी कार्यवाहियों का दीवानी न्यायालयों के अधिक्षेत्र से बाहर होना।

(ञ) जनता को मुक़दमेबाज़ी से बचाने के लिये चकबन्दी क्रियाओं के अन्तिम चरण में तैयार किये गये अधिकार अभिलेखों में किये गये अन्तिम इन्दराजों की अन्तिमता तथा निश्चयात्मकता की परिकल्पना।

चरण सिंह,
माल मन्त्री।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा।

लखनऊ,
९ मार्च, १९५३ ई०।

पी० एल० यू० पी० ए० पी० १८१ एल० ए०—१९५३—८५०